



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए  
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-॥



हरियाणा सरकार  
वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 3  
(अनुपालन लेखापरीक्षा - राजस्व)



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**

**अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ॥**

**हरियाणा सरकार**

**वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 3**





## विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-x
<b>अध्याय-1</b>		
<b>सामान्य</b>		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	6
कर-निर्धारणों में बकाया	1.3	7
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	8
रिफंड मामले	1.5	8
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.6	9
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	1.7	9
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.8	11
लेखापरीक्षा योजना	1.9	12
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	12
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.11	13
<b>अध्याय-2</b>		
<b>बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट</b>		
कर प्रबंधन	2.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	15
कर योग्य वस्तुओं को कर मुक्त के रूप में मानते हुए गलत कटौती की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.3	16
कम सकल टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर के कारण कर का अवनिर्धारण	2.4	16
स्टॉक हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक लाभ की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण	2.5	17
इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण अधिक लाभ	2.6	18
प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के बेमेल होने पर कर के अनुद्ग्रहण के कारण कर का अपवंचन	2.7	19
ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	2.8	19
वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.9	20

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>अध्याय-3</b>		
<b>राज्य उत्पाद शुल्क</b>		
कर प्रबंधन	3.1	53
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	53
उल्लंघन के मामले में पेनल्टी, लाइसेंस फीस और लंबित लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज की अवसूली/कम वसूली	3.3	54
<b>अध्याय-4</b>		
<b>स्टाम्प शुल्क</b>		
कर प्रबंधन	4.1	57
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	57
बिक्री विलेख को रिलीज विलेख के रूप में गलत वर्गीकृत करने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में अनियमित छूट	4.3	58
परिवार के अंदर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.4	59
बिक्री अनुबंध के संदर्भ में अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.5	59
स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण	4.6	60
नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाली 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र की भूमि पर कृषि दर लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	4.7	61
मुआवजे की राशि से खरीदी गई अचल संपत्तियों के मामले में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट	4.8	62
प्राइम खसरा भूमि पर सामान्य दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.9	63
सरकारी अधिसूचना का समय पर कार्यान्वयन न होने के कारण दो प्रतिशत अतिरिक्त ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद शुल्क का अनुद्ग्रहण	4.10	64
अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण	4.11	65
<b>अध्याय-5</b>		
<b>वित्त विभाग</b>		
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	5	67
प्रस्तावना	5.1	67
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सर्वर की विशिष्टताएं	5.2	67

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	5.3	67
संगठनात्मक संरचना	5.4	69
लेखापरीक्षा उद्देश्य	5.5	69
लेखापरीक्षा मानदंड	5.6	70
लेखापरीक्षा उपलब्धियां	5.7	70
निष्कर्ष	5.8	120
सिफारिशें	5.9	121
<b>परिशिष्ट</b>		<b>125</b>



## प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व सेक्टर के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संचालित की गई लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2021-22 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2021-22 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक है, शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।



**संक्षिप्त अवलोकन**





## संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 724.46 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित करों, ब्याज के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 16 दृष्टांतदर्शक लेखापरीक्षा अनुच्छेद, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइल करने पर विभाग की निगरानी पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) की एक सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) लेखापरीक्षा शामिल हैं।

### 1. अध्याय-1

#### सामान्य

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 67,561.01 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 78,091.69 करोड़ थी। इसमें से, 77.82 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 53,377.16 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,394.13 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 22.18 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 9,722.16 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 7,598.24 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 10,530.68 करोड़ (15.59 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के 104 यूनितों के अभिलेखों की वर्ष 2021-22 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,552 मामलों में कुल ₹ 1,103.94 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने 1,077 मामलों में आवेष्टित ₹ 643.07 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभागों ने वर्ष 2021-22 के दौरान 64 मामलों में ₹ 3.52 करोड़ वसूल किए जिनमें से, ₹ 3.35 करोड़ की राशि के 39 मामले पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

(अनुच्छेद 1.10)

### 2. अध्याय-2

#### बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर योग्य वस्तुओं के बजाय कर मुक्त बिक्री के रूप में कटौती की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.99 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 4.77 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय ₹ 36.61 करोड़ के बजाय ₹ 27.97 करोड़ के सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.)/करयोग्य टर्नओवर (टी.टी.ओ.) पर मामलों का कर-निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

**(अनुच्छेद 2.4)**

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, स्टॉक हस्तांतरण/प्रेषण बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापसी दावे को गलत वापस कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.04 लाख की कम इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी हुई।

**(अनुच्छेद 2.5)**

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अंतरराज्यीय बिक्री के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.91 लाख का अधिक लाभ अनुमत किया गया।

**(अनुच्छेद 2.6)**

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में बिक्री के विवरण को सत्यापित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.11 लाख के कर का अपवंचन हुआ।

**(अनुच्छेद 2.7)**

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर का देरी से भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 96.40 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ।

**(अनुच्छेद 2.8)**

विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग को सत्यापित करने के लिए उचित तंत्र स्थापित नहीं किया था, जिसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का मिलान न होने, निष्पादित देयताओं का मिलान न होने और टर्नओवर का मिलान न होने से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/नियमों के विपथन तथा प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 678.22 करोड़ की विसंगतियां/अनुपालन कमियां हुईं।

**(अनुच्छेद 2.9)**

### 3. अध्याय-3

#### राज्य उत्पाद शुल्क

विभाग ने अवैध शराब के लिए अपराधियों से पेनल्टी वसूलने और आबंटियों से लाइसेंस फीस और ब्याज वसूलने की पहल नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.46 करोड़ के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

**(अनुच्छेद 3.3)**

#### 4. अध्याय-4

##### स्टाम्प शुल्क

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री विलेख को रिलीज विलेख के रूप में गलत वर्गीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.91 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.3)

खून के रिशतों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेखों के 20 दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 32.05 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.4)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने पार्टियों के बीच सहमति की अपेक्षा नौ हस्तांतरण विलेखों का कम मूल्यांकन किया। हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 12.27 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने मार्किट कमेटी, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जी.एम.डी.ए.) और उत्तर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) को सरकारी संस्था मानते हुए उन्हें ₹ 3.11 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से अनियमित छूट की अनुमति दी।

(अनुच्छेद 4.6)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र के प्लॉटों के 14 बिक्री विलेखों का आवासीय भूमि के बजाय कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर गलत मूल्यांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.57 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.7)

किसानों को 50 मामलों में स्टाम्प शुल्क से छूट की अनुमति दी गई थी, हालांकि उन्होंने प्राप्त मुआवजे से आवासीय/व्यावसायिक भूमि खरीदी थी, जिसकी नवंबर 2010 में जारी सरकार के आदेश के अनुसार अनुमति नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.8)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64.28 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.9)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त लेन-देन मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से शुल्क प्रभारित किए बिना ग्राम पंचायत और जिला परिषद के क्षेत्रों में 176 बिक्री विलेख पंजीकृत किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 68.17 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.10)

कृषि भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर 142 विलेख पंजीकृत किए गए थे, जिन पर भूमि अभिलेखों (जमाबंदी) के अनुसार ₹ 36.97 करोड़ के बजाय ₹ 18.22 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.75 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.11)

## 5. अध्याय-5

### वित्त विभाग

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) के कार्यान्वयन के आठ वर्ष से अधिक समय के बाद भी विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उद्देश्यों की प्राप्तियों को जांचने के लिए निर्देश चिह्न परिभाषित नहीं किए गए थे। अपर्याप्त मान्यकरण नियंत्रण के कारण निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के उल्लंघन में बिलों की प्रोसेसिंग हुई। यूनिक आदाता कोड (यू.सी.पी.) के जनरेशन के दौरान पर्याप्त इनपुट नियंत्रणों के अभाव के कारण अमान्य स्थाई लेखा संख्या (पैन) की स्वीकृति हुई और यूनिक आदाता कोड की विशिष्टता से समझौता हुआ। लेन-देन की हिस्ट्री पर नजर रखने के लिए पूर्ण ऑडिट ट्रेल का रखरखाव नहीं किया गया था। पर्याप्त नियंत्रण के अभाव में अधिकतम सीमा से अधिक ग्रेच्युटी के भुगतान, पेंशन की दोहरी निकासी और छुट्टी यात्रा रियायत की दोहरी निकासी के मामले देखे गए थे।

**अध्याय-1**  
**सामान्य**



**अध्याय-1: सामान्य**

**1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

1.1.1 वर्ष 2021-22 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़े तालिका 1.1 में उल्लिखित हैं:

**तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 <sup>1</sup>
1.	<b>राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व</b>					
	कर राजस्व	41,099.38	42,581.34	42,824.95	41,913.80	53,377.16
	कर-भिन्न राजस्व	9,112.85	7,975.64	7,399.74	6,961.49	7,394.13
	<b>योग</b>	<b>50,212.23</b>	<b>50,556.98</b>	<b>50,224.69</b>	<b>48,875.29</b>	<b>60,771.29</b>
2.	<b>भारत सरकार से प्राप्तियां</b>					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	7,297.52	8,254.60	7,111.53	6,437.59	9,722.16 <sup>2</sup>
	सहायता अनुदान	5,185.12	7,073.54	10,521.91	12,248.13	7,598.24 <sup>3</sup>
	<b>योग</b>	<b>12,482.64</b>	<b>15,328.14</b>	<b>17,633.44</b>	<b>18,685.72</b>	<b>17,320.40</b>
3	<b>राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)</b>	<b>62,694.87</b>	<b>65,885.12</b>	<b>67,858.13</b>	<b>67,561.01</b>	<b>78,091.69</b>
4	<b>1 की 3 से प्रतिशतता</b>	<b>80.09</b>	<b>76.74</b>	<b>74.01</b>	<b>72.34</b>	<b>77.82</b>


(स्रोत: वित्त लेखे)

<sup>1</sup> राज्य सरकार के वित्त लेखे।

<sup>2</sup> इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,763.35 करोड़ की राशि शामिल हैं।

<sup>3</sup> इसमें वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,908.67 करोड़ की राशि शामिल है।

2017-18 से 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में दर्शाई गई है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 24.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 29.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भारत सरकार से सहायता अनुदान में 46.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विभाज्य संघ करों और शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के हिस्से में 33.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 60,771.29 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 77.82 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियों का शेष 22.18 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के रूप में राज्य का हिस्सा भारत सरकार से मिला था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2017-18 में 80.09 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 77.82 प्रतिशत हो गई।

1.1.2 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण तालिका 1.2 में उल्लिखित हैं।




तालिका 1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 के वास्तविकों पर 2021-22 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	15,608.92 (37.98)	8,998.00 (21.31)	8,397.81 (19.61)	8,660.16 (20.66)	11,220.71 (21.02)	29.57
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	10,833.43 (26.36)	18,612.72 (43.71)	18,872.95 (44.07)	18,235.79 (43.50)	22,922.15 (42.94)	25.70
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	4,966.21 (12.08)	6,041.87 (14.19)	6,322.70 (14.76)	6,864.42 (16.38)	7,933.42 (14.86)	15.57
4.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	4,192.49 (10.20)	5,636.17 (13.23)	6,013.30 (14.04)	5,157.02 (12.30)	7,598.38 (14.24)	47.34
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	2,317.47 (5.64)	20.70 (0.05)	15.85 (0.04)	3.74 (0.01)	5.94 (0.01)	58.82
6.	वाहनों पर कर	2,777.57 (6.76)	2,908.29 (6.83)	2,915.76 (6.81)	2,495.08 (5.95)	3,264.61 (6.12)	30.84
7.	बिजली पर कर एवं शुल्क	306.03 (0.74)	336.92 (0.79)	262.01 (0.61)	476.07 (1.14)	404.36 (0.76)	(-) 15.06
8.	भू-राजस्व	18.07 (0.04)	19.19 (0.05)	20.68 (0.05)	16.60 (0.04)	21.29 (0.04)	28.25
9.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	79.19 (0.19)	7.48 (0.02)	3.89 (0.01)	4.92 (0.01)	6.30 (0.01)	28.05
	<b>योग</b>	<b>41,099.38</b>	<b>42,581.34</b>	<b>42,824.95</b>	<b>41,913.80</b>	<b>53,377.16</b>	<b>27.35</b>
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	20.79	3.61	0.57	(-) 2.13	27.35	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति चार्ट 1.2 में उल्लिखित है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कर राजस्व में ₹ 12,277.78 करोड़ (29.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों के लिए कर राजस्व की औसत प्राप्ति

₹ 44,359.33 करोड़ के साथ इस अवधि के लिए औसत वृद्धि दर 10.04 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में कर राजस्व में 27.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट):** बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम और राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण 2020-21 में ₹ 8,660.16 करोड़ की तुलना में 2021-22 में बढ़कर ₹ 11,220.71 करोड़ हो गया।
- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** राज्य वस्तु एवं सेवा कर की अधिक प्राप्तियों के कारण राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति 2020-21 में ₹ 18,235.79 करोड़ की तुलना में 2021-22 में बढ़कर ₹ 22,922.15 करोड़ हो गई।
- **राज्य उत्पाद शुल्क:** नई उत्पाद शुल्क नीति की शुरुआत तथा उत्पाद शुल्क और लाइसेंस फीस की दरों में वृद्धि के कारण राज्य उत्पाद शुल्क की प्राप्ति 2020-21 में ₹ 6,864.42 करोड़ की तुलना में 2021-22 में बढ़कर ₹ 7,933.42 करोड़ हो गई।
- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस:** 2021-22 में अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद में वृद्धि और वेब हैलरिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से स्टाम्प शुल्क की चोरी में कमी के कारण स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस की प्राप्ति 2020-21 में ₹ 5,157.02 करोड़ की तुलना में 2021-22 में बढ़कर ₹ 7,598.38 करोड़ हो गई।
- **वाहनों पर कर:** पुलिस कर्मियों की तैनाती के बाद बेहतर प्रवर्तन और मोटर वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के कारण वाहनों पर कर की प्राप्ति 2020-21 में ₹ 2,495.08 करोड़ की तुलना में बढ़कर 2021-22 में ₹ 3,264.61 करोड़ हो गई।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** बिजली उपयोगिता के लिए उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की कम वसूली के कारण बिजली पर कर एवं शुल्क की प्राप्ति 2020-21 में ₹ 476.07 करोड़ की तुलना में 2021-22 में घटकर ₹ 404.36 करोड़ हो गई।

1.1.3 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण तालिका 1.3 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 के वास्तविकों पर 2021-22 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	ब्याज प्राप्तियां	2,227.82 (24.45)	1,953.84 (24.50)	1,974.86 (26.69)	1,561.74 (22.43)	1,378.23 (18.64)	(-) 11.75
2.	सड़क परिवहन	1,279.66 (14.04)	1,196.64 (15.00)	1,114.51 (15.06)	585.38 (8.41)	1,077.44 (14.57)	84.06
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	674.03 (7.40)	272.17 (3.41)	457.94 (6.19)	595.47 (8.55)	220.11 (2.98)	(-) 63.04
4.	शहरी विकास	2,861.45 (31.40)	2,315.60 (29.03)	1,855.51 (25.08)	1,953.92 (28.06)	1,240.74 (16.78)	(-) 36.50
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	712.87 (7.82)	583.20 (7.31)	702.25 (9.49)	1,020.95 (14.67)	837.77 (11.33)	(-) 17.94

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 के वास्तविकों पर 2021-22 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	132.43 (1.45)	164.19 (2.06)	171.74 (2.32)	209.67 (3.01)	232.10 (3.14)	10.70
7.	पुलिस	128.69 (1.41)	176.96 (2.22)	179.84 (2.43)	53.51 (0.77)	87.39 (1.18)	63.32
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	165.37 (1.81)	159.93 (2.01)	107.89 (1.46)	65.62 (0.94)	87.83 (1.19)	33.85
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	33.10 (0.36)	28.53 (0.36)	23.07 (0.31)	19.97 (0.29)	16.73 (0.23)	(-) 16.22
10.	विविध सामान्य सेवाएं <sup>4</sup>	251.50 (2.76)	166.03 (2.08)	62.96 (0.85)	131.69 (1.89)	283.99 (3.84)	115.65
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	189.34 (2.08)	195.70 (2.45)	171.89 (2.32)	197.19 (2.83)	221.87 (3.00)	12.52
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	456.59 (5.01)	762.85 (9.56)	577.28 (7.80)	566.38 (8.14)	1,709.93 <sup>5</sup> (23.13)	201.90
<b>योग</b>		<b>9,112.85</b>	<b>7,975.64</b>	<b>7,399.74</b>	<b>6,961.49</b>	<b>7,394.13</b>	<b>6.21</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

<sup>4</sup> अस्वामिक जमा, भूमि तथा संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

<sup>5</sup> लाभांश एवं लाभ - ₹ 1,007.59 करोड़, लोक सेवा आयोग - ₹ 39.64 करोड़, जेल - ₹ 3.62 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान - ₹ 3.19 करोड़, स्टेशनरी एवं मुद्रण - ₹ 1.27 करोड़, लोक निर्माण - ₹ 71.28 करोड़, पेंशन के लिए अंशदान और वसूली - ₹ 43.33 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता - ₹ 58.80 करोड़, आवास - ₹ 12.66 करोड़, सूचना एवं प्रचार - ₹ 0.17 करोड़, श्रम एवं रोजगार - ₹ 42.93 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - ₹ 67.74 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं - ₹ 0.83 करोड़, फसल पालन - ₹ 20.61 करोड़, पशुपालन - ₹ 5.41 करोड़, डेयरी विकास - ₹ 0.01 करोड़, मछली पालन - ₹ 2.78 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण - ₹ 203.23 करोड़, सहकारिता - ₹ 10.43 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम - ₹ 1.24 करोड़, भूमि सुधार - ₹ 0.04 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - ₹ 12.04 करोड़, ग्रामीण एवं लघु उद्योग - ₹ 1.52 करोड़, उद्योग - ₹ 0.07 करोड़, नागरिक विमानन - ₹ 0.43 करोड़, सड़क एवं पुल - ₹ 73.59 करोड़, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान - ₹ 0.01 करोड़, पर्यटन - ₹ 1.18 करोड़, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - ₹ 24.29 करोड़।

2021-22 के दौरान कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का 9.47 प्रतिशत रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 432.64 करोड़ (6.21 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण सड़क परिवहन, विविध सामान्य सेवाओं और अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों की प्राप्तियों में वृद्धि के साथ शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति और शहरी विकास के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी समायोजित की गई है। कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां (18.64 प्रतिशत), शहरी विकास (16.78 प्रतिशत), सड़क परिवहन (14.57 प्रतिशत), अलौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (11.33 प्रतिशत) और अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां (23.13 प्रतिशत) मुख्य अंशदाता हैं और कुल कर-भिन्न राजस्व में 84.45 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **सड़क परिवहन:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि हरियाणा रोडवेज द्वारा बसों के पूर्ण संचालन के कारण हुई।
- **पुलिस:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (63.32 प्रतिशत) कोविड-19 के पश्चात पुलिस सेवाओं के लिए अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।
- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (63.04 प्रतिशत) प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा से केंद्रीय अंश की कम प्राप्तियों के कारण थी।
- **शहरी विकास:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (36.50 प्रतिशत) आवेदनों की कम प्राप्ति और नई किफायती समूह आवास नीति के कारण हुई, जहां लाइसेंस फीस में छूट दी गई थी।

## 1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2022 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 35,639.25 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 6,378.97 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि तालिका 1.4 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 को बकाया राशि	31 मार्च 2022 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	33,063.37	5,364.18	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,046.89 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 66.61 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 84.81 करोड़ की वसूली व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 106.03 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹ 2,977.50 करोड़ परिशोधन/ समीक्षा/एप्लीकेशन के कारण रोके गए थे। ₹ 3,370.45 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी, ₹ 4,793.24 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 1,992.80 करोड़ की वसूली बकाया थी। अंतर्राज्यीय बकाया ₹ 333.18 करोड़ था तथा अंतरजिले बकाया ₹ 85.43 करोड़ थे। ₹ 0.25 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 18,206.18 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों में थी।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 को बकाया राशि	31 मार्च 2022 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
2	राज्य उत्पाद शुल्क	494.11	254.52	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 21.78 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी। ₹ 1.08 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 118.37 करोड़ अंतरराज्यीय तथा अंतर्जिले बकायों के कारण थे। ₹ 352.88 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	410.85	210.88	₹ 409.85 करोड़ की राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल./उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) के उपभोक्ताओं की ओर लंबित थी तथा ₹ 1.00 करोड़ सरकारी परिसमापक के पास लंबित थे।
4	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	208.11	181.26	₹ 182.46 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ. आर.) के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 4.88 करोड़ की वसूली लंबित थी। ₹ 0.07 करोड़ न्यायालय में मुकदमों के कारण लंबित थे, ₹ 0.44 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे। तथा ₹ 20.26 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थे।
5	पुलिस	128.86	40.91	₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम लिमिटेड से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 121.19 करोड़ चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.12	11.11	₹ 8.52 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी; न्यायालय में लंबित मामलों के कारण ₹ 0.21 करोड़ लंबित थे तथा ₹ 2.39 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,322.83	316.11	₹ 517.04 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांग के कारण बकाया थी, ₹ 50.63 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 0.26 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किये जाने के कारण ₹ 384.01 करोड़ लंबित थे। अंतरराज्यीय बकाया ₹ 13.32 करोड़ और अंतरजिला बकाया ₹ 221.84 करोड़ थे। ₹ 0.02 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व का बकाया ₹ 42.48 करोड़ था। कार्रवाई के अन्य चरणों में ₹ 93.23 करोड़ की शेष राशि बकाया थी।
	<b>योग</b>	<b>35,639.25</b>	<b>6,378.97</b>	

(स्रोत: विभागीय आंकड़ा)

### 1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर/वैट के संबंध में प्रस्तुत किए गए, तालिका 1.5 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.5: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2020-21	35,570	3,606	39,176	34,140	5,036	87
	2021-22	5,036	4,240	9,276	3,096	6,180	33

(स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या पिछले वर्ष से बढ़ गई है। यह आगे अवलोकित किया गया कि मामलों के निपटान की प्रतिशतता 33 प्रतिशत थी।

#### 1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के अंतर्गत, विभाग कर अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करता है। आगे, विभाग नए करदाता की पहचान करने के लिए व्यावसायिक परिसरों का सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए रोड साइड चेकिंग भी एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, तालिका 1.6 में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2021 को लंबित मामले	2021-22 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2022 को अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	0	3	3	2	0.01	1
2	राज्य उत्पाद शुल्क	132	61	193	144	9.41	49
	योग	132	64	196	146	9.42	50

(स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई सूचना)

2021-22 के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या में कमी और बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के संबंध में वृद्धि हुई।

#### 1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2021-22 के आरम्भ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड तथा वर्ष 2021-22 के अंत में लंबित मामलों की संख्या तालिका 1.7 में वर्णित हैं।

तालिका 1.7: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	480	119.34	39	2.23
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	707	173.49	82	6.18
3	वर्ष के दौरान किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	749	152.46	88	6.20
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	438	140.37	33	2.21

(स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई सूचना)

बिक्री कर/वैट और राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष के अंत में बकाया मामलों की संख्या में कमी आई है।

वस्तु एवं सेवा कर के रिफंड के मामलों के संबंध में विभाग के पास पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थी।

## 1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 220 यूनिटों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 198 यूनिटों की लेखापरीक्षा की जैसाकि तालिका 1.8 में विस्तृत किया गया है।

तालिका 1.8: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	143	143
राज्य उत्पाद शुल्क	22	22
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	55	33
योग	220	198

अध्याय 2 से 4 में चर्चित अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

## 1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) तैयार किए जाते हैं, जो संबंधित कार्यालय प्रमुखों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रबंधन-पत्र के रूप में सूचित की जाती हैं।

जून 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि जून 2022 के अंत में 3,053 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 11,323.13 करोड़ से आवेष्टित 9,950 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों के साथ तालिका 1.9 में वर्णित है।

तालिका 1.9: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2020	दिसंबर 2021	जून 2022
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,765	2,973	3,053
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	8,695	9,732	9,950
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	10,688.15	11,522.78	11,323.13

1.7.1 जून 2022 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण तालिका 1.10 में वर्णित हैं।

तालिका 1.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	423	4,179	8,561.43
		राज्य उत्पाद शुल्क	239	511	447.07
		माल एवं यात्रियों पर कर	254	465	40.01
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	49	65	12.47
2	राजस्व	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,310	3,506	502.59
		भू-राजस्व	168	240	0.92
3	परिवहन	वाहनों पर कर	492	781	124.80
4	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	13	22	0.93
5	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	105	181	1,632.91
योग			3,053	9,950	11,323.13

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की वृद्धि इस तथ्य को इंगित करती है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सरकार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विभागों की प्रतिक्रियाओं की प्रभावी निगरानी की एक प्रणाली स्थापित करे।

### 1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों और निपटाए गए अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.11 में वर्णित है।

तालिका 1.11: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	5	150	11.83

### 1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2021-22 के दौरान, 16 फाइलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण तालिका 1.12 में उल्लिखित है।

तालिका 1.12: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}		
कुरुक्षेत्र	2021-22	02
कैथल	2021-22	14
योग		16

(स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा)



#### 1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा उपलब्धियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने और छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों के अंत में दर्शाया जाता है।

अक्टूबर 2022 और जून 2023 के मध्य कुल 23 प्रारूप अनुच्छेदों {एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.) और एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा सहित} को संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास भेजा गया था। इन मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है; तथापि, सरकार के साथ आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई चर्चाओं को प्रतिवेदन में सही स्थान पर उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

#### 1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में पुनः दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर सरकार द्वारा लोक लेखा समिति के विचार हेतु इस पर कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित कुल 17 अनुच्छेद शामिल थे, को 8 अगस्त 2022 को राज्य विधान सभा के समक्ष रखा गया था। हालांकि, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए दो विभागों के 17 अनुच्छेदों (आबकारी एवं कराधान: 11 और राजस्व: छः), जैसाकि **परिशिष्ट-I** में वर्णित है, के संबंध में अब तक (20 जनवरी 2023) कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 27 अनुच्छेदों पर लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा की जानी है (20 जनवरी 2023)। **परिशिष्ट-II** और **परिशिष्ट-III** में यथा उल्लिखित लोक लेखा समिति की 22वीं से 84वीं रिपोर्ट में निहित 1979-80 से 2016-17 की अवधि से संबंधित 924 सिफारिशों में संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई की जानी थी, वह अभी तक लंबित थी।

#### 1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में मोटर वाहनों पर कर के अंतर्गत परिवहन विभाग के निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है।

### 1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान परिवहन विभाग को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2022 को उनकी स्थिति **परिशिष्ट IV** में उल्लिखित है।

31 मार्च 2022 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2012-13 में 270 से 2021-22 में 471 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2012-13 में 360 से 2021-22 में 786 तक बढ़ गई थी। अवधि के दौरान कोई लेखापरीक्षा समिति की बैठक (ए.सी.एम.) परिवहन विभाग से संबंधित नहीं की गई थी। सरकार को भविष्य में लंबे समय से लंबित अनुच्छेदों के निपटान हेतु लेखापरीक्षा समिति बैठकें करनी चाहिए।

### 1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूली की गई राशि की स्थिति **परिशिष्ट-V** में दी गई है।

गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति कम (5.19 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

## 1.9 लेखापरीक्षा योजना

हरियाणा राज्य में कुल 393 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2021-22 के दौरान 104 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

### 1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

#### वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित 104 यूनिटों (राजस्व 102 + व्यय 2) के अभिलेखों की वर्ष 2021-22 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,552 मामलों में कुल ₹ 1,103.94 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 1,077 प्रकरणों में शामिल ₹ 643.07 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2021-22 के दौरान 64 मामलों में ₹ 3.52 करोड़ वसूल किए, जिनमें से ₹ 3.35 करोड़ की राशि के 39 मामले पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

### 1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 724.46 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित 16 प्रारूप अनुच्छेद, वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर दूसरी विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 629.34 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 0.14 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 5 में चर्चा की गई है।



**अध्याय-2**  
**बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट**



## अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

### 2.1 कर प्रबंधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. एक्ट) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है, अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ए.ई.टी.सी.), संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

### 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2021-22 में वैट/बिक्री कर-निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से संबंधित 46 इकाइयों में से 15 (13 राजस्व एवं दो व्यय) के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी। कुल 86,191 कर-निर्धारण मामलों में से 28,627 की लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा में 578 मामलों में ₹ 1,008.36 करोड़ की राशि के कर के अवनिर्धारण/अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	1	678.22
2.	कर का अवनिर्धारण	93	28.77
3.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	28	7.56
4.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	59	33.37
5.	इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनियमित/गलत/ अधिक अनुमति	231	211.45
6.	अन्य अनियमितताएं	150	48.80
	<b>कुल (I)</b>	<b>562</b>	<b>1,008.17</b>
व्यय			
1.	अन्य अनियमितताएं	16	0.19
	<b>कुल (II)</b>	<b>16</b>	<b>0.19</b>
	<b>कुल योग (I+II)</b>	<b>578</b>	<b>1,008.36</b>

विभाग ने 12 मामलों में आवेष्टित ₹ 581.34 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थी। विभाग ने वर्ष 2021-22 में 13 मामलों (सभी मामले पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित) में ₹ 0.33 करोड़ वसूल किए।

₹ 691.00 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

### 2.3 कर योग्य वस्तुओं को कर मुक्त के रूप में मानते हुए गलत कटौती की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर योग्य वस्तुओं के बजाय कर मुक्त बिक्री के रूप में कटौती की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.99 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 4.77 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

वस्तुओं पर कराधान की दरें हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम की अनुसूची ए से जी के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अधीन, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी वस्तु 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राह्य है। आगे, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), पंचकुला, पानीपत और सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2020 और जनवरी 2022 के मध्य) से पता चला कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए तीन डीलरों के तीन मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2019 और मार्च 2021 के मध्य) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची सी के अनुसार 5.25 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुओं के बजाय कर मुक्त बिक्री के रूप में कटौती की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.99 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 4.77 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, पंचकुला ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जून 2023) कि डीलर का मामला मई 2022 में स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी, पानीपत ने सूचित किया कि मामला पुनर्निर्धारण के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था और पुनर्निर्धारण के बाद ₹ 10.61 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की जा चुकी है। कर-निर्धारण प्राधिकारी, सोनीपत ने तथ्यों को स्वीकार किया और जून 2023 में बताया कि डीलर को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी किए गए हैं।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

### 2.4 कम सकल टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय ₹ 36.61 करोड़ के बजाय ₹ 27.97 करोड़ के सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.)/कर योग्य टर्नओवर (टी.टी.ओ.) पर मामलों का कर-निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

कर का भुगतान करने की देयता कर योग्य टर्नओवर पर होती है। कर योग्य टर्नओवर वह



निवल राशि है जो सकल टर्नओवर से निर्धारित कटौती करने के बाद बचती है।

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), पानीपत और गुरुग्राम (दक्षिण) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2021 और दिसंबर 2021 के मध्य) से पता चला कि दो मामलों में कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2019 और अक्टूबर 2019 के मध्य), कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 36.61 करोड़ के बजाय ₹ 27.97 करोड़ के कम कर योग्य टर्नओवर पर मामलों का कर-निर्धारण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर-निर्धारण के लिए कर योग्य टर्नओवर को ₹ 8.64 करोड़ तक कम लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, पानीपत ने सूचित किया कि मामले का पुनर्निर्धारण किया गया था और ₹ 28.01 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा वसूली प्रगति पर थी। गुरुग्राम (दक्षिण) ने मामले को स्वीकार किया और बताया (जून 2023) कि फर्म राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण/परिसमापन के अधीन है तथा पुनर्निर्धारण के लिए परिसमापक के पास नोटिस भेज दिया गया है।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

### 2.5 स्टॉक हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक लाभ की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, स्टॉक हस्तांतरण/प्रेषण बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापसी दावे को गलत वापस कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.04 लाख की कम इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी हुई।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, किसी वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी सामान के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। बिक्री के अलावा किसी अन्य तरीके से निपटाए गए माल पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है। यदि राज्य में खरीदे गए माल का उपयोग या निपटान आंशिक रूप से बिक्री के माध्यम से और आंशिक रूप से स्टॉक हस्तांतरण द्वारा किया जाता है, तो ऐसे माल के संबंध में स्वीकार्य इनपुट टैक्स की गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), पानीपत और गुरुग्राम (दक्षिण) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2021 और दिसंबर 2021 के मध्य) ने दर्शाया कि दो डीलरों का सकल टर्नओवर ₹ 275.25 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसमें से ₹ 232.12 करोड़ मूल्य का सामान उनके द्वारा फॉर्म 'एफ'\* के विरुद्ध हस्तांतरित किया गया था। इन हस्तांतरित सामान में 2015-16 और 2017-18 के दौरान ₹ 1.13 करोड़ के वैट के

\* फॉर्म 'एफ' का उपयोग अन्य राज्यों में शाखाओं/एजेंटों को माल का हस्तांतरण (कर का भुगतान किए बिना) करने के लिए किया जाता है।

भुगतान के बाद हरियाणा के भीतर खरीदे गए ₹ 24.08 करोड़ मूल्य के सामान शामिल थे। हरियाणा में स्थानीय खरीद सहित इन दो डीलरों द्वारा की गई कुल खरीद ₹ 209.07 करोड़ थी। इस प्रकार, डीलरों द्वारा की गई कुल ₹ 184.99 करोड़ की खरीद ऐसी थी जिस पर हरियाणा में कोई कर नहीं चुकाया गया था और इसलिए वे इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य नहीं थे। हालांकि, यह देखा गया कि कानून के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, अनुमत इनपुट टैक्स क्रेडिट को आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया गया था और ₹ 28.04 लाख की सीमा तक अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी गई थी।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (दक्षिण) ने सूचित किया कि मामले का पुनर्निर्धारण किया गया था और ₹ 19.22 लाख की आपत्ति की गई राशि के विरुद्ध ₹ 14.10 लाख की राशि वापस की गई थी। कम वापसी होने के कारण उपलब्ध नहीं थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, पानीपत ने सूचित किया कि डीलर को पुनर्निर्धारण के लिए नोटिस जारी किए जा चुके थे।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

## 2.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण अधिक लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अंतरराज्यीय बिक्री के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.91 लाख का अधिक लाभ अनुमत किया गया।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के साथ पठित अनुसूची 'ई', प्रविष्टि 3(बी) के अनुसार, जब माल अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है तो इनपुट टैक्स राज्य में इस तरह के सामान की खरीद पर वास्तव में भुगतान किए गए कर की राशि या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की सीमा तक, जो भी कम हो, स्वीकार्य है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), पानीपत के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2021) ने दर्शाया कि एक डीलर ने ₹ 2.51 करोड़ की खरीदारी दिखाई थी और खरीद मूल्य पर ₹ 35.03 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री के कारण ₹ 10.91 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किया जाना था। वर्ष 2015-16 के लिए कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 2019), कर-निर्धारण प्राधिकारी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न लेने के कारण ₹ 10.91 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ अनुमत किया गया।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (जून 2023) कि मामले का पुनर्निर्धारण किया गया है और ₹ 10.91 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी होने के बाद अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।

जून 2023 में आयोजित एगिजट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

### 2.7 प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के बेमेल होने पर कर के अनुद्ग्रहण के कारण कर का अपवंचन

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में बिक्री के विवरण को सत्यापित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.11 लाख के कर का अपवंचन हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात, राज्य से बाहर निर्यात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, जो कर उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना देय है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की राशि की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा एवं सही स्वीकार कर लिया जाता।

निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), अंबाला और सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2021 और जनवरी 2022 के मध्य) ने दर्शाया कि तीन डीलरों के मामलों में, निर्धारण वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक पिछले वर्ष के अंतिम स्टॉक के साथ मेल नहीं खाता। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में बिक्री के विवरण को सत्यापित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.11 लाख के कर का अपवंचन हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, एक मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला ने सूचित किया (जून 2023) कि रिमांड मामले का फैसला किया गया था और अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। एक मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, सोनीपत ने सूचित किया (जून 2023) कि पुनर्निर्धारण तैयार किया गया है और अतिरिक्त मांग सृजित की गई है। एक अन्य मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, सोनीपत ने सूचित किया (जून 2023) कि डीलर को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी किया गया था।

जून 2023 में आयोजित एगिजट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

### 2.8 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर का देरी से भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 96.40 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) के साथ पठित हरियाणा मूल्य वर्धित कर

अधिनियम, 2003 की धारा 14(6) अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान 90 दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक 90 दिनों से अधिक जारी रहती है, की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि इस अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रह्य ब्याज उस कर, जिस पर ऐसा ब्याज प्रभारित किया गया है, का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने पर कर या पेनल्टी की राशि से अधिक नहीं होगा।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2021 और फरवरी 2022 के मध्य) ने दर्शाया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), सोनीपत और जगाधरी के पांच डीलरों ने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया था। जबकि वर्ष 2016-17 के लिए कर-निर्धारण तैयार करते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारी, सोनीपत ने तीन मामलों में ब्याज उद्ग्रहण नहीं किया और एक मामले में कम ब्याज उद्ग्रहण किया था। इसी प्रकार, कर-निर्धारण प्राधिकारी, जगाधरी कर का भुगतान न करने पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इस प्रकार, एक मामले में कम ब्याज उद्ग्रहण करने और चार मामलों में ब्याज का उद्ग्रहण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 96.40 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, सोनीपत और जगाधरी ने बताया (जून 2023) कि मूल आदेशों को संशोधित किया गया था और ब्याज उद्ग्रहीत किया गया था।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

## **2.9 वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा**

### **2.9.1 प्रस्तावना**

केंद्र और राज्यों द्वारा उद्ग्रहीत और एकत्र किए जाने वाले कई करों का स्थान वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की प्रस्तावना ने ले लिया है। वस्तु एवं सेवा कर, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, प्रत्येक मूल्यवर्धन पर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र एवं राज्य एक साथ समान कर आधार पर वस्तु एवं सेवा कर का उद्ग्रहण करते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी.) राज्य के भीतर आपूर्ति पर उद्ग्रहीत किया जाता है, और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) अंतरराज्यीय आपूर्ति पर उद्ग्रहीत किया जाता है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर (एच.जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017 की धारा 59 वस्तु एवं सेवा

कर को स्व-निर्धारण-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अनुसार कर देयता की गणना, गणना की गई कर देयता का निर्वहन और रिटर्न फाइल करने का उत्तरदायित्व करदाता पर निहित है। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न कॉमन वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन फाइल किया जाना चाहिए, अन्यथा जुर्माना देय होगा। भले ही किसी विशेष कर अवधि के दौरान बिजनेस पर कोई कर देय न हो, उसे अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न फाइल करनी होगी। आगे, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61, यह निर्धारित करती है कि उचित अधिकारी द्वारा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जांच की जाए और करदाताओं को विसंगतियों के बारे में सूचित करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) कर अनुपालन के लिए संकल्पित नियंत्रण तंत्र और इस नई कर व्यवस्था में विभाग के निगरानी तंत्र के महत्व पर विचार करते हुए प्रारंभ की गई थी।

### 2.9.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख थी। 'वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी कि:

- i. क्या नियम और प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- ii. क्या विभाग की फील्ड कार्यालयों की जांच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

### 2.9.3 लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर आयोजित की गई थी, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया। डेटा विश्लेषण के माध्यम से, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण और रिटर्न फाइलिंग डोमेन पर 15 विचलनों की पहचान की गई थी। इस तरह के विचलनों का केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा<sup>1</sup> के माध्यम से अनुपालन किया गया था, जिससे इन विचलनों को संबंधित राज्य के विभागीय फील्ड गठनों को सूचित किया गया था और पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार गठनों द्वारा की गई कार्रवाई को फील्ड विजिटों को शामिल किए बिना सुनिश्चित किया गया। केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा को विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरक किया गया था जिसमें क्षेत्राधिकार फील्ड गठनों में उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के

<sup>1</sup> केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाता के विस्तृत रिकॉर्ड जैसे वित्तीय विवरण से संबंधित बही-खाता, बीजक, अनुबंध आदि की मांग करना भी शामिल नहीं था।

लिए फील्ड विजिट शामिल थे। रिटर्न तथा संबंधित अनुलग्नकों और जानकारी को [boweb.internal.gst.gov.in](http://boweb.internal.gst.gov.in) पर करदाताओं से संबंधित आंकड़ों/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न और अन्य विभागीय कार्य) की जांच करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के एप्लिकेशन के बैक-एंड सिस्टम के माध्यम से एक्सेस किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं से संबंधित फील्ड गठनों के माध्यम से बीजक जैसे प्रासंगिक विस्तृत अभिलेखों तक पहुंच भी शामिल थी। इसके अलावा, चयनित विभागीय फील्ड गठनों में रिटर्न की जांच जैसे विभागीय गठन के अनुपालन कार्यों की भी संवीक्षा की गई थी।

विभाग द्वारा रिटर्न की जांच और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि को शामिल किया गया, जबकि चयनित विभागीय फील्ड गठनों के कार्यों की लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2020-21 की अवधि को शामिल किया गया। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया। फील्ड लेखापरीक्षा सितंबर से नवंबर 2022 तक आयोजित की गई थी।

फील्ड लेखापरीक्षा प्रारंभ करने से पहले, 22 फरवरी 2022 को अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त के साथ एंटी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई थी। प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 27 जून 2023 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। प्रारूप रिपोर्ट के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

#### 2.9.4 लेखापरीक्षा नमूना

नियोजन के साथ ही वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक सेट शामिल था जिसमें फील्ड विजिट शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना जिसमें फील्ड विजिट और विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जांच शामिल थी; और विभाग के फील्ड गठनों के अनुपालन कार्यों के निर्धारण के लिए विभाग के फील्ड गठनों का नमूना भी शामिल था।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के तीन अलग-अलग भाग निम्नानुसार थे:

##### (i) भाग I - विभागीय फील्ड गठनों की लेखापरीक्षा (उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त)

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए मामलों के एक से अधिक चयनित नमूनों पर क्षेत्राधिकार वाले नौ<sup>2</sup> विभागीय फील्ड गठनों को उनके निगरानी कार्यों के निर्धारण के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नमूने के रूप में माना गया था।

<sup>2</sup> अंबाला, फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), गुरुग्राम (पश्चिम), सिरसा और सोनीपत।

**(ii) भाग II - केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा**

विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के निर्धारण के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों के अनुसार उच्च-मूल्य अथवा उच्च-जोखिम विचलनों और रिटर्नों के मध्य विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया था। तदनुसार, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में 15 आयामों के अनुसार केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए 428 करदाताओं का चयन किया गया था।

**(iii) भाग III - विस्तृत लेखापरीक्षा**

करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए विभाग के फील्ड गठनों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों को एक्सेस करके विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। 'विस्तृत लेखापरीक्षा' के लिए करदाताओं का नमूना इनपुट टैक्स क्रेडिट में असंगति, कर देयता में असंगति, कुल टर्नओवर के अनुपातहीन छूट वाले टर्नओवर और अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर चुना गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए नौ जिलों से बड़े, मध्यम और छोटे स्तर<sup>3</sup> के करदाताओं को मिलाकर 38 करदाताओं का चयन किया गया था।

**2.9.5 लेखापरीक्षा मानदंड**

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान तालिका 2.2 में दिए गए हैं।

**तालिका 2.2: मानदंड का स्रोत**

क्र.सं.	विषय	अधिनियम एवं नियम
1	उद्ग्रहण और संग्रहण	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5(3)
3	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेना और उसका उपयोग करना	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21; हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय V के अंतर्गत नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 22 से 25; हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 8 से 26
5	कर का भुगतान	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत धारा 49 से 53; हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
6	वस्तु एवं सेवा कर की रिटर्न फाइल करना	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत धारा 37 से 47; हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 और 80 से 81. हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों का भाग-बी रिटर्न का प्रारूप निर्धारित करता है।
7	निर्धारण एवं लेखापरीक्षा कार्य	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय XII और XIII के अंतर्गत धारा 61, 62, 65 और 66; हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102

<sup>3</sup> विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूने में से बड़े स्तर के 61 प्रतिशत करदाताओं का टर्नओवर ₹ 20 करोड़ से अधिक, मध्यम स्तर के 29 प्रतिशत करदाताओं का टर्नओवर ₹ तीन करोड़ एवं ₹ 20 करोड़ के मध्य और छोटे स्तर के 10 प्रतिशत करदाताओं का टर्नओवर ₹ तीन करोड़ से कम था।

इसके अतिरिक्त, रिटर्न फाइल करने, विभिन्न रिटर्न फाइल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, रिटर्न फाइल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, माल और सेवाओं पर कर की दरों, कर भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना और उसका उपयोग करना, रिटर्न की जांच और कर अनुपालन की निगरानी से संबंधित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.)/आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र और मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जिसमें रिटर्न फाइल करने, रिटर्न की जांच, लेखापरीक्षा, पंजीकरण निरस्त करने और कर अनुसंधान इकाई (टी.आर.यू.) रिपोर्ट आदि के सत्यापन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय कार्यालयों को निर्देश शामिल हैं लेखापरीक्षा मानदंड का भी हिस्सा बने।

### 2.9.6 लेखापरीक्षा की उपलब्धियां

लेखापरीक्षा उपलब्धियों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. रिटर्न फाइल करने पर निगरानी
2. कर भुगतान पर निगरानी

### 2.9.7 रिटर्न फाइल करने पर निगरानी

रिटर्न एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाता द्वारा की गई बिजनेस गतिविधि से संबंधित निर्दिष्ट विशेष का एक विवरण है। प्रत्येक करदाता एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता और निर्धारित समय के भीतर भुगतान किए गए करों की घोषणा करते हुए एक पूर्ण और सही रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। स्व-निर्धारण व्यवस्था में, करदाताओं द्वारा रिटर्न फाइल करने की निगरानी का महत्व अधिक हो जाता है क्योंकि रिटर्न करदाताओं और उनसे संबंधित व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

#### 2.9.7.1 रिटर्न फाइल करने पर निगरानी तंत्र

नमूने के रूप में चुने गए नौ<sup>4</sup> उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कामकाज से संबंधित लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा रिटर्न फाइल करने पर निगरानी तंत्र को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि लेखापरीक्षा को न तो अभिलेख और न ही आंकड़े प्रदान किए गए थे। हरियाणा राज्य के लिए boweb.internal.gst.gov.in के माध्यम से एम.आई.एस. रिपोर्ट से डेटा निकालने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-21 में 41,617 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल न करने वालों में से 26,772 पर कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3ए नोटिस केवल 14,845 रिटर्न फाइल न करने वालों को जारी किए गए थे। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न फाइल न करने वालों को नोटिस जारी करने और उसके बाद उक्त व्यक्ति के उचित अधिकारी द्वारा कर देयता के निर्धारण सहित निगरानी तंत्र सभी उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में राजस्व की सुरक्षा के लिए कम था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2023), विभाग ने आश्वासन दिया कि उत्तर लेखापरीक्षा को

<sup>4</sup> अंबाला, फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), गुरुग्राम (पश्चिम), सिरसा और सोनीपत।



प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2024)।

### 2.9.7.2 रिटर्न फाइल न करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

#### राज्य स्तर पर समय स्थिति

क. **उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की लेखापरीक्षा का परिणाम:** हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 में प्रावधान है कि यदि करदाता नियत तिथि के भीतर रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में पंद्रह दिनों के भीतर रिटर्न फाइल करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा। यदि करदाता ऐसे नोटिस के बाद भी रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है और फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 में निर्धारण आदेश जारी कर सकता है। रिटर्न फाइल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यो की नियत तिथि एक ही है, जिसका अर्थ है रिटर्न फाइल न करने वालों के मामले में कर/जुर्माने का भुगतान न करने का जोखिम।

boweb.internal.gst.gov.in पर एम.आई.एस. रिपोर्ट पर उपलब्ध डेटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि विभाग ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए राज्य में रिटर्न फाइल न करने वालों के 41,617 मामलों की पहचान की थी। तथापि, 2019-20 तक रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और 2020-21 में केवल 14,845 मामलों में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए नोटिस जारी किए गए। कई अनुरोधों के बाद भी, ए.एस.एम.टी.-13 जारी करने से संबंधित डेटा या अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

यह इंगित किए जाने पर (मई 2023), विभाग ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर दिया (जून 2023) कि कर अनुसंधान इकाई (टी.आर.यू.) विंग द्वारा पहचाने गए सभी करदाताओं, जिन्होंने मार्च 2022 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, को विभिन्न निरस्तीकरण अभियान द्वारा सफलतापूर्वक निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने यह भी बताया कि boweb.internal.gst.gov.in पोर्टल से लिया गया डेटा सटीक नहीं है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह केवल कर अनुसंधान इकाई विंग द्वारा पहचाने गए करदाताओं को निरस्त करने के बारे में बताता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता ने कर देयताओं का निर्वहन किया है, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 के अंतिम रिटर्न को बाद में फाइल करने के मामले को पहचाना नहीं गया है। आगे, ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 फाइल नहीं की गई थी, विभाग को रिटर्न फाइल न करने वालों के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपना अपेक्षित था। इसके अलावा, विभाग के रुख के संबंध में कि boweb.internal.gst.gov.in पोर्टल से लिया गया डेटा सटीक नहीं था, विभाग ने कोई प्रमाण नहीं दिया जो डेटा के सटीक न होने के दावे को प्रमाणित कर सके।

विभाग से एंटी कॉन्फ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा के संचालन हेतु मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने

का अनुरोध किया गया था। लेखापरीक्षा ने विभाग से विशेष रूप से ए.एस.एम.टी.-13 के बारे में जानकारी मांगी थी। कई अनुस्मारकों के बावजूद, ए.एस.एम.टी.-13 से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जून 2023 में एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग से सभी लंबित लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने का पुनः अनुरोध किया गया था। तथापि, अनुरोधित अभिलेख प्रदान नहीं किए गए थे (जून 2024)।

अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए रिटर्न फाइल न करने वालों/देर से रिटर्न फाइल करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विभाग द्वारा अपनाए गए समग्र तंत्र पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

### 2.9.7.3 पंजीकरण निरस्त करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 20 के साथ पठित हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29, करदाता द्वारा कुछ परिस्थितियों जैसे बिजनेस का बंद होना, टर्नओवर का पंजीकरण की सीमा से कम होना, बिजनेस का स्थानांतरण/विलय/ एकीकरण, स्थाई खाता संख्या में बदलाव, निर्धारित समय अवधि के भीतर बिजनेस शुरू न होना और मालिक की मृत्यु होने पर पंजीकरण निरस्त करने की अनुमति देती है। पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को 'निरस्तीकरण की गारंटी देने वाली घटना के घटित होने' के 30 दिनों की अवधि के भीतर वस्तु एवं सेवा कर सामान्य पोर्टल पर आर.ई.जी.-16 में आवेदन करना चाहिए।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29(2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन, कंपोजिशन करदाताओं द्वारा लगातार तीन कर अवधियों के लिए रिटर्न फाइल न करने, सामान्य करदाता लगातार छः माह की अवधि तक रिटर्न फाइल न करने, पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण की तिथि से छः माह के भीतर बिजनेस शुरू न करने और धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों को छिपाकर पंजीकरण प्राप्त करने के आधार पर कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वतः निरस्त करने की अनुमति प्रदान करती है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अनुसार (क) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या (ख) कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति (धारा 10) या (ग) धारा 51-कर संग्रह स्रोत (टी.सी.एस.) के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों या धारा 52-स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों, जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, से अन्य प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि या निरस्तीकरण आदेश की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन माह के भीतर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 में अंतिम रिटर्न फाइल करनी अपेक्षित है। अंतिम रिटर्न का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता बकाया देयता का निर्वहन कर दे। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 फाइल न करने के मामले में, कर अधिकारी को उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो किसी भी रिटर्न को फाइल न करने के लिए अपनाई जाती है।

चयनित नौ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के संबंध में [boweb.internal.gst.gov.in](http://boweb.internal.gst.gov.in) पोर्टल

पर उपलब्ध डेटा के अनुसार लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान 49,380 पंजीकृत व्यक्तियों ने पंजीकरण निरस्त करने का अनुरोध किया था। इसी अवधि के दौरान, विभाग ने 55,990 पंजीकरणों को स्वतः निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया था। ऐसे कुल 1,05,370 निरस्तीकरण मामलों में से 90,231 मामलों में पंजीकरण निरस्त करने और स्वतः संज्ञान निरस्त करने के आदेश जारी किए गए, 7,290 मामलों में कार्यवाही बंद कर दी गई और 7,849 मामलों में कार्रवाई लंबित थी। तथापि, इस डेटा के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था।

यह जांच करने के लिए कि क्या निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों ने आवेदन की तिथि तक अपना रिटर्न फाइल किया था, करदाताओं के 49,380 मामलों में से चयनित नौ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 54 मामलों का नमूना चुना गया। यह पाया गया कि जिन आवेदकों ने निरस्तीकरण के लिए अनुरोध किया था, उन्होंने आवेदन की तिथि तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया था और आवेदन करने से पहले अपनी देयताओं का पूरा भुगतान कर दिया था। आवेदन की तिथि के बाद, करदाताओं के डेटाबेस में कोई और लेनदेन दिखाई नहीं दे रहा था।

आगे, निरस्त किए गए मामलों में फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 के लिए विभाग द्वारा कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई समग्र प्रणाली तथा ऐसे निरस्तीकरण मामलों के विरुद्ध लंबित कार्रवाई पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

यह इंगित किए जाने पर (मई 2023), एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया (जून 2023) कि वे मामले की जांच करेंगे।

#### **2.9.7.4 कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों पर कार्रवाई का अभाव**

**उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की लेखापरीक्षा के परिणाम:**

**कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों का अनुपालन न करना**

(i) आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा ने वस्तु एवं सेवा कर डेटा का अध्ययन, व्याख्या और विश्लेषण करने और विभाग के अनुसार विभिन्न हितधारकों के साथ परिणाम साझा करने के उद्देश्य से कर अनुसंधान इकाई (टी.आर.यू.) का गठन किया। कर अनुसंधान इकाई ने कई पहचाने गए जोखिम मापदंडों के आधार पर करदाताओं पर रिपोर्ट तैयार करके काम करना शुरू कर दिया। कर अनुसंधान इकाई करदाताओं की सूची तैयार करने के लिए उत्तरदायी थी जिसे बाद में विभाग द्वारा जांच के लिए लिया गया था। फील्ड कार्यालयों अर्थात् उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को ऐसी रिपोर्टों पर कार्रवाई करनी अपेक्षित थी। संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा उचित सत्यापन के बाद, अनुपालन को वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर अपलोड करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कर अनुसंधान इकाई विंग ने वर्ष 2017-18 के लिए 6,423 मामले, 2018-19 के लिए 2,937 मामले और 2019-20 के लिए 3,732 मामले उप-आबकारी एवं

कराधान आयुक्तों के पास संवीक्षा के लिए भेजे थे। वर्ष 2017-18 के लिए 6,423 जांच मामलों में 98 करदाता शामिल थे जिन्हें केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूने में भी शामिल किया गया था। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए जांच के लिए चुने गए मामलों में से केवल 24.90 प्रतिशत और 4.62 प्रतिशत मामले ही बंद किए गए थे। वर्ष 2019-20 के जांच के मामले मई 2023 में कर अनुसंधान इकाई विंग द्वारा साझा किए गए थे और उन पर बाद में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया (जून 2023) कि कर अनुसंधान इकाई विंग द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों के आधार पर विभाग ने फर्जी/गैर-मौजूद करदाताओं, रिटर्न फाइल न करने वालों आदि पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर-राज्य की खुफिया इकाई (आई.यू.) द्वारा अप्रैल 2021 से आज तक (जून 2023) ₹ 369.34 करोड़ की वसूली की गई।

तथापि विभाग ने अप्रैल 2021 से कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए कर अनुसंधान इकाई विंग द्वारा जांच के लिए सूचित मामलों को लिया जाए और प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए क्योंकि वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी करने की समय-सीमा 30 सितंबर 2023 है।

## (ii) अभिलेखों का रखरखाव

कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों पर सत्यापन और कार्रवाई के लिए फील्ड गठनों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण उपाय है। सभी नौ नमूना उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में, कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों के सत्यापन से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस प्रकार, लेखापरीक्षा कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों पर नमूना उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा किए गए सत्यापन की गुणवत्ता और सीमा पर प्रणालीगत आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

### 2.9.8 कर भुगतानों की निगरानी

अनुपालन जोखिम प्रबंधन सक्रिय कार्रवाई की मांग करने वाली सतत प्रक्रिया है। रिटर्न फाइल करने और कर प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी के साथ, न केवल विभिन्न स्तरों पर कर भुगतान पर निगरानी रखी जा सकती है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा दखल न देने वाला और बेहतर लक्षित भी हो सकता है। लेखापरीक्षा उपलब्धियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

#### 2.9.8.1 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियां - केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जी.एस.टी.एन. द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न

के मध्य नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 15 मापदंडों के सेट पर की गई, जिन्हें मुख्य तौर पर दो डोमेन अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तेरह निर्धारित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न<sup>5</sup> में से सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल रिटर्न पर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न/डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और मेल न होने की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था:

- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1: माल और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न तथा इसमें माल और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी: हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ दावा किए गए बाहरी आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश रिटर्न फाइल किया जाना है। यह वह रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को पोप्युलेट करता है।
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 6: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मासिक रिटर्न जो उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 8: ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न, जिन्हें अक्टूबर 2018 में शुरू किए गए वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत स्रोत पर एकत्र कर (टी.सी.एस.) में कटौती करना अपेक्षित है।
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आई.एस.डी.), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा फाइल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न। इस दस्तावेज में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के साथ-साथ टर्नओवर और लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फार्म। यह मूल रूप से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में फाइल वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के मध्य एक समाधान विवरण है।

<sup>5</sup> वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4 (कंपोजिशन योजना के अनुसार करदाता), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-5ए (अनिवासी ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति (ओ.आई.डी.ए.आर.) सेवा प्रदाता), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 (इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-7 (टी.डी.एस. काटने वाले करदाता), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (वार्षिक रिटर्न), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 (अंतिम रिटर्न), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-11 (यूआईएन रखने वाला और रिफंड का दावा करने वाला व्यक्ति), कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन (सी.एम.पी.)-08, और इनपुट टैक्स क्रेडिट-04 (किसी जॉब-वर्कर को भेजे गए/प्राप्त किए गए सामान के विवरण के बारे में प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा फाइल किया जाने वाला विवरण)।

- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का सिस्टम-जनरेटेड विवरण है। इसमें उनके वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1/5 फॉर्म में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेन का विवरण, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-7 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 से विवरण और एंटी बिल पर विदेशों से माल के आयात का विवरण शामिल है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आईसीईजीएटीई पोर्टल से प्राप्त हुआ है।

पंद्रह पहचाने गए मापदंडों और देखे गए विचलनों/असंगतियों की सीमा (परिशिष्ट-VI) पर राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित नमूना मामलों का अखिल-हरियाणा डेटा विश्लेषण तालिका 2.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.3: अखिल-हरियाणा डेटा विश्लेषण का सारांश

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
<b>डोमेन: इनपुट टैक्स क्रेडिट</b>				
1	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	अपने सभी संशोधनों के साथ वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए के अंतर्गत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना तालिका-4ए(5) में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (घरेलू आपूर्ति पर अर्जित) के साथ की गई थी, तालिका-4बी(2) में रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसमें आगामी वर्ष 2018-19 से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका-8सी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी शामिल किया गया था।	50	536.77
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में कर का भुगतान	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, तालिका-3.1(डी) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9, तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं था, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के भीतर जांच प्रतिबंधित थी, तालिका-4ए(2) और 4ए(3) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में तालिका-3.1(डी) में कर का निर्वहन किया गया था।	50	39.67
3	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9, तालिका 4जी (देय कर) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9, तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं था, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, तालिका-3.1(डी) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, तालिका-4ए(2) और 4ए(3) से की गई थी।	20	7.12
4	इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9, तालिका-6जी या वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, तालिका 4ए(4) में हस्तांतरित इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तुलना प्राप्तकर्ता वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका-9ए के योग से की गई थी।	25	18.45
5	गलत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट रिवर्सल	प्राप्तकर्ताओं के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9, तालिका-7बी/7एच की तुलना उनके वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 रिटर्न की तालिका-8ए (केवल ऋणात्मक आंकड़े) और तालिका 9ए (केवल ऋणात्मक आंकड़े) के योग से की गई थी।	5	0.05
6	वित्तीय विवरणों में खर्चों के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी, तालिका-14टी में धनात्मक आंकड़े और बेमेल के लिए तालिका-15 में दिए गए कारणों की जांच	25	1,970.43

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
<b>डोमेन: इनपुट टैक्स क्रेडिट</b>				
7	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के मध्य प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी, तालिका-12एफ में धनात्मक आंकड़े और बेमेल के लिए तालिका-13 में दिए गए कारणों की जांच	25	261.14
8	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मेल न होना	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी, तालिका-5आर में ऋणात्मक आंकड़े और बेमेल के लिए तालिका-6 में दिए गए कारणों की जांच	50	3,995.41
9	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मेल न होना	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी, तालिका-7जी में ऋणात्मक आंकड़े और बेमेल के लिए तालिका-8 में दिए गए कारणों की जांच	29	594.19
10	लेखा-बहियों और रिटर्न के मध्य भुगतान किए गए कर में मेल न होना	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी, तालिका-9आर में ऋणात्मक आंकड़े और बेमेल के लिए तालिका-10 में दिए गए कारणों की जांच	50	131.77
11	गैर-निपटान देयताएं	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 (तालिका 4 से 11) और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (तालिका- 4एन, 10 और 11) के मध्य कर देयता की अधिकता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किए गए कर विवरण से की गई। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं थी, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी कर भुगतान की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 देयता से की गई। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 एवं 9 में घोषित संशोधन एवं अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	25	557.31
12	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे कंपोजीशन करदाता	टी.सी.एस. प्रावधान प्रभावी होने पर 01.10.2018 से ई-कॉमर्स वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 प्रभावी हो गई। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 में घोषित वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या जो कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4 भी फाइल कर रहे हैं।	23	0
13	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल नहीं की गई थी लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 उपलब्ध है	वे करदाता जिन्होंने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल नहीं की थी, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 फाइल की थी या जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए उपलब्ध था, यह दर्शाता है कि करदाताओं ने कर का भुगतान किए बिना बिजनेस किया था।	25	22.81
14	ब्याज का कम भुगतान	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल करने में देरी पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में घोषित ब्याज की तुलना में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई है।	25	14.21
15	स्टाप फाइलर्स	जिन करदाताओं ने लगातार छः से अधिक कर अवधियों के लिए रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया था और इसलिए उनका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता था, उनके लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया था।	1	.0018
	<b>कुल</b>		<b>428</b>	<b>8,149.33</b>

### 2.9.8.2 विभाग द्वारा केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा मामलों का उत्तर प्रस्तुत न किया जाना

केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए, कुल 428 नमूने चुने गए थे और इन चयनित मामलों के लिए लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए थे। 428 विसंगतियों में से 367 के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, जिनमें ₹ 7,350.02 करोड़ (टर्नओवर के बेमेल सहित) की राशि शामिल थी, विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: ऐसे मामले जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		प्रतिशतता	
		संख्या	बेमेल राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7
1	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	50	536.77	44	483.25	88	90
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में कर का भुगतान	50	39.67	46	36.56	92	92
3	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट	20	7.12	15	6.10	75	86
4	इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	25	18.45	19	17.56	76	95
5	गलत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट रिवर्सल	5	0.05	4	0.04	80	80
6	वित्तीय विवरणों में खर्चों के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान	25	1,970.43	21	1,653.51	84	84
7	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के मध्य प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना	25	261.14	22	239.75	88	92
8	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मेल न होना	50	3,995.41	45	3,741.78	90	94
9	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मेल न होना	29	594.19	25	525.28	86	88
10	लेखा-बहियों और रिटर्न के मध्य भुगतान किए गए कर में मेल न होना	50	131.77	43	124.19	86	94
11	गैर-निपटान देयताएं	25	557.31	21	485.59	84	87
12	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे कंपोजीशन करदाता	23	0	13	0	57	लागू नहीं
13	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल नहीं की गई थी लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 उपलब्ध है	25	22.80	24	22.55	96	99
14	ब्याज का कम भुगतान	25	14.21	24	13.87	96	98
15	स्टाप फाइलर्स	1	.0018	1	.0018	100	100
	<b>कुल</b>	<b>428</b>	<b>8,149.33</b>	<b>367</b>	<b>7,350.02</b>	<b>86</b>	<b>90</b>

जैसा कि अगले पैराग्राफ में बताया गया है, विसंगतियों को अनुपालन विचलन में बदलने की समय दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों के सत्यापन में तेजी लाना अपेक्षित है। इन 367 मामलों में से शामिल धन मूल्य के संदर्भ में शीर्ष दस मामलों का विवरण तालिका 2.5 में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 2.5: शीर्ष दस धन मूल्य-वार मामले जहां प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या	क्षेत्राधिकार	बेमेल राशि
1	06XXXXXXXXXX1ZR	सोनीपत	801.29
2	06XXXXXXXXXX1ZD	रेवाड़ी	391.18
3	06XXXXXXXXXX1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	263.96
4	06XXXXXXXXXX1ZW	गुरुग्राम (पश्चिम)	190.33
5	06XXXXXXXXXX1ZC	फरीदाबाद (दक्षिण)	186.60
6	06XXXXXXXXXX1ZM	सोनीपत	157.68
7	06XXXXXXXXXX1ZY	गुरुग्राम (पूर्व)	154.04
8	06XXXXXXXXXX1Z5	फरीदाबाद (पश्चिम)	148.38
9	06XXXXXXXXXX1ZH	गुरुग्राम (पूर्व)	147.69
10	06XXXXXXXXXX1ZA	गुरुग्राम (पश्चिम)	144.03
	<b>कुल</b>		<b>2,585.18</b>

### 2.9.8.3 केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा प्रश्नों पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, अनुपालन विचलन में परिवर्तित 15 मापदंडों में से प्रत्येक की सीमा को तालिका 2.6 में संक्षेपित किया गया है।



तालिका 2.6: कमियों का सारांश

लेखापरीक्षा आयाम		(₹ करोड़ में)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
लेखापरीक्षा आयाम	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	संख्या	6	4	5	6	1	4	3	5	4	7	4	10	1	1	0	61	
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	राशि	53.52	3.11	1.02	0.89	0.01	316.92	21.39	253.63	68.91	7.58	71.72	0	0.26	0.35	0	799.31	
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	संख्या	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	राशि	14.00	0.51	0.18	0.35	0	0	0	0	0	1.08	0	0	0	0	0	0	16.12
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	संख्या	1	1	0	2	0	0	0	0	1	2	2	1	7	0	1	0	16
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	राशि	9.6	1.99	0	0.26	0	0	0	21.56	0	2.69	16.41	0	0	0.35	0	0	52.86
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	संख्या	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	राशि	0	0	0	0	0	49.53	2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.11
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	संख्या	2	2	3	0	1	2	1	3	4	3	3	3	1	0	0	28	
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	राशि	14.83	0.61	0.57	0	0.01	229.94	15.54	193.51	68.91	3.34	55.31	0	0.26	0	0	582.83	
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.27
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बंभल इनपुट टैक्स क्रेडिट	राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अनुपालन विचलन	विभाग द्वारा उन मामलों सहित स्वीकृत, जहां कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई है	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	विभाग द्वारा उन मामलों सहित स्वीकृत, जहां कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई है	राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

लेखापरीक्षा आयाम	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		कुल				
	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3वीं क्वार्टर के मध्य बेसल इनपुट टैक्स क्रेडिट	रिबर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट	क्रेडिट बनाम वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3वीं/वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में कर का अनुमान	रिबर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट	विशेष विवरणों में खर्चों के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलाव	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के मध्य प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना	वर्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में मेल न होना			
विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं (खण्डन)	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल	संख्या	2	2	4	0	2	2	3	4	1	2	2	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
	राशि	14.83	0.61	0.84	0	229.94	18.81	193.51	68.91	3.34	55.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586.37
विभाग का उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया	संख्या	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	राशि	11.58	0	0	0	37.45	0	38.56	0	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.06	
विभाग ने बताया कि वे लेखापरीक्षा प्रश्न की जांच कर रहे हैं	संख्या	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	राशि	3.51	0	0	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.79		

#### 2.9.8.4 केंद्रीकृत (लिमिटेड) लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा ने डेटा में 61 विसंगतियों/बेमेल में से 30 मामलों (कारण बताओ नोटिस जारी, ए.एस.एम.टी.-10, पत्राचार मामलों के अंतर्गत) में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा, जिसमें ₹ 586.37 करोड़ के कम उद्ग्रहण/टर्नओवर में मेल न होना शामिल था, जो उत्तरों के साथ कुल मामलों की तुलना में विचलन का 49.18 प्रतिशत था जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएं प्रदान की (परिशिष्ट VIII)। इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति में मेल न होना, टर्नओवर घोषणाओं में मेल न होना और कम कर भुगतान आदि जैसे जोखिम मापदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

24 मामलों (डेटा प्रविष्टि त्रुटि, लेखापरीक्षा प्रश्न से पहले की गई कार्रवाई और अन्य वैध स्पष्टीकरण) में, 39.34 प्रतिशत मामले जहां उत्तर प्राप्त हुए थे, विभाग ने 16 मामलों में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी और विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य था।

तीन मामलों में, जो कुल प्राप्त उत्तरों के 4.92 प्रतिशत हैं, विभाग ने बताया कि वह ₹ 3.79 करोड़ के अंतर्निहित विचलन/बेमेल की जांच कर रहा था। शेष चार मामलों में, जो 6.56 प्रतिशत हैं और जिनमें ₹ 88.06 करोड़ शामिल थे। विभाग का उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि इसका तर्क साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं था।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के लिए उच्च मूल्य के मामले (ए.एस.एम.टी.-10, कारण बताओ नोटिस और करदाता के साथ पत्राचार के अंतर्गत) के मामलों से संबंधित अनुपालन विचलन का विवरण नीचे तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के लिए उच्च मूल्य का मामला

क्र. सं.	आयाम	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या	क्षेत्राधिकार सर्कल	बेमेल (₹ करोड़ में)	की गई कार्रवाई
1	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	06XXXXXX XXXX1Z0	हिसार	11.41	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में कर का भुगतान	06XXXXXX XXXX1ZG	हिसार	0.33	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
3	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट	06XXXXXX XXXX1Z9	भिवानी	0.27	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
4	इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	06XXXXXX XXXX1ZJ	करनाल	0.16	लेखापरीक्षा प्रश्न की जांच कर रहे हैं
5	गलत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट रिवर्सल	06XXXXXX XXXX1ZE	हिसार	0.01	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
6	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान (14टी)	06XXXXXX XXXX1ZE	पानीपत	194.17	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
7	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के मध्य प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना (12एफ)	06XXXXXX XXXX1ZW	हिसार	15.54	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
8	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मेल न होना	06XXXXXX XXXX1ZW	हिसार	105.5	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
9	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मेल न होना	06XXXXXX XXXX1Z6	मेवात	19.04	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया

क्र. सं.	आयाम	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या	क्षेत्राधिकार सर्कल	बेमेल (₹ करोड़ में)	की गई कार्रवाई
10	लेखा-बहियों और रिटर्न-9सी तालिका 9आर के मध्य भुगतान किए गए कर में मेल न होना	06XXXXXX XXXX4ZQ	करनाल	1.64	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
11	गैर-निपटान कर देयताएं	06XXXXXX XXXX1Z0	भिवानी	23.9	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
12	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे कंपोजीशन करदाता	06XXXXXX XXXX1ZH	कुरुक्षेत्र	0	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
13	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल नहीं की गई थी लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 उपलब्ध है	06XXXXXX XXXX1ZI	फरीदाबाद (दक्षिण)	0.26	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
	<b>कुल</b>	<b>13 मामले</b>		<b>372.23</b>	

उपर्युक्त तालिका से उदाहरणात्मक मामलों की नीचे व्याख्या की गई है:

(i) **वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट**

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए खरीद संबंधी गतिशील कर रिटर्न है जो वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा प्रत्येक बिजनेस के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है, जबकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी मासिक रिटर्न है जिसमें घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर के भुगतान के साथ बाहरी आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्वयं घोषित किया जाता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अंतर्गत भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। अपनाई गई पद्धति वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए के अंतर्गत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की उसके सभी संशोधनों के साथ और तालिका 4ए (5)<sup>6</sup> में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की तालिका 4बी (2)<sup>7</sup> में रिवर्सल पर करते हुए लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 8सी से अनुवर्ती वर्ष 2018-19 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी शामिल करते हुए तुलना करनी थी। लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिसार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1Z0 है, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए के अनुसार ₹ 4.43 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य था और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी में प्राप्त किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 15.84 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.41 करोड़ की राशि के प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान नहीं हुआ। उत्तर में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया था।

यह मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

<sup>6</sup> अन्य सभी योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट।

<sup>7</sup> रिवर्स किए गए अन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट।

**(ii) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में कर का भुगतान**

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं की कुछ श्रेणियों या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्तकर्ता पर तय किया जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार पंजीकृत करदाताओं द्वारा फाइल की जाने वाली वार्षिक रिटर्न है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) इकाइयों और एस.ई.जेड. डेवलपर्स सहित नियमित करदाता थे। करदाताओं को खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए रिफंड या सृजित मांग आदि का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के अंतर्गत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी और वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 से संबंधित डेटासेट की तुलना यह जांच करने के लिए की गई थी कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित था। अपनाई गई पद्धति में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी तालिका 3.1(डी)<sup>8</sup> में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 तालिका 6सी<sup>9</sup>, 6डी<sup>10</sup> और 6एफ<sup>11</sup> में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ तुलना करना था। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं थी, जांच को वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के भीतर प्रतिबंधित कर दिया गया था, जहां आर3बी तालिका 3.1 (डी) में कर छूट वाले हिस्से की तुलना आर3बी 4ए (2)<sup>12</sup> और 4ए (3)<sup>13</sup> के इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ वाले हिस्से से की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिसार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZG है, के मामले में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर भुगतान किया गया कर ₹ शून्य था जबकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (तालिका 6डी) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 0.33 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर प्राप्त ₹ 0.33 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान नहीं हुआ। उत्तर में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जुलाई 2022) कि करदाता को ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

<sup>8</sup> आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज लगाए जाने के लिए उत्तरदायी)।

<sup>9</sup> अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति रिवर्स चार्ज लगाए जाने के लिए उत्तरदायी होती हैं।

<sup>10</sup> रिवर्स चार्ज लगाए जाने के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति।

<sup>11</sup> सेवाओं का आयात।

<sup>12</sup> सेवाओं का आयात।

<sup>13</sup> आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज लगाए जाने के लिए उत्तरदायी)।

यह मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

**(iii) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट**

वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का समकक्ष कर देयता का निर्वहन किए बिना लाभ उठाने की सीमा या दूसरे शब्दों में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर के कम भुगतान का विश्लेषण वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी और वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 से संबंधित डेटासेट की तुलना करके यह जांच करने के लिए किया गया था कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत गतिविधियों/ट्रांजेक्शनों पर कर पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 फाइल की गई थी, तालिका 4जी<sup>14</sup> में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतानों की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं थी, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी तालिका 3.1(डी)<sup>15</sup> में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतानों की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी 4(ए) (2)<sup>16</sup> और 4ए (3)<sup>17</sup> से की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भिवानी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1Z9 है, के मामले में करदाता ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (तालिका 6सी) में ₹ 0.44 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया है, जबकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (तालिका 4जी) में कर का भुगतान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत ₹ 0.17 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर भुगतान किए गए कर का ₹ 0.27 करोड़ तक मिलान नहीं हुआ। उत्तर में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

**(iv) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना**

करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आई.एस.डी.) द्वारा हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मेल न होने का विश्लेषण करने के लिए, करदाता के रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उनके वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 में हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई है। अपनाई गई पद्धति में

<sup>14</sup> आवक आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना है।

<sup>15</sup> आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज लगाए जाने के लिए उत्तरदायी)।

<sup>16</sup> सेवाओं का आयात।

<sup>17</sup> वस्तुओं और सेवाओं के आयात के अलावा रिवर्स चार्ज लगाए जाने चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति।

इस राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6जी<sup>18</sup> या वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी की तालिका 4(ए)(4)<sup>19</sup> की तुलना संबंधित इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 की तालिका 5ए<sup>20</sup>, तालिका 8ए<sup>21</sup> और तालिका 9ए<sup>22</sup> के योग से करनी थी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, करनाल के अधिकार क्षेत्र में एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZJ है, के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6जी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 0.16 करोड़ था और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 तालिका (5ए+8ए+9ए) में हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ शून्य था। इसके परिणामस्वरूप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ₹ 0.16 करोड़ की राशि तक बेमेल हो गया। यह इंगित किए जाने पर (जून 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (फरवरी 2023) कि मामला जांच के अधीन था।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

**(v) वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान (14टी)**

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 14 वार्षिक रिटर्न (वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9) में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा-बहियों के अनुसार खर्चों पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी मिलान न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 80 (3) के अंतर्गत अपेक्षितानुसार करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए खर्चों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पानीपत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZE है, के मामले में यह पाया गया था कि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी रिटर्न की तालिका 14टी में ₹ 194.17 करोड़ का मिलान नहीं हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट घोषित किया गया था। यह इंगित किए जाने पर (जुलाई 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि

<sup>18</sup> इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट।

<sup>19</sup> इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आवक आपूर्ति।

<sup>20</sup> कर अवधि के लिए योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का वितरण।

<sup>21</sup> पुनः प्राप्त की गई और वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना।

<sup>22</sup> गलत प्राप्तकर्ता को वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनर्वितरण।

ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

**(vi) वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के मध्य प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना (12एफ)**

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 12एफ वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण या लेखा-बहियों के मध्य मिलान न हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट को दर्शाती है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत अपेक्षितानुसार करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिसार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZW है, के मामले में यह पाया गया था कि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी रिटर्न की तालिका 12एफ में ₹ 15.54 करोड़ का मिलान न हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट घोषित किया गया था। यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

**(vii) वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मेल न होना**

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 सी की तालिका 5 लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर का वार्षिक टर्नओवर (वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9) में घोषित टर्नओवर के साथ मिलान है। इस तालिका का कॉलम 5आर वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए टर्नओवर को कैप्चर करता है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत अपेक्षितानुसार करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट किए गए टर्नओवर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था। ऐसे मामलों, जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है, में मिलान न हुई राशि गैर-रिपोर्टिंग, अंडर-रिपोर्टिंग, कम-रिपोर्टिंग, चूक, आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि के कारण कर के अपवंचन या कम भुगतान को इंगित करती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों की गैर-रिपोर्टिंग का मामला भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिसार के



क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZW है, के संबंध में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 5आर में ₹ 105.50 करोड़ की राशि का मिलान न हुआ टर्नओवर है। यह इंगित किए जाने पर (जून 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

**(viii) वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मेल न होना**

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 7जी वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित मिलान न हुए कर योग्य टर्नओवर को कैप्चर करती है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मेवात के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या- 06XXXXXXXXXXI6 है, के मामले में यह पाया गया था कि वित्तीय विवरण में राशि की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 7जी में ₹ 19.04 करोड़ की मिलान न हुई कर योग्य टर्नओवर की राशि की सूचना दी गई थी। यह इंगित किए जाने पर (जून 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

**(ix) वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 9आर में मिलान न हुई कर देयता**

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 9 टर्नओवर दर को अलग करके और वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के अंतर्गत डिस्चार्ज किए गए कर के साथ तुलना करके भुगतान किए गए कर का मिलान करती है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, करनाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX4ZQ है, के मामले में, यह पाया गया था कि वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 9आर के मध्य भुगतान किए गए कर में ₹ 1.64 करोड़ की राशि का मेल नहीं था। यह इंगित किए जाने पर (जून 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

**(x) गैर-निपटान कर देयताएं**

चुकाई न गई कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था और इन रिटर्नों में देय कर की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में घोषित भुगतान किए गए कर से की गई थी। जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं थी, वहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य देय कर की तुलना का सहारा लिया गया था। इस उद्देश्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और 9 में घोषित संशोधन और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया था।

एल्गोरिथ्म के लिए, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 की तालिका 4 से 11 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया था। कर के कम भुगतान की पहचान करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के मध्य अधिक कर देयता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर भुगतान के साथ की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मामले में, तालिका 3.1(ए)<sup>23</sup> और 3.1(बी)<sup>24</sup> को ध्यान में रखा गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भिवानी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1Z0 है, के मामले में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 की तालिका 4 से 11 में देय कर ₹ 25.52 करोड़ था और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में ₹ 1.62 करोड़ का कर भुगतान किया गया था क्योंकि करदाता ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 फाइल नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.90 करोड़ की कर देयता का कम भुगतान हुआ। उत्तर में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

**(xi) कर देयता का निर्वहन न करना जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल नहीं की गई थी लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 उपलब्ध है**

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत, करदाता द्वारा फाइल किए गए विभिन्न रिटर्नों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए और रिटर्नों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी रिटर्न एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से देयता की भरपाई की जाती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान

<sup>23</sup> जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड, निल रेटेड और छूट प्राप्त के अलावा)।

<sup>24</sup> जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड)।

बिजनेस तो किया लेकिन अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनियमित रूप से आगे बढ़ाने के मामले भी शामिल हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (दक्षिण) के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZI है, के मामले में करदाता ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल नहीं की और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में कर देयता ₹ 0.26 करोड़ घोषित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.26 करोड़ की कर देयता का कम भुगतान हुआ। उत्तर में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

### 2.9.9 प्रेरक कारकों का विश्लेषण

428 मामलों में से 61 मामलों पर विभाग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, डेटा विचलन/असंगतता के कारणों पर नीचे चर्चा की गई है।

#### 2.9.9.1 वस्तु एवं सेवा कर कानून और नियमों से विचलन

उपर्युक्त तालिका 2.6 में संक्षेपित 61 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 586.37 करोड़ के टर्नओवर/कर प्रभाव में बेमेल वाले 30 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है या जांच शुरू कर दी है। इन मामलों में से, विभाग ने ₹ 0.27 करोड़ के लिए एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है, ₹ 582.83 करोड़ के लिए 28 मामलों में फॉर्म ए.एस.एम.टी.-10 में करदाता को विसंगतियों के बारे में नोटिस जारी किया है और संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार किया है या एक मामले में ₹ 3.27 करोड़ के कर प्रभाव का डीआरसी-01ए जारी किया है। आगे, चार मामलों में, विभाग के उत्तरों में ₹ 88.06 करोड़ की राशि के प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे और ₹ 3.79 करोड़ की राशि के तीन मामले जांच के अधीन थे। छः मामले ₹ 16.12 करोड़ की डेटा एंट्री त्रुटियों से संबंधित थे। शीर्ष तीन स्वीकृत मामलों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: विभाग द्वारा शीर्ष तीन मामले स्वीकृत या कार्रवाई शुरू की गई

क्र. सं.	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या	क्षेत्राधिकार	आयाम	बेमेल टर्नओवर/ कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	की गई कार्रवाई
1	06XXXXXXXXXX1ZE	पानीपत	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान (14टी)	194.17	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
2	06XXXXXXXXXX1ZJ	करनाल	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान (14टी)	35.76	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
3	06XXXXXXXXXX1Z0	भिवानी	गैर-निपटान कर देयता	23.90	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
	<b>कुल</b>			<b>253.83</b>	

### 2.9.9.2 करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियां

डेटा प्रविष्टि त्रुटियां कुल प्राप्त 61 प्रतिक्रियाओं में से 9.84 प्रतिशत (छ: मामले) थी और 25 प्रतिशत मामले जहां विभाग की प्रतिक्रियाओं (24 मामले) को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इन डेटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था और इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होने तथा वार्षिक लेखों और रिटर्नों के मध्य भुगतान किए गए कर में मेल न होने से संबंधित था। शीर्ष दो मामले जहां डेटा प्रविष्टि त्रुटियां देखी गईं, तालिका 2.9 में वर्णित हैं।

तालिका 2.9: शीर्ष दो मामले जहां डेटा प्रविष्टि त्रुटियां देखी गई थी

जिला का नाम	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या	विषय/ अवलोकन	श्रेणी	विभाग का उत्तर
सोनीपत	06XXXXXX XXXX1ZR	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में बेमेल ₹ 14 करोड़	इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल	उत्तर में उचित अधिकारी ने बताया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के 8सी में गलत तरीके से ₹ 14,22,748/- के बजाय ₹ 14,14,22,748/- का आंकड़ा दर्शाया गया था जैसा कि 3बी में दर्शाया गया है। तथापि, 3बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट में कोई बेमेल लाभ नहीं मिला।
जींद	06XXXXXX XXXX1ZS	वार्षिक रिटर्न (9सी की तालिका 9आर) लेखा-बहियों के मध्य भुगतान किए गए कर में मेल न होना ₹ 1.08 करोड़	7 (9आर)	विभाग ने बताया कि यह एक लिपिकीय गलती के कारण था कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर देय ₹ 12,96,786/- के बजाय ₹ 1,20,96,786/- दर्शाया गया था। इसी प्रकार, 9सी की तालिका 9ए में दर्ज राशि ₹ 1,35,36,600/- के स्थान पर ₹ 13,56,600/- थी।

सिस्टम ने ऐसी डेटा प्रविष्टि त्रुटियों की अनुमति दी, जिन्हें उचित सत्यापन नियंत्रण से टाला जा सकता था।

### 2.9.10 लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पहले की गई कार्रवाई

उपर्युक्त तालिका 2.6 में संक्षेपित किए गए अनुसार, विभाग ने पहले ही 16 मामलों में कार्रवाई कर ली है, जो प्राप्त 61 प्रतिक्रियाओं में से 26.23 प्रतिशत है। शीर्ष तीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, जिन्होंने सक्रिय रूप से विचलन/असंगतियों को संबोधित किया था, उन्हें तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई - जिलेवार

क्षेत्राधिकार	जारी किए गए प्रश्नों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा प्रश्न से पहले की गई कार्रवाई	प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं	प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुईं	लेखापरीक्षा प्रश्न से पहले की गई कार्रवाई की प्रतिशतता
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फतेहाबाद	03	03	03	0	100
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरसा	06	03	03	03	50
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, जींद	02	01	02	0	50

(स्रोत: संकलन)

### 2.9.11 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-निर्धारण व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए कुशल कर प्रबंधन तंत्र की स्थापना और रखरखाव करना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, प्रभावी कर प्रबंधन के लिए, कानून का अनुपालन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन की गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाहरी लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, अखिल भारतीय डेटा विश्लेषण के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई थी। समीक्षा के इस भाग के लिए 38 करदाताओं का जोखिम-आधारित नमूना चुना गया था (*परिशिष्ट VIII*)। अपनाई गई पद्धति शुरू में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न तथा वित्तीय विवरणों और बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा करने के लिए थी ताकि बेमेल/असंगतियों/विचलनों और रेड फ्लैग की पहचान की जा सके। डेस्क समीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय में की गई थी। डेस्क समीक्षा के परिणामों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों के कारण कारक की पहचान करने तथा करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए फील्ड कार्यालयों के माध्यम से करदाताओं के वित्तीय बही-खाता, चालान आदि जैसे संबंधित अभिलेखों की मांग करके हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के फील्ड गठनों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई थी।

पिछले अनुच्छेदों में बताए गए अनुसार, विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और रेड फ्लैगों की पहचान करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न और अन्य मूल अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा शामिल थी, जिसके बाद करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन की सीमा और की गई कार्रवाई की पहचान करने के लिए राज्य के फील्ड गठनों द्वारा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की गई थी। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन अंततः फाइल रिटर्न की सत्यता, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और कर भुगतान के निर्वहन को प्रभावित करता है। इसलिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को क) रिटर्न ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग और ग) कर देयता का निर्वहन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

#### 2.9.11.1 कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेख प्रस्तुत न करना)

**प्रस्तुत न करना:** बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेखों की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट और बेमेल कर देयता से संबंधित जोखिमों की पहचान की। इनपुट टैक्स क्रेडिट आयाम पर, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न

3बी की वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के साथ तुलना करके तथा वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं से विसंगतियों की पहचान की गई। कर देयता आयाम पर, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी की वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के साथ तुलना करके बेमेल की पहचान की गई। लेखापरीक्षा ने संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त के माध्यम से करदाताओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता का मेल न होने के लिए कारण कारक की जांच हेतु अपेक्षित विस्तृत अभिलेखों जैसे चालान, नोट्स और अनुसूचियों के साथ वित्तीय विवरण, डेबिट/क्रेडिट नोट, लेनदार की सूची, पूरक वित्तीय बही-खाता, समझौते की प्रतियां आदि की मांग की।

सभी 38 मामलों से संबंधित विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ में अनियमित/मेल न होने और ₹ 199.93 करोड़ की बकाया देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तार से जांच नहीं की जा सकी। इनपुट टैक्स क्रेडिट/कर देयता के संगत मेल न होने सहित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का विवरण **परिशिष्ट IX** में दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 2023)।

### **2.9.12 रिटर्न**

38 करदाताओं के नमूने द्वारा फाइल की गई रिटर्नों की विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि एक करदाता द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

#### **2.9.12.1 करदाता द्वारा ब्याज का भुगतान न करना**

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा किए गए 38 मामलों में से एक मामला (2.63 प्रतिशत) में करदाता ने देरी से रिटर्न फाइल की थी और ₹ 0.08 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान नहीं किया था।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (पूर्व) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या - 06XXXXXXXXXX1ZZ के मामले में, यह पाया गया था कि करदाता ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए अपने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी को ₹ 0.08 करोड़ की ब्याज राशि की देयता का निर्वहन किए बिना 192 दिन से 435 दिन तक की देरी से फाइल किया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को इंगित किया गया (मई 2023), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

#### **2.9.12.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग**

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) है, जिनका उपयोग बिजनेस के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति

पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाहरी आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 और 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए योग्यता और शर्तें निर्धारित करती हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग राज्य वस्तु एवं सेवा कर/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और राज्य वस्तु एवं सेवा कर/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 36 से 45 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उसे वापस करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। उन मामलों, जिनमें लेखापरीक्षा ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और कर देयता के निर्वहन में मेल नहीं पाया, का विवरण तालिका 2.11 में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 2.11: इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग में मेल न होना

क्र. सं.	मानदंड	मामलों की संख्या	सर्कलों की संख्या	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम रिवर्सल, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के 7एच में किया गया रिवर्सल ₹ 1.32 करोड़ था और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 तालिका 5डी और तालिका 5ई/3बी की छूट वाली आपूर्ति के अनुसार परिकलित रिवर्सल ₹ 16.25 करोड़ था (परिशिष्ट-X)।	11	5	14.93	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।
2	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 तालिका 6जी और वितरित इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में इनपुट सर्विस वितरण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में मेल न होना (परिशिष्ट-XI)।	01	01	0.19	
3	सभी संशोधनों के साथ वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए के अंतर्गत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (जो भी अधिक हो) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 458.15 करोड़ था और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 322.32 करोड़ था (परिशिष्ट- XII)।	31	08	135.84	
4	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर देयता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के अंतर्गत देय कर से की गई थी (परिशिष्ट-XIII)।	02	02	0.02903	
5	फॉर्म 9सी की तालिका 12एफ (मिलान न हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट) वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के वित्तीय विवरण में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान न हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैचर करती है। वार्षिक रिटर्न में प्राप्त मिलान न हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट (फॉर्म 9सी की तालिका 12एफ) (परिशिष्ट-XIV)।	13	07	18.73	
6	पूँजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्स न होना। इसके लिए कर योग्य और छूट/शून्य आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले पूँजीगत सामान के बदले में 6 में परिकलित रिवर्सल से तालिका 7सी, 7डी या 7एच के इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल कम नहीं होने चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 तालिका 7डी रिवर्सल के साथ परिकलित की गई (परिशिष्ट-XV)।	01	01	0.04	
7	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6ए में दर्शाए गए अनुसार 3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6आई में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य अंतर की तुलना की गई (परिशिष्ट-XVI)।	06	02	2.44	
	<b>कुल</b>			<b>172.20</b>	

### 2.9.12.3 कर देयता का निर्वहन

वस्तु एवं सेवा कर के मामले में कर योग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9, उक्त हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतरराज्यीय आपूर्ति पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर नामक कर लगाने और संग्रहण को अधिकृत करने वाली धारा है, और कर की दर प्रत्येक अधिनियम, अर्थात् केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर 40 प्रतिशत की अधिकतम दर के साथ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाने और संग्रह करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास निहित है।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अंतर्गत, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की सभी अंतरराज्यीय और अंतःराज्यीय आपूर्ति पर उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(4) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर रिवर्स चार्ज लगाने का प्रावधान करती है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

सभी संशोधनों और समायोजनों के साथ वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में घोषित देय कर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी से अधिक नहीं होना चाहिए। कर देयता और कर देयता के कम निर्वहन के संबंधित मामलों की पहचान करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में घोषित कर देयता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी की कर देयता के साथ की गई थी। निर्वहन न की गई कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 से निकाले गए प्रासंगिक डेटा का विश्लेषण किया गया था और इन रिटर्नों में देय कर की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में घोषित भुगतान किए गए कर से की गई थी। निर्वहन न की गई कर देयता के परिणामों के विवरण तालिका 2.12 में दिए गए हैं।

तालिका 2.12: कर देयता के निर्वहन से संबंधित बेमेल

क्र. सं.	मानदंड	मामलों की संख्या	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की संख्या	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में घोषित कर देयता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 9 की कर देयता और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी में भुगतान किए गए कर से की गई थी ताकि कर योग्य टर्नओवर पर निर्वहन न की गई कर देयता की पहचान की जा सके (परिशिष्ट-XVII)	25	6 <sup>25</sup>	27.65	उत्तर प्रतीक्षित था।

<sup>25</sup> अंबाला, फरीदाबाद (उत्तर), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण), गुरुग्राम (पश्चिम) और सोनीपत।



### 2.9.12.4 विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने विस्तृत लेखापरीक्षा के अंतर्गत फील्ड गठनों में विभाग को और निरीक्षण कार्यों के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को 242 अभ्युक्तियां जारी की थी, विभाग ने इनमें से किसी भी अभ्युक्ति का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के निरीक्षण कार्यों से संबंधित मुख्य अभ्युक्तियों के उत्तर एग्जिट कॉन्फ्रेंस के समय प्रदान किए गए थे। विभाग द्वारा समय पर उत्तर प्रस्तुत करने से लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में मदद मिलती है।

### 2.9.13 मानव संसाधन: संवर्धन और उपयोग आदि

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन से बड़े पैमाने पर और अभिन्न आधार पर कर संरचना और प्रौद्योगिकी को अपनाने में महत्वपूर्ण बदलाव आए। वस्तु एवं सेवा कर के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने में मूलभूत घटक मानव संसाधन है। वस्तु एवं सेवा कर में कई प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें प्रौद्योगिकी संचालित अवसंरचना, करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना, एक प्रभावी विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित करना शामिल है जिसके लिए वस्तु एवं सेवा कर की क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए अनुरूप रूप से सुसज्जित मानव संसाधन घटक अपेक्षित है। वस्तु एवं सेवा कर के विकसित होने के साथ सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कर प्रबंधन के कौशल सेटों को लगातार उन्नत करना और बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।

लेखापरीक्षा ने हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर विंग में तैनाती के लिए पदनाम के साथ कार्मिकों/कार्यालयों की संख्या और वस्तु एवं सेवा कर विंग के सुचारु कामकाज के लिए स्टाफ को प्रदान किए गए प्रशिक्षणों की संख्या से संबंधित जानकारी मांगी थी (सितंबर 2022)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया (जून 2023) कि विभागीय अधिकारियों के लिए अप्रैल 2022 से विभिन्न क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर विंग में तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों की वर्तमान स्थिति तालिका 2.13 में दी गई है।

तालिका 2.13: मानव संसाधन का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यशील संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त	7	3	4	57.14
2	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त	13	12	1	7.69
3	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त	41	37	4	9.76
4	आबकारी एवं कराधान अधिकारी	225	196	29	12.89
5	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी	157	116	41	26.11
6	कराधान निरीक्षक	720	518	202	28.06
	<b>कुल</b>	<b>1,163</b>	<b>882</b>	<b>281</b>	<b>24.16</b>

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि निर्णायक प्राधिकारी के संबंध में पदों में रिक्ति 7.69 प्रतिशत से 57.14 प्रतिशत तक है। आगे, सहायक कर्मचारियों के संबंध में रिक्त पद 26.11 प्रतिशत से 28.06 प्रतिशत के मध्य थे। पर्याप्त मैनपावर के अभाव ने विभाग की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो रिटर्नों की जांच की धीमी गति, पंजीकरण निरस्त करने के मामलों में कार्रवाई की कमी आदि से स्पष्ट है।

### 2.9.14 निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) रिटर्न फाइलिंग की अलग-अलग प्रवृत्ति और निरंतर डेटा विसंगतियों के संदर्भ में रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों की निगरानी में सिस्टम की पर्याप्तता का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसने 2017-18 के लिए फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्नों में जोखिम क्षेत्रों, रेड फ्लैगों और कुछ मामलों में नियम-आधारित विचलनों एवं तार्किक विसंगतियों को प्रकट किया था।

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में विभागीय फील्ड गठनों और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न पर गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक स्तर पर राज्य क्षेत्राधिकार संरचना के निरीक्षण कार्यों का निर्धारण करना शामिल था, जिसमें करदाता अभिलेखों तक पहुंच शामिल थी।

लेखापरीक्षा नमूने में नौ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, वैश्विक प्रश्नों के माध्यम से चुने गए 15 मापदंडों में 428 उच्च मूल्य विसंगतियां और वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्नों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम निर्धारण पर चुने गए 38 करदाता शामिल थे।

लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों के 428 मामलों में से विभाग ने केवल 61 मामलों पर प्रतिक्रिया दी। इनमें से 30 मामले, जो 49.18 प्रतिशत हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होना, देयता निर्वहन में मेल न होना और टर्नओवर में मेल न होना से संबंधित ₹ 586.37 करोड़ की विसंगतियों/अनुपालन कमियों के निकले। डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण 9.84 प्रतिशत (छ: मामले) में ₹ 16.12 करोड़ की विसंगतियां हुईं। जिन 61 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा को उत्तर दिया था, उनमें से 29.51 प्रतिशत (18 मामले) में ₹ 104.97 करोड़ की राशि शामिल थी, विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई कर दी थी। तथापि, विभाग ने विसंगतियों के 367 मामलों का उत्तर नहीं दिया है।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्नों की विस्तृत लेखापरीक्षा में भी महत्वपूर्ण विसंगतियों का पता चला। सभी 38 चयनित नमूना मामलों में बीजक, वित्तीय विवरण के साथ-साथ नोट्स और शेड्यूल, डेबिट/क्रेडिट नोट, लेनदारों की सूची जैसे आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दायरा सीमित हो गया। ये मामले इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ और कर भुगतानों में पहचाने गए बेमेल में ₹ 199.93 करोड़ के बेमेल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रणालीगत दृष्टिकोण से, विभाग को रिटर्न फाइल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, पंजीकरण निरस्त करने और डिफॉल्टरों से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

### 2.9.15 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए ए.एस.एम.टी.-13 जारी करके रिटर्न फाइल न करने वालों और निरस्त किए गए मामलों के विरुद्ध कार्रवाई की पूर्णता सुनिश्चित करना;
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई 367 विसंगतियों और विचलनों, जिनके उत्तर नहीं दिए गए हैं, पर तुरंत कार्रवाई करना और परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित करना;
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न/डेटा के मध्य विचलन, विसंगतियों और बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए परिमंडलों में नियमित मासिक सत्यापन और प्रणाली जनित जांच के माध्यम से संस्थागत तंत्र को मजबूत करना;
- डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जांच की सुविधा के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में सत्यापन नियंत्रण शुरू करना;
- इस प्रतिवेदन में दर्शाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय-सीमा समाप्त होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना; और
- लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए त्वरित कार्रवाई करने तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने फील्ड गठनों को निर्देश देना।



**अध्याय-3**  
**राज्य उत्पाद शुल्क**



## अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

### 3.1 कर प्रबंधन

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मुख्यालय पर कलेक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्धन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा सहयोग दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाइसेंसों की प्रदानगी हेतु फीस, डिस्टिलरियों/ब्रेवरीज में उत्पादित स्पिरिट/बीयर और उनके एक राज्य से दूसरे राज्य को आयात/निर्यात पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

ठेकों के ज़ोन का आवंटन विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर आमंत्रित करके किया जाता है। ई-टेंडरिंग की विस्तृत प्रक्रिया को आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अंतिमकृत किया जाता है और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी जिला मुख्यालय में तैनात होता है। उनका मुख्य कार्य विभाग की आय और व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा करना है।

### 3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2021-22 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 106 इकाइयों में से 24 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 666 मामलों में ₹ 35.45 करोड़ (2020-21 के लिए ₹ 6,864.42 करोड़ की प्राप्ति का 0.52 प्रतिशत) से संबंधित आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो तालिका 3.1 में दर्शाई गई श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाइसेंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	122	14.72
2.	विक्रेताओं को आबंटित त्रैमासिक कोटे को कम उठाने के लिए पेनल्टी का उद्ग्रहण न करना	179	15.07
3.	मूल आबंटी के जोखिम और लागत पर जोनों का आबंटन न होना	2	3.93
4.	स्टॉक ट्रांसफर फीस की कम वसूली	1	0.13
5.	विविध अनियमितताएं	362	1.60
	<b>योग</b>	<b>666</b>	<b>35.45</b>

(स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा)

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 473 मामलों में आवेष्टित ₹ 34 करोड़ की राशि के अविनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 15 मामलों में आवेष्टित ₹ 3.00 करोड़ वर्ष 2021-22 में वसूल/समायोजित किए।

₹ 7.46 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 3.3 उल्लंघन के मामले में पेनल्टी, लाइसेंस फीस और लंबित लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज की अवसूली/कम वसूली

विभाग ने अवैध शराब के लिए अपराधियों से पेनल्टी वसूलने और आबंटियों से लाइसेंस फीस और ब्याज वसूलने की पहल नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.46 करोड़ के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

#### (i) एल-1 और एल-13 लाइसेंस के उल्लंघन के मामलों में पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली

हरियाणा में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 36 (सी) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी लाइसेंस, परमिट या पास प्रदान करने वाला प्राधिकारी इस तरह के लाइसेंस के धारक द्वारा किसी भी उल्लंघन की स्थिति में इसे रद्द या निलंबित कर सकता है। आबकारी नियम/नीति के अनुसार, उल्लंघन के मामलों में शराब के स्टॉक में कमी/अधिकता, न्यूनतम बिक्री मूल्य से कम कीमत पर शराब बेचना, लेबल पर निर्धारित से कम स्ट्रैथ वाली शराब, शराब का ऐसा ब्रांड बेचना जिसकी अनुमति नहीं है, ड्राई-डे पर शराब की दुकान खोलना, दुकान खोलने के निर्धारित समय का उल्लंघन करना आदि शामिल हैं। आगे, हरियाणा शराब लाइसेंस नियम (एच.एल.एल.) 1970 के नियम 37 (36) में प्रावधान है कि यदि कोई लाइसेंसधारक किसी भी कानून के अंतर्गत रद्द करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी या तो (i) लाइसेंस रद्द कर सकता है और ऐसी व्यवस्था कर सकता है जैसा कि वह उस व्यवसाय को करने के लिए उचित समझे जिसके लिए लाइसेंस दिया गया था और उसके संबंध में भुगतान की गई कोई फीस या जमा को सरकार के लिए जब्त कर लिया जाएगा, या (ii) लाइसेंसधारक को ऐसी अतिरिक्त फीस के भुगतान पर जिसे वह स्वीकार करने के लिए उपयुक्त समझे, लाइसेंसधारक को अपने पास रखने की अनुमति देगा।

लाइसेंसधारियों की प्रतिभूति जमा राशि (कुल लाइसेंस फीस का तीन प्रतिशत) के रिफंड/समायोजन से संबंधित वित्तीय वर्ष 2020-21 के रिकॉर्ड में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), अंबाला के कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि 16 नवंबर 2021 के रिफंड समायोजन आदेश<sup>1</sup> (रि.स.आ.) के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए

<sup>1</sup> रिफंड समायोजन आदेश (रि.स.आ.) संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है, जिसमें कुल उपलब्ध प्रतिभूति जमा, लाइसेंसधारी की कुल बकाया राशि और प्रतिभूति जमा के विरुद्ध बकाया राशि के समायोजन के विवरण दर्शाता है। यह वसूली योग्य बकाया राशि/प्रतिभूति जमा को लाइसेंस फीस की भविष्य की किस्तों के विरुद्ध रिफंड/समायोजित किए जाने को भी दर्शाता है, जैसा भी मामला हो।



एल-1 और एल-13 लाइसेंस<sup>2</sup> के संबंध में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा मैसर्स शौकीन वाइन पर ₹ 5.99 करोड़ की राशि का उल्लंघन वाले केस पर पेनल्टी लगाई गई थी। इसमें से वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंसधारी की ₹ 1.24 करोड़ की प्रतिभूति जमा राशि के विरुद्ध ₹ 1.02 करोड़ की राशि वसूल/समायोजित की गई थी। प्रतिभूति जमा की शेष राशि को (i) ज़ोन-जेड.ए.एम.बी.47 एवं जेड.ए.एम.बी.37 के खुदरा दुकान के लिए अतिरिक्त लाइसेंस फीस (ii) एल-2बी.एफ.<sup>3</sup> के लिए लंबित लाइसेंस फीस और (iii) वर्ष 2020-21 के लिए एल-2बी.एफ. की लाइसेंस फीस विलंब से जमा करने पर ब्याज के विरुद्ध समायोजित किया गया था। इस प्रकार, उल्लंघन के मामलों में पेनल्टी की शेष राशि ₹ 4.97 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 के लिए एल-1 और एल-13 लाइसेंस के संबंध में मैसर्स सुशील कुमार पर उल्लंघन के मामलों में ₹ 3.85 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी। इसमें से ₹ 2.12 करोड़ (वसूली ₹ 0.84 करोड़ + प्रतिभूति से समायोजित ₹ 1.28 करोड़) की राशि वसूल/समायोजित की गई थी और ₹ 1.73 करोड़ (₹ 3.85 करोड़ - ₹ 2.12 करोड़) की पेनल्टी की शेष राशि बकाया रही।

इस प्रकार, उपर्युक्त दो लाइसेंसधारियों से उल्लंघन के मामले की पेनल्टी के रूप में ₹ 6.70 करोड़ (₹ 4.97 करोड़ + ₹ 1.73 करोड़) की कुल राशि वसूल नहीं की गई थी।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

**(ii) खुदरा दुकानों के लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज की कम वसूली/अवसूली**

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.4 में प्रावधान है कि भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) और देसी शराब (सी.एल.) की खुदरा दुकानों के लिए लाइसेंस वाला प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक माह की 15 तारीख तक लाइसेंस फीस की मासिक किस्त का भुगतान करेगा। वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की आबकारी नीति में संशोधन के अनुसार, जून माह के लिए किस्त का 5 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत का भुगतान क्रमशः 5 जून और 15 जून को किया जाना था और शेष महीनों में किस्तों का भुगतान प्रत्येक माह की 15 तारीख को किया जाना था। ऐसा करने में विफल रहने से लाइसेंसधारी, उस माह के प्रथम दिन से, जिसमें लाइसेंस फीस देय थी, किस्त या उसके किसी भाग के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा। आगे, राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी माह के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो संबंधित जिले के

<sup>2</sup> एल-1 लाइसेंस विदेशी शराब के थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए है और एल-13 लाइसेंस देसी शराब के थोक विक्रेताओं के लिए है।

<sup>3</sup> एल-2बी.एफ. लाइसेंस भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) और बार लाइसेंसधारियों की खुदरा दुकानों द्वारा आयातित विदेशी शराब (आई.एफ.एल.) बोटलबंद मूल (बी.आई.ओ.) की खुदरा बिक्री के लिए है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अगले महीने के पहले दिन ठेके के जोन को सील किया जाना था और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), अंबाला के कार्यालय के अगस्त 2021 और जुलाई 2022 में रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि दुकानों के कुल 58 में से 42 वेंडों के जोन<sup>4</sup> ने ₹ 53.04 करोड़ की लाइसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान निर्धारित देय तिथि के बाद 16 एवं 86 दिनों (36.25 दिनों के औसत विलंब) के मध्य के विलंब से किया था। लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 97.22 लाख के ब्याज की राशि लाइसेंसधारियों से वसूल की जानी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) ने लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए वेंडों को सील करने या ब्याज वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने 19 जोनों के संबंध में ₹ 21.51 लाख की बकाया राशि की वसूली की, जबकि शेष 23 जोनों के संबंध में ₹ 75.71 लाख की शेष राशि की वसूली लंबित थी।

यह मामला अगस्त 2021 और जुलाई 2022 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के विलंबित भुगतान पर ब्याज, लाइसेंसधारियों द्वारा गवर्नमेंट रिफरेन्स नंबर (जी.आर.एन.) के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा किया गया था और लंबित ब्याज की वसूली, रिफंड समायोजन आदेश के माध्यम से लाइसेंसधारियों से की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी गवर्नमेंट रिफरेन्स नंबर के माध्यम से और प्रतिभूति जमा की उपलब्ध राशि के समायोजन के रूप में केवल ₹ 21.51 लाख की राशि वसूल की गई थी जबकि ब्याज की बकाया राशि ₹ 97.22 लाख थी। इस प्रकार, गवर्नमेंट रिफरेन्स नंबर (जी.आर.एन.) की कुल राशि और सुरक्षा जमा के विरुद्ध समायोजित राशि को ध्यान में रखने के बाद भी, ₹ 75.71 लाख के ब्याज की राशि अभी भी (सितंबर 2022) वसूली के लिए लंबित थी।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

---

<sup>4</sup> शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें आबंटन के उद्देश्य से जोन में समूहीकृत होती हैं। किसी जोन का कमांड क्षेत्र आबकारी नीति के अंतर्गत आबकारी व्यवस्था में जोन के लिए निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है। प्रत्येक जोन के लिए एक लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

**अध्याय-4**  
**स्टाम्प शुल्क**



## अध्याय-4: स्टाम्प शुल्क

### 4.1 कर प्रबंधन

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की प्राप्तियां हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट), पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. एक्ट), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अंतर्गत विनियमित की जाती हैं। अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। पंजीकरण महानिरीक्षक की सहायता उपायुक्तों (डी.सी.), तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः रजिस्ट्रारों, सब-रजिस्ट्रारों (एस.आर.) तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

### 4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2021-22 के दौरान राजस्व विभाग के 143 यूनिटों में से 65 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच में 1,308 मामलों में ₹ 60.13 करोड़ की राशि के (2020-21 के लिए ₹ 5,157.02 करोड़ की प्राप्ति का 1.17 प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस आदि का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं जो तालिका 4.1 में उल्लिखित श्रेणियों में वर्णित हैं।

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	पट्टा विलेख के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	43	0.75
2.	अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली	228	10.75
3.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से कम मूल्य पर संपत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	10	0.51
4.	अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	38	1.67
5.	विविध अनियमितताएं	989	46.45
	<b>योग</b>	<b>1,308</b>	<b>60.13</b>

(स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा)

विभाग ने 592 मामलों में आवेष्टित ₹ 24.73 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो वर्ष 2021-22 और उससे पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित की गई थी। विभाग ने 36 मामलों में ₹ 18.65 लाख वसूल किए, जिनमें से 25 मामलों में ₹ 16.85 लाख वर्ष 2021-22 से संबंधित हैं और बाकी पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

₹ 26.00 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

#### 4.3 बिक्री विलेख को रिलीज विलेख के रूप में गलत वर्गीकृत करने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में अनियमित छूट

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री विलेख को रिलीज विलेख के रूप में गलत वर्गीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.91 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए में अनुच्छेद 55 के बारे में दिसंबर 2008 में हरियाणा सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि पैतृक संपत्ति का दस्तावेज बहन या भाई (परित्यक्त के माता-पिता के बच्चे) या परित्यक्त के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पति/पत्नी या पोता-पोती या भतीजा या भतीजी या सहभागी के पक्ष में निष्पादित होता है, स्टाम्प शुल्क ₹ 15 की दर पर उद्गृहीत किया जाएगा और किसी अन्य मामले में वही शुल्क जो अचल संपत्ति की बिक्री के द्वारा हस्तांतरण के रूप में हिस्सा, हित या त्यागे गए दावे के भाग के बाजार मूल्य के बराबर राशि पर उद्गृहीत किया जाएगा।

सब-रजिस्ट्रार करनाल और कैथल के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022) से पता चला कि एक मामले में विलेख को रिलीज विलेख के रूप में निष्पादित (दिसंबर 2020) किया गया था, जबकि यह संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं थी। अन्य मामले में रिलीज विलेख को सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार अनुमत के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (चचेरा भाई) के पक्ष में निष्पादित (अक्टूबर 2020) किया गया था। इसलिए, इन विलेखों को बिक्री के रूप में माना जाना अपेक्षित था। यद्यपि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने इन विलेखों को रिलीज विलेखों के रूप में माना और गलत ढंग से केवल ₹ 402 का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 202 + पंजीकरण फीस: ₹ 200) उद्गृहीत की। इन विलेखों के लिए कलेक्टर दर के अनुसार मूल्य ₹ 2.75 करोड़ था। इन विलेखों पर ₹ 19.91 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 19.21 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 70,000) उद्ग्राह्य थी। बिक्री विलेखों को रिलीज विलेखों के रूप में गलत वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप ₹ 19.91 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सब-रजिस्ट्रार करनाल ने बताया (जून 2023) कि मामले का निर्णय मार्च 2023 में कलेक्टर द्वारा किया गया था और ₹ 16.95 लाख की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था। सब-रजिस्ट्रार कैथल ने बताया (जून 2023) कि मामला भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत अंतिम निर्णय के लिए मई 2022 में कलेक्टर के पास भेजा गया था।

जुलाई 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

#### 4.4 परिवार के अंदर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

खून के रिश्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेखों के 20 दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 32.05 लाख के राजस्व की हानि हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (आई.एस. एक्ट) की धारा 3 के अनुसार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दस्तावेज शुल्क के साथ प्रभार्य हैं और भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 में निहित छूट, उस अनुसूची में उचित शुल्क के रूप में इंगित राशि के अधीन हैं। राज्य सरकार के पास सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 9 के अनुसार शुल्कों को कम करने, माफ करने या संयोजित करने की शक्ति है। सरकार के 16 जून 2014 के आदेश के अनुसार सरकार, दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को हटा देगी, यदि यह मालिक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान परिवार के अंदर अचल संपत्ति को माता-पिता, बच्चों, पोते-पोतियों, भाई (यों), बहन (नों) और पति या पत्नी के मध्य जैसे किसी भी खून के रिश्तों में हस्तांतरित करने से संबंधित है। यद्यपि, अन्य हस्तांतरण विलेखों के मामले में, स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनुसूची-1 में लागू स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण जारी रहेगा।

वर्ष 2018-2021 के लिए पांच<sup>1</sup> सब-रजिस्ट्रार/संयुक्त सब-रजिस्ट्रार में पंजीकृत हस्तांतरण विलेखों के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2021 और फरवरी 2022 के मध्य) से पता चला कि हस्तांतरण विलेख के 20 दस्तावेजों, जो सरकार के 16 जून 2014 के आदेश में अनुमत व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किए गए थे, में स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया गया था। स्टाम्प शुल्क की इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 32.05 लाख (स्टाम्प शुल्क: ₹ 28.95 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 3.10 लाख) की सीमा तक स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (फरवरी 2023) कि मामले स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए संबंधित कलेक्टरों के पास भेजे गए थे और एक मामले में वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था।

जुलाई 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

#### 4.5 बिक्री अनुबंध के संदर्भ में अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने पार्टियों के बीच सहमति की अपेक्षा नौ हस्तांतरण विलेखों का कम मूल्यांकन किया। हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 12.27 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 निर्धारित करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल

<sup>1</sup> जगाधरी, खानपुर कलां, खरखौदा, रानिया और थानेसर।

तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यता से सामने रखी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में नौ सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों<sup>2</sup> में यह देखा गया था कि जुलाई 2018 और नवंबर 2020 के बीच पंजीकृत नौ हस्तांतरण विलेखों में, ₹ 5.55 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों के बिक्री विलेख पर ₹ 26.69 लाख (स्टाम्प शुल्क: ₹ 24.64 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 2.05 लाख) का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्गृहीत की गई थी। संबंधित पक्षों के बीच निष्पादित अनुबंधों और विलेख राइटों के अभिलेखों के साथ जून 2018 और सितंबर 2020 के बीच इन बिक्री विलेखों के क्रॉस सत्यापन से पता चला कि कुल बिक्री मूल्य ₹ 8.02 करोड़ था, जिस पर ₹ 38.96 लाख (स्टाम्प शुल्क: ₹ 36.46 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 2.50 लाख) का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्गृह्य थी। इस प्रकार, पार्टियों के बीच सहमति से कम कीमत पर हस्तांतरण विलेख निष्पादित और पंजीकृत किए गए थे। हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 12.27 लाख (स्टाम्प शुल्क: ₹ 11.82 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 0.45 लाख) के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (फरवरी 2023) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे और निर्णय लंबित था।

जुलाई 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

#### 4.6 स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने मार्किट कमेटी, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और उत्तर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को सरकारी संस्था मानते हुए उन्हें ₹ 3.11 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से अनियमित छूट की अनुमति दी।

हरियाणा में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3(1) में निहित प्रावधान के अनुसार, सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी भी दस्तावेज के संबंध में कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। यद्यपि, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों या स्वायत्त निकायों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर विशिष्ट छूट/छूट के लिए अधिनियम/नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

सब-रजिस्ट्रार/संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, हरसरू, करनाल और राई के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मई 2019 और जुलाई 2020 के बीच आठ बिक्री विलेख पंजीकृत किए गए थे। यह पाया गया था कि भूमि मार्किट कमेटी, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जी.एम.डी.ए.) और उत्तर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (यू.एच.वी.पी.एन.एल.) के पक्ष में पंजीकृत थी। स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत करने लिए इन अचल संपत्तियों का मूल्य ₹ 63.69 करोड़ परिकलित किया गया था, जिस पर ₹ 3.07 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और

<sup>2</sup> गुरुग्राम, होडल, जगाधरी, कैथल, कलायत, नारायणगढ़, साहा, सोहना और सोनीपत।



₹ 0.04 करोड़ की पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी। चूंकि मार्केट कमेटी/गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और उत्तर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड स्वायत्त निकाय/राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम हैं, इसलिए इनसे स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्गृहीत की जानी अपेक्षित थी लेकिन पंजीकरण प्राधिकारियों ने छूट की अनुमति दी जो सही नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.11 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, संबंधित सब-रजिस्ट्रार ने बताया (फरवरी 2023) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे।

जुलाई 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

#### 4.7 नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाली 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र की भूमि पर कृषि दर लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र के प्लॉटों के 14 बिक्री विलेखों का आवासीय भूमि के बजाय कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर गलत मूल्यांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.57 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

बिक्री विलेखों में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) के अपवंचन की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर बेची गई कृषि भूमि 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र अथवा ऐसे मामलों में जहां खरीददार एक से ज्यादा थे तथा प्रत्येक खरीददार का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम था, पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस लगाने के उद्देश्य से उस इलाके में आवासीय संपत्ति हेतु निर्धारित दर पर मूल्यांकन किया जाएगा।

आठ पंजीकरण कार्यालयों<sup>3</sup> के कुल 1,06,980 में से 11,186 पंजीकृत विलेख की संवीक्षा (अगस्त 2021 और फरवरी 2022 के मध्य) से पता चला कि उपर्युक्त अधिसूचना के उक्त पैमाने के अंतर्गत आने वाले 14 प्लॉटों के बिक्री विलेख अप्रैल 2019 और जनवरी 2021 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दरों के आधार पर इन विलेखों का निर्धारण ₹ 12.88 करोड़ किया जाना था तथा ₹ 85.71 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 80.75 लाख तथा पंजीकरण फीस: ₹ 4.96 लाख) उद्ग्राह्य थी। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने इन विलेखों का निर्धारण कृषि भूमि के लिए नियत दरों के आधार पर ₹ 4.13 करोड़ किया और ₹ 28.32 लाख (स्टाम्प शुल्क 26.31 लाख + पंजीकरण फीस ₹ 2.01 लाख) का स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 57.39 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 54.44 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 2.95 लाख) का कम उद्ग्रहण हुआ।

<sup>3</sup> अंबाला, बड़खल, गुरुग्राम, करनाल, पलवल, राई, रानिया और उकलाना।

यह इंगित किए जाने पर, संबंधित सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (फरवरी 2023) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे।

जुलाई 2023 में आयोजित एगिजट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

#### 4.8 मुआवजे की राशि से खरीदी गई अचल संपत्तियों के मामले में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट

किसानों को 50 मामलों में स्टाम्प शुल्क से छूट की अनुमति दी गई थी, हालांकि उन्होंने प्राप्त मुआवजे से आवासीय/व्यावसायिक भूमि खरीदी थी, जिसकी नवंबर 2010 में जारी सरकार के आदेश के अनुसार अनुमति नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत नवंबर 2010 में जारी सरकारी आदेश के अनुसार, हरियाणा सरकार ने किसानों द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों के संबंध में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत करने से छूट दी, जिनकी भूमि हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की थी और जिन्होंने मुआवजा प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर राज्य में कृषि भूमि खरीदी। छूट मुआवजा राशि तक सीमित थी और नियमानुसार कृषिय भूमि की खरीद में शामिल अतिरिक्त राशि पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रह्य थी।

आठ सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों<sup>4</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों में, जिन किसानों की भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की गई थी, उन्होंने कृषि भूमि के बजाय आवासीय/व्यावसायिक भूमि खरीदी। संबंधित विलेखों का मूल्यांकन कुल ₹ 1.07 करोड़ पर किया जाना अपेक्षित था, जिस पर ₹ 6.51 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 5.92 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 58,500) उद्ग्रह्य थी। विभाग ने एक मामले में ₹ 5,000 का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत किया और शेष मामलों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.46 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 5.92 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 53,500) का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सात सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों<sup>5</sup> ने बताया (फरवरी और मार्च 2023) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे। सब-रजिस्ट्रार असंध ने बताया (फरवरी 2023) कि मामले का निर्णय कलेक्टर द्वारा कर दिया गया है लेकिन वसूली लंबित है।

(ख) हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी जापन संख्या 12171-सी.एफ.एम.एस.-एम.एस.-2019/11214 दिनांक 23-10-2019 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. एक्ट), 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के कार्यान्वयन के बाद भूमि मालिकों को दी गई मुआवजे

<sup>4</sup> अंबाला शहर, असंध, बराड़ा, गुल्हा, कैथल, कलायत, मुलाना और पुंडरी।

<sup>5</sup> अंबाला शहर, बराड़ा, गुल्हा, कैथल, कलायत, मुलाना और पुंडरी।

की राशि बाजार दर से दो से चार गुना थी, इसलिए नवंबर 2010 की नीति का कोई अन्य लाभ स्वीकार्य नहीं था जिसमें ऐसे भूमि मालिकों को स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से छूट शामिल थी। इस प्रकार, सरकार ने 1 जनवरी 2014 से यह छूट वापस ले ली। इसलिए, उन मामलों में जिनमें छूट 1 जनवरी 2014 को या उसके बाद स्वीकृत की गई थी, ऐसी विलेखों पर लागू स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की जानी अपेक्षित थी।

पांच सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों<sup>6</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ऐसे 42 मामले थे जिनमें किसानों ने 1 जनवरी 2014 के बाद घोषित छूट के अधिग्रहण की आय से कृषि भूमि सहित संपत्तियां प्राप्त की थी। उनके दस्तावेज मई 2019 और फरवरी 2021 के बीच पंजीकृत किए गए थे। इसलिए, इन विलेखों का मूल्यांकन कुल ₹ 29.84 करोड़ पर किया जाना अपेक्षित था, जिस पर ₹ 1.55 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 1.44 करोड़ + पंजीकरण फीस: ₹ 11.20 लाख) उद्ग्रह्य थी। विभाग ने तीन मामलों में ₹ 1.08 लाख का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहित किया। शेष मामलों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 1.43 करोड़ + पंजीकरण फीस: ₹ 11.20 लाख) का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी पांच सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (फरवरी और मार्च 2023) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे।

जुलाई 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

*विभाग अयोग्य लाभार्थियों को दी गई छूट की जांच करे और उत्तरदायित्व तय करे।*

#### 4.9 प्राइम खसरा भूमि पर सामान्य दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64.28 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) की धारा 27 प्रावधान करती है कि प्रभार्य शुल्क या शुल्क की राशि वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल (यदि कोई हो) तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां दस्तावेज में पूर्णतया व सत्यतः सामने रखी जानी चाहिए। आगे, वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफ.सी.आर.), हरियाणा सरकार ने सितंबर 2013 में राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को एफ.सी.आर. स्थायी आदेश संख्या 74 जारी किया था, इस प्रकार पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए समय-समय पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संपत्तियों के न्यूनतम बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए 'मूल्यांकन समितियों' का गठन किया गया और इन दरों की एक प्रति

<sup>6</sup> मानेसर, नरवाना, पटौदी, राई और सोहना।

विभाग द्वारा उन्हें प्रदान की गई। 'मूल्यांकन समितियों' ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्राइम भूमि के लिए अलग-अलग दरें तय की थी।

15 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों<sup>7</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2021 और फरवरी 2022 के मध्य) से पता चला कि अप्रैल 2019 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान कृषि भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर बिक्री के लिए 41 हस्तांतरण विलेख पंजीकृत किए गए थे। भू-राजस्व अभिलेखों के अनुसार इन विलेखों के खसरा उच्च भूमि दरों वाले प्राइम खसरा थे। इनमें शामिल भूमि के लिए कलेक्टर दर ₹ 45.29 करोड़ थी जिस पर ₹ 1.99 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 1.88 करोड़ + पंजीकरण फीस: ₹ 11.00 लाख) उद्ग्राह्य थी। सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने इस भूमि का मूल्यांकन सामान्य खसरा के लिए निर्धारित दरों पर ₹ 30.12 करोड़ किया और ₹ 1.35 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 1.26 करोड़ + पंजीकरण फीस: ₹ 8.64 लाख) उद्गृहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.28 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 61.82 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 2.46 लाख) का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, 14 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों<sup>8</sup> ने बताया (फरवरी और अप्रैल 2023 के मध्य) कि 37 मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे। सब-रजिस्ट्रार, घरौंडा (दो मामले) और सब-रजिस्ट्रार, गन्नौर (दो मामले) ने बताया (फरवरी 2023) कि चार मामलों का निर्णय कलेक्टर द्वारा किया गया था लेकिन वसूली अभी भी लंबित थी।

जुलाई 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

#### 4.10 सरकारी अधिसूचना का समय पर कार्यान्वयन न होने के कारण दो प्रतिशत अतिरिक्त ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद शुल्क का अनुद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त लेन-देन मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से शुल्क प्रभारित किए बिना ग्राम पंचायत और जिला परिषद के क्षेत्रों में 176 बिक्री विलेख पंजीकृत किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 68.17 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा सरकार ने अधिसूचना<sup>9</sup> के माध्यम से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 41 के अंतर्गत प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के पश्चात प्रभावी सभा क्षेत्र में स्थित संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रत्येक दस्तावेज, अर्थात् अचल संपत्ति की बिक्री, उपहार, गिरवी और अन्य हस्तांतरण, पर स्टाम्प शुल्क की निर्दिष्ट राशि पर अधिभार के रूप में दो प्रतिशत शुल्क लगाया। रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार संगृहीत शुल्क संबंधित

<sup>7</sup> आदमपुर-07, अंबाला-03, अंबाला कैंट-04, बालसमंद-01, डबवाली-02, ऐलनाबाद-02, घरौंडा-02, गन्नौर-01, गोहाना-03, हिसार-03, खेड़ी जालब-02, पलवल-02, सोनीपत-01, रानिया-05, सिरसा-03

<sup>8</sup> अंबाला-03, अंबाला कैंट 04, आदमपुर-07, बालसमंद-01, डबवाली-02, ऐलनाबाद-02, गन्नौर 01, गोहाना-01, हिसार-03, खेड़ी जालब-02, पलवल-02, रानिया 05, सिरसा-03, सोनीपत-01.

<sup>9</sup> क्रमांक एस.ओ.4/एच.ए.11/1994/एस.41/2021 दिनांक 09 फरवरी 2021.

ग्राम पंचायत और जिला परिषद को समान अनुपात में प्रेषित किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के लिए 14 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों<sup>10</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि ग्राम-सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ₹ 34.74 करोड़ मूल्य के 176 दस्तावेजों का दिनांक 24 और 25 फरवरी 2021 को पंजीकरण किया गया था और उन पर ₹ 1.40 करोड़ का स्टाम्प शुल्क लगाया गया था। यद्यपि इन मामलों में, ₹ 2.08 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्राह्य था। इस प्रकार, दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 68.17 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, 13 सब-रजिस्ट्रारों<sup>11</sup> ने बताया (फरवरी और अप्रैल 2023) कि सभी मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर को भेज दिए गए थे जबकि सब-रजिस्ट्रार बहादुरगढ़ ने बताया (फरवरी 2023) कि सभी मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेजे जाएंगे।

जुलाई 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

#### 4.11 अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण

कृषि भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर 142 विलेख पंजीकृत किए गए थे, जिन पर भूमि अभिलेखों (जमाबंदी) के अनुसार ₹ 36.97 करोड़ के बजाय ₹ 18.22 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्गृहीत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.75 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 में यह प्रावधान है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यता से सामने रखी जानी चाहिए। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अनुसार यदि पंजीकरण अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि संपत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल तथा देय शुल्क के निर्धारण हेतु कलेक्टर के पास भेज सकता है।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए 23 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों<sup>12</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2021 और मार्च 2022 के मध्य) के दौरान यह पाया गया था कि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत भूमि/प्लॉटों को कृषि भूमि के रूप में या अन्यथा कम कलेक्टर दर के साथ लेकर 142 दस्तावेजों को कम मूल्य पर पंजीकृत किया गया था। कुछ मामलों में, कवर किए गए क्षेत्र के लिए स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत नहीं किया/कम उद्गृहीत

<sup>10</sup> बादली, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, गन्नौर, घरौंडा, गोहाना, इसराना, झज्जर, करनाल, नरवाना, पानीपत, राई, समालखा और सोनीपत।

<sup>11</sup> बादली, फतेहाबाद, गन्नौर, घरौंडा, गोहाना, इसराना, झज्जर, करनाल, नरवाना, पानीपत, राई, समालखा और सोनीपत।

<sup>12</sup> आदमपुर, बरवाला, डबवाली, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, घरौंडा, गुरुग्राम, हांसी, होडल, हिसार, इसराना, जगाधरी, कादीपुर, कैथल, पटौदी, पलवल, राई, रानिया, रोहतक, सिरसा, थानेसर, उकलाना और वजीराबाद।

किया गया था। इन संपत्तियों का मूल्य ₹ 642 करोड़ निर्धारित किया जाना था, जिस पर ₹ 36.53 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 44.32 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की जानी अपेक्षित थी। तथापि, विभाग ने इन संपत्तियों का मूल्य ₹ 315.52 करोड़ निर्धारित किया और ₹ 17.92 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 30.58 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.61 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और ₹ 13.74 लाख की पंजीकरण फीस को मिलाकर कुल ₹ 18.75 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर 22 सब-रजिस्ट्रार/संयुक्त सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों<sup>13</sup> ने बताया (फरवरी 2023) कि सभी मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर को भेज दिए गए हैं। सब-रजिस्ट्रार हिसार ने एक मामले में ₹ 97,700 में से ₹ 62,525 की राशि की वसूली की है। सब-रजिस्ट्रार कैथल ने बताया (जनवरी 2021) कि मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर को भेजा जाएगा और निर्णय के अनुसार की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जुलाई 2023) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

---

<sup>13</sup> आदमपुर, बरवाला, डबवाली, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, घरोडा, हांसी, होडल, हिसार, गुरुग्राम, इसराना, जगाधरी, कादीपुर, पटौदी, पलवल, राई, रानिया, रोहतक, सिरसा, थानेसर, उकलाना और वजीराबाद।

**अध्याय-5**  
**वित्त विभाग**





## अध्याय-5: वित्त विभाग

### 5 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

#### 5.1 प्रस्तावना

हरियाणा में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) की शुरुआत 2010 में भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा की गई थी।

इस परियोजना से बजट प्रक्रियाओं को और अधिक दक्ष बनाना, नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार करना, खातों के वास्तविक समय के समाधान को बढ़ावा देना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) को मजबूत करना, खातों की तैयारी में सटीकता और समयबद्धता में सुधार करना, सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना और बेहतर वित्तीय प्रबंधन अपेक्षित था।

यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनके खजाना कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने और खजानों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वित्त विभागों, महालेखाकार (ए.जी.) कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), एजेंसी बैंकों तथा लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) की केंद्रीय स्कीम योजना मॉनिटरिंग प्रणाली (सी.पी.एस.एम.एस.) के मध्य डेटा साझा करने के लिए अपेक्षित इंटरफ़ेस प्रदान करने में सहायता करने के लिए थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य डेटा केंद्रों में खजाना डेटा को निर्बाध रूप से फीड करने और मिलान करने की न्यूनतम आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप मिसिंग क्रेडिट के मामले कम होंगे और पेंशन भुगतान आदि में सुविधा होगी।

राज्य में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन, वित्त विभाग के अंतर्गत निदेशालय खजाना एवं लेखा, हरियाणा द्वारा किया गया था और इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र-हरियाणा राज्य इकाई (एन.आई.सी.-एच.एस.यू.) द्वारा विकसित किया गया था।

#### 5.2 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सर्वर की विशिष्टताएं

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में एचपीई डीएल 365 जेन 10, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2022, एंटरप्राइजेज कोर एलएसए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर डीसी कोर एलएसए के साथ रैक सर्वर शामिल हैं।

#### 5.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

हरियाणा में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मुख्य रूप से पांच मॉड्यूल, अर्थात् ऑनलाइन बजट आबंटन निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.एस.); ऑनलाइन सरकारी प्राप्ति लेखांकन प्रणाली (ई-ग्रास); ई-बिलिंग; ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.) और ई-पेंशन, शामिल हैं। विभाग ने "एज-इज प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट<sup>1</sup>" और "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट<sup>2</sup>" तैयार किया था। "एज-इज प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" का उद्देश्य वित्त

<sup>1</sup> स्थापना की तिथि: 18 दिसंबर 2012

<sup>2</sup> स्थापना की तिथि: 07 फरवरी 2013

विभाग और अन्य संबंधित विभागों में तत्कालीन वर्तमान प्रक्रियाओं और प्रणालियों को कैप्चर करना और वर्तमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं के संबंध में सुधार के मुद्दों और क्षेत्रों की पहचान करना था जो एकीकृत वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली का खाका तैयार करने में सक्षम होगा। मूल्यांकन में तत्कालीन वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों को कैप्चर करना, विभिन्न मैनुअल, आंशिक या पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत प्रक्रियाओं की पहचान करना भी शामिल था। "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" का उद्देश्य एप्लिकेशनों में प्रक्रिया प्रवाह और एप्लिकेशनों के मध्य संबंधों सहित संशोधित व्यावसायिक प्रक्रियाओं का प्रस्ताव/सुझाव देना था।

लेखापरीक्षा ने "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" के अंतर्गत संकल्पित कार्यात्मकताओं के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पांच मॉड्यूल के उपयोगकर्ता स्क्रीन इंटरफेस की जांच की। उपयोगकर्ता स्क्रीन इंटरफेस से संबंधित परिणामों को पैरा 5.7.2 में शामिल किया गया है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का डेटा डंप (अप्रैल 2021 तक) लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध था। लेखापरीक्षा ने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट तकनीक (सी.ए.ए.टी.) (आई.डी.ई.ए., टेबल्यू) का उपयोग करके अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के डेटा का विश्लेषण करके निदेशालय, खजाना एवं लेखा (डी.टी.ए.), हरियाणा सरकार में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पांच मॉड्यूल की जांच यह आकलन करने के लिए की कि क्या सिस्टम में अपेक्षित नियंत्रण थे। लेखापरीक्षा के दौरान अध्ययन किए गए मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण तालिका 5.1 के अनुसार है।

**तालिका 5.1: एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत मॉड्यूल का विवरण**

क्र.सं.		उद्देश्य	से विद्यमान
1.	ऑनलाइन बजट आबंटन निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.एस.)	बजट मॉड्यूल की संकल्पना प्राप्ति/योजना/गैर-योजना व्यय के लिए बजट अनुमानों का प्रबंध करने के लिए की गई है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट अनुमान वास्तविक हैं, बजट तैयारी मॉड्यूल को विभिन्न प्रक्रिया कार्यों के साथ एकीकृत करके तैयार किया गया है। यह प्रणाली वित्त विभाग, बजट नियंत्रण प्राधिकारी (बी.सी.ए.)/ बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को बजट संबंधी कार्य करने में सक्षम बनाएगी।	मार्च 2010
2.	ऑनलाइन सरकारी प्राप्ति लेखांकन प्रणाली (ई-ग्रास);	यह मॉड्यूल धन के प्रत्येक प्रवाह (सरकार द्वारा राजस्व (कर/कर-भिन्न आदि) के रूप में प्राप्त धन) का ध्यान रखता है। सरकार द्वारा लिए गए ऋण राजकोष में राजस्व का हिस्सा बनते हैं।	दिसंबर 2013
3.	ई-बिलिंग	इस प्रणाली में बिल तैयार करते समय बजट उपलब्धता की जांच करने का प्रावधान है, जो एक केंद्रीय स्थान पर स्थित है और सभी स्थानों पर सरकारी निर्देशों का पालन करने में मदद करता है। यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को भी सक्षम बनाती है जो यह सुनिश्चित करती है कि भुगतान केवल वास्तविक आदाताओं को ही वितरित किया जाए।	फरवरी 2012
4.	ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.)	भुगतान मॉड्यूल खजाने में बिल जमा करने पर धन जारी करने/वितरण करने/निर्मुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। खजाना इन बिलों को संसाधित करता है और विशेष बजट शीर्ष के अंतर्गत बजट को डेबिट करके इन बिलों के विशुद्ध चेक/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जारी करता है।	अप्रैल 2013
5.	ई-पेंशन	यह प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाओं (ए.आई.एस.) और अक्टूबर 2012 के बाद सेवानिवृत्त हुए राजनेताओं सहित अपने सभी पेंशनरों को हरियाणा राज्य की पेंशन के वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह प्रणाली पेंशनर के लंबित विभिन्न बकाया की वसूली से संबंधित गतिविधियों को स्वचालित करती है। इसके अलावा, यह निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयकर कटौती, आजीवन बकाया, पेंशन बकाया, चिकित्सा बकाया आदि का भी ध्यान रखती है।	अक्टूबर 2012


(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

लेखापरीक्षा मई 2021 तथा जुलाई 2022 के मध्य की गई थी। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार को लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली के बारे में सूचित किया गया था। प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार/विभाग को जारी किया गया था (अक्टूबर 2022) और प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) सहित विभाग/सरकार के साथ दिनांक 10 जनवरी 2023 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। उनके उत्तर/दृष्टिकोण पर विचार किया गया है और इस प्रारूप प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

#### 5.4 संगठनात्मक संरचना<sup>3</sup>

वित्त विभाग, हरियाणा सरकार एक साइबर खजाना सहित 25 जिला खजानों के माध्यम से राज्य में निदेशालय, खजाना एवं लेखा के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। खजाना, महानिदेशक (खजाना एवं लेखा) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं, जिसमें शीर्ष इकाई हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव होते हैं जैसा कि चित्र 5.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 5.1: खजाना एवं लेखा निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा



#### 5.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की लेखापरीक्षा, यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

- सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उद्देश्य विभाग के व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप है;
- संकल्पित कार्यात्मकताओं को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में शामिल किया गया था;
- प्रणाली में पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण विद्यमान थे तथा

<sup>3</sup> पी.डी.सी. - पेंशन संवितरण कक्ष; डी.एम.सी. - डेटा प्रबंधन कक्ष; ए.टी.आई. - लेखा प्रशिक्षण संस्थान; एफ.एस.ओ. - फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर, एन.पी.एस. - नई पेंशन योजना (हरियाणा नई पेंशन योजना, 2008)।

- iv. भूमिका आधारित पहुंच, व्यापार निरंतरता, आपदा वसूली योजना और साइबर सुरक्षा सहित सूचना प्रणाली (आई.एस.) सुरक्षा लागू थी।

## 5.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से तैयार किए गए थे:

- i. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज "ऐज-इज" तथा "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट";
- ii. बजट मैनुअल;
- iii. राज्य खजाना नियम;
- iv. सरकारी लेखांकन नियम, 1990;
- v. पंजाब वित्तीय नियम (हरियाणा में यथा लागू);
- vi. हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016;
- vii. मॉड्यूल का मैनुअल अर्थात ई-पेंशन, ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली, ई-बिलिंग, ई-ग्रास और ओ.बी.एम.ए.एस.;
- viii. आयकर अधिनियम, 1962;
- ix. लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) द्वारा जारी संघ और राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची;
- x. हरियाणा नगरपालिका (एच.एम.) अधिनियम और हरियाणा नगर निगम अधिनियम;
- xi. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत निकास और आहरण) विनियम, 2015; तथा
- xii. सरकार/विभाग द्वारा जारी कोई अन्य निर्देश/दिशा-निर्देश।

### आभार एवं बाधाएं

लेखापरीक्षा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र और निदेशालय, खजाना एवं लेखा के अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा को अपेक्षित जानकारी और अभिलेख उपलब्ध कराने तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर प्रस्तुत करने में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। लेखापरीक्षा को बाधाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू.ए.टी.) सहित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूल के कार्यान्वयन के दौरान किए गए विकास प्रक्रिया, कार्यान्वयन प्रक्रिया और परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण उपलब्ध नहीं था।

## 5.7 लेखापरीक्षा उपलब्धियां

### 5.7.1 दस्तावेजीकरण समीक्षा

#### 5.7.1.1 व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के उद्देश्यों का संरेखण

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली परियोजना को कुछ सूचना प्रौद्योगिकी उद्देश्यों के साथ डिजाइन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर और दक्ष तरीके से व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति

की संकल्पना की गई थी। इन उद्देश्यों के विरुद्ध प्राप्तियों का आकलन करने के लिए, उनकी संबंधित कार्यात्मकताओं के साथ-साथ प्रक्रियाओं की पहचान करने और उन्हें संबंधित उद्देश्य से जोड़ने, प्राप्ति को जांचने के लिए मानक स्थापित करने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप बनाना अपेक्षित होता है।

लेखापरीक्षा के दौरान (मई 2021 और जुलाई 2022 के मध्य) यह देखा गया कि विभाग ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका, जिनमें कम्प्यूटरीकरण के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप और **परिशिष्ट XVIII** में उल्लिखित विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली उद्देश्यों की प्राप्ति को मापने के लिए बेंचमार्क का वर्णन किया गया हो। किसी भी बेंचमार्क के अभाव में, विभाग कम्प्यूटरीकरण के वांछित उद्देश्यों की प्राप्तियों की जांच नहीं कर सका।

जनवरी 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और मार्च 2023 में बताया कि कम्प्यूटरीकरण की प्राप्तियों को जांचने के लिए इस संबंध में बेंचमार्क परिभाषित किए जाएंगे।

#### 5.7.1.2 व्यावसायिक नियमों में संशोधन

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली हेतु "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" प्रणाली में खजाना नियमों/उप-खजाना नियमों (टी.आर./एस.टी.आर.) में कुछ बदलाव/संशोधन की संकल्पना की गई है जैसा कि **परिशिष्ट XIX** में वर्णित है।


लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (जून 2022) कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आज तक (फरवरी 2024) इन संकल्पित परिवर्तनों को प्रभावित करने वाली कोई अधिसूचना/आदेश जारी नहीं किया गया है।

एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि इस संबंध में एक माह के अंदर एक समिति गठित की जाएगी। खजाना नियमों में अपेक्षित परिवर्तनों का आकलन करने के लिए सितंबर 2023 में समिति का गठन किया गया है।

#### 5.7.2 कार्यात्मकताओं (उपयोगकर्ता स्क्रीन इंटरफ़ेस) का कार्यान्वयन न होना

निदेशालय, खजाना एवं लेखा ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित करते समय शामिल की जाने वाली मॉड्यूल-वार कार्यात्मकताओं को सूचीबद्ध करते हुए "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" तैयार किया था।

प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के दौरान, विभाग के अधिकारियों और राष्ट्रीय सूचना केंद्र-हरियाणा राज्य इकाई की विकास टीम ने मार्गदर्शन टूल के रूप में डिजाइन किए गए "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" में संकल्पित कार्यात्मकताओं के संदर्भ में प्रणाली के विकास हेतु सिस्टम में उपलब्ध फ्रंट-एंड कार्यात्मकताओं का प्रदर्शन किया। मॉड्यूल की इस पूर्वाभ्यास कार्यवाही के दौरान, यह देखा गया था कि "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" के अंतर्गत कुल 518 कार्यात्मकताओं में से 284 कार्यात्मकताएं प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी जैसा कि **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।



उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह देखा गया कि यद्यपि एकल नोडल एजेंसी को आने वाले लेन-देन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से रूट किए जाते हैं, तथापि, एकल नोडल एजेंसी से कार्यान्वयन एजेंसी को जाने वाले बाहरी लेन-देन और इन एजेंसियों द्वारा किए गए अंतिम व्यय को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कैप्चर नहीं किया जाता है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सभी मॉड्यूल में पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण मानी जाने वाली और विभिन्न मॉड्यूल में अंतर्निहित न पाई जाने वाली कार्यात्मकताओं का विवरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है:

### 5.7.2.1 ई-बजट

#### 1. ऋण प्रबंधन प्रणाली (डी.एम.एस.)

क. ऋण, पुनर्भुगतान अनुसूची, भुगतान की देय तिथि, निवेश योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, ऋण प्रबंधन प्रणाली विकसित की जानी थी और इसे वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना विभाग और महालेखाकार (ए.जी.) के साथ एकीकृत किया जाना था।

ऋण प्रबंधन प्रणाली के चार प्रमुख घटक हैं बाजार से उधार, केंद्र सरकार या वित्तीय संस्थानों से ऋण/अनुदान, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियां और निवेश।

ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से या सीधे हरियाणा सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ऋण प्राप्त करने के बाद उनके विवरण वित्त विभाग द्वारा ऋण प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल में दर्ज किए जाते हैं जो प्रत्येक ऋण के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची की गणना करता है। इन ऋणों का पुनर्भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, महालेखाकार या राज्य द्वारा किया जाता है और वित्त विभाग (एफ.डी.), हरियाणा के पास भेजा जाता है जो ऋण प्रबंधन प्रणाली में पुनर्भुगतान का विवरण दर्ज करता है। ऋण प्रबंधन प्रणाली ऋण खाते, राज्य देयता खाते और राज्य संवितरण खाते को अद्यतन करती है।

यह देखा गया था कि ऋण प्रबंधन प्रणाली को सभी संकल्पित कार्यात्मकताओं के साथ विकसित नहीं किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक और महालेखाकार के साथ एकीकृत नहीं थी। इन

ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक या महालेखाकार द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण वित्त विभाग, हरियाणा को ई-मेल या ऑफलाइन मोड के माध्यम से भेजा जाता है और ऋण प्रबंधन प्रणाली में स्वचालित रूप से अपडेट नहीं किया जाता है। यह खातों की वास्तविक समय स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। आगे, चूंकि ऋण के क्रेडिट और उसके पुनर्भुगतान का विवरण मैनुअल रूप से दर्ज किया जाता है, इसलिए डेटा प्रविष्टि में त्रुटियों की संभावना होती है। ऋण प्रबंधन प्रणाली ऋण किस्त पुनर्भुगतान या ब्याज के भुगतान के बारे में पहले से अलर्ट जनरेट नहीं करती है। किसी दस्तावेज के अभाव में, संबंधित डेटा में किए गए सुधारों के संबंध में लॉग को ट्रैक नहीं किया जा सका।

**ख. ऋण का पुनर्भुगतान या वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए ब्याज का भुगतान जहां पुनर्भुगतान हरियाणा राज्य द्वारा किया जाता है:** प्रणाली में वित्त विभाग के प्रतिनिधि को ऋण के कुछ विवरण भरकर ब्याज के भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान की मांग सृजित करने एवं अपलोड करने और फिर इस मांग को बिल तैयार करने के लिए वित्त विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी/महालेखाकार को भेजने की अनुमति देने की कार्यक्षमता अपेक्षित थी। वित्तीय संस्थान ऋण खाते में ब्याज/ऋण किस्त के सफल भुगतान पर, राज्य संवितरण और देयता खाते स्वचालित रूप से अपडेट किए जाने थे।

वर्तमान प्रणाली में, पहले बिल बनाया<sup>4</sup> जाता है और वित्तीय संस्थान को भुगतान किया जाता है और उसके बाद संबंधित ऋण खाते में अद्यतन करने के लिए इसका विवरण ऋण प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में, ऋण खाता और उसके पुनर्भुगतान के लिए बिल तैयार करना आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित नहीं है क्योंकि ऋण प्रबंधन प्रणाली और ई-बिलिंग मॉड्यूल एकीकृत नहीं हैं। सिस्टम के माध्यम से केवल बिल तैयार करना और भुगतान करना होता है। इस प्रकार, ऋण/ब्याज के कई भुगतानों के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

**ग. ऋण:** वित्त विभाग ऋण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके राज्य सरकार और उसके विभिन्न विभागों द्वारा लिए गए विभिन्न ऋणों का विवरण ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। अन्य हितधारकों के मध्य वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और महालेखाकार के साथ निर्बाध एकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ई-बजट मॉड्यूल में कोई एकीकृत या कम्प्यूटरीकृत ऋण प्रबंधन प्रणाली विद्यमान नहीं है। परिचालन और निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए मैनुअल परिस्थिति में ऋण, पुनर्भुगतान अनुसूची, भुगतान की देय तिथि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है।

<sup>4</sup> ऋण और किस्तों का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त विभाग को सूचित किया जाता है और इसे ऋण प्रबंधन प्रणाली में मैनुअल रूप से दर्ज किया जाता है। ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए बिल तैयार करते समय ऋण प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल में दिए गए किस्त विवरण स्वचालित रूप से ई-बिलिंग प्रणाली में नहीं आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई ई-बिलिंग प्रणाली के माध्यम से किस्त की राशि के लिए बिल स्वतंत्र रूप से तैयार किए जाते हैं।

## 2. आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम की मांग एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से नहीं होती है। निधियों को आकस्मिकता निधि से बजट शीर्ष में बैंक एंड से अंतरित किया जाता है। इस कार्यक्षमता के अभाव में, आकस्मिकता निधि और बकाया आकस्मिकता राशि की वसूली के लिए डेबिट किए जाने वाले बजट शीर्षों का विवरण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इससे आकस्मिकता निधि की वसूली में देरी की संभावना बढ़ जाती है। इसके कार्यात्मक रूप से अभाव में, आकस्मिकता निधि से निधि के प्रवाह को सिस्टम द्वारा अकेले ट्रैक नहीं किया जा सकता है।

## 3. मानव संसाधन (एच.आर.) और गैर-मानव संसाधन गतिविधियों के लिए व्यय

किसी विशेष वर्ष के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने के उद्देश्य से, मानव संसाधन से संबंधित व्यय (वेतन, पेंशन, सेवानिवृत्ति से संबंधित लागत इत्यादि) को मानव संसाधन डेटाबेस से और गैर-मानव संसाधन गतिविधियों के लिए व्यय (वास्तविक व्यय, कटौती/प्राप्ति आदि) कार्यालय लेखांकन डेटाबेस से निकाला जाना था। ई-बजट मॉड्यूल में अन्य संबंधित डेटाबेस से स्वचालित रूप से जानकारी प्राप्त करने की कार्यक्षमता नहीं है।

## 4. प्राप्ति एवं व्यय का पूर्वानुमान

प्रणाली में मासिक प्राप्ति का पूर्वानुमान लगाने और वास्तविक प्राप्ति के साथ उनकी तुलना करने की कार्यक्षमता होनी चाहिए। प्रणाली में अगले छः महीनों के लिए व्ययों का पूर्वानुमान लगाने और आबंटित बजट के साथ उसकी तुलना करने की कार्यक्षमता अपेक्षित थी। दोनों कार्यक्षमताएं समय पर, यदि अपेक्षित हो तो, संसाधनों की व्यवस्था करने में मदद करती हैं। सिस्टम में पूर्वानुमान लक्षण की सुविधा मौजूद नहीं थी। इन सुविधाओं के अभाव में निधि के प्रबंधन की योजना प्रभावित हुई।

## 5. संभावित बचत/आधिक्य

बजट प्रबंधन के एक भाग के रूप में, प्रणाली को व्यय के परिणामस्वरूप संभावित बचत/आधिक्य वाली योजनाओं की पहचान करने में सक्षम होना अपेक्षित था। किसी विशेष शीर्ष के लिए किसी विभाग द्वारा कम या कोई व्यय न किए जाने की स्थिति में प्रशासनिक/वित्त विभाग को अलर्ट भेजने की सुविधा के लिए प्रणाली का मूल्यांकन किया गया था। यह कार्यक्षमता ई-बजट मॉड्यूल में अनुपस्थित थी जो संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को प्रभावित कर सकती थी।

### 5.7.2.2 ई-ग्रास

इस मॉड्यूल के अंतर्गत, राज्य खजाना द्वारा प्राप्त सभी राजस्व/ऋण/अनुदान/आदि को दर्ज करने के लिए खजाना प्राप्ति प्रणाली अर्थात् ई-ग्रास का उपयोग किया गया था। ई-ग्रास के उपयोगकर्ता में व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.), बैंक, कंपनियां/संगठन और लाइन विभाग द्वारा नियुक्त एजेंट शामिल हैं, जो सरकारी खाते में पैसा जमा करते हैं। विभिन्न भुगतान विकल्पों जैसे डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड, आदाता के खाते द्वारा नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से यूनिंक आई.डी. से चालान बनाकर धन जमा किया जा सकता



है। ई-ग्रास के अंतर्गत, प्रणाली प्रत्येक प्राप्त ट्रांजेक्शन के लिए यूनिक ट्रांजेक्शन आई.डी. उत्पन्न करती है।

ई-ग्रास में अंतर्निहित नहीं पाई गई कार्यक्षमताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

### 1. अंतरण प्रविष्टियां कैप्चर करने का तंत्र

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय द्वारा पारित अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से राज्य खातों में किए गए समायोजन को कैप्चर करने की कार्यक्षमता प्रणाली में अंतर्निहित नहीं थी। इस कार्यक्षमता की अनुपस्थिति से प्रणाली प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के कार्यालय में अंतिम रूप दिए गए प्राप्त आंकड़ों और ई-ग्रास मॉड्यूल के अंतर्गत दर्शाए आंकड़ों के मध्य मेल न होना दर्शाती है।

### 2. महालेखाकार कार्यालय के साथ एकीकरण

महालेखाकार के माध्यम से भेजे जाने वाले अलर्ट और समाधान प्रणाली की सहायता से संसाधन चार्ट तैयार करने की कार्यक्षमता ई-ग्रास में अंतर्निहित नहीं पाई गई थी। इस कार्यक्षमता से राज्य ऋण चुकौती देयताओं आदि जैसे डेटा को कैप्चर करने में मदद मिलेगी जो प्रणाली में स्वचालित रूप से पॉप्युलेट हो सकते हैं।

### 5.7.2.3 ई-बिलिंग

मॉड्यूल को सभी प्रकार के राज्य संवितरणों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। इस मॉड्यूल के अंतर्गत, दावेदार, जो कर्मचारी, ठेकेदार, सरकारी एजेंसी या कोई अन्य हो सकते हैं, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष (एच.ओ.ओ.) को दावे प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें लेखांकन प्रणाली में दर्ज किया जाएगा और आगे कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा मान्य किया जाएगा। इस चरण के बाद, खजाना संवितरण प्रणाली के माध्यम से बिल तैयार और समाशोधित किए जाते हैं। बदले में बैंक प्रणाली में दैनिक ई-स्कॉल अपलोड करते हैं जो संवितरण विवरण को खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अनुसार संकलित करता है और संवितरण विवरण/खाते का मिलान करने के लिए इसे खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रदान करता है।

वर्तमान में निम्नलिखित प्रक्रियाएं/कार्यप्रणालियां ई-बिलिंग मॉड्यूल में अंतर्निहित नहीं हैं:

1. ई-संस्वीकृति (इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संस्वीकृति) मॉड्यूल के साथ लिंकेज अनुपस्थित था। वर्तमान में, वित्तीय संस्वीकृतियां मैनुअल रूप से प्राप्त/प्रदान की जाती हैं और फिर प्रणाली पर अपलोड की जाती हैं, जो बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। नई प्रणाली विभिन्न अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संस्वीकृति प्राप्त करने/जारी करने में सक्षम बनाएगी। प्रणाली वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करेगी और लेखापरीक्षा ट्रेल तथा विभिन्न जारी की गई/उपयोग की गई/व्यपगत संस्वीकृति का विवरण भी रखेगी।
2. दावा आई.डी. फंक्शन, जो दावों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम होता, विद्यमान नहीं था। ई-बिलिंग के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रोसेसिंग दावे या बिल को मैनुअल रूप से संसाधित/स्वीकार किए जाने के बाद ही शुरू होंगे।

3. बिल प्रोसेसिंग के संबंध में ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स की अनुमति देने की कोई कार्यक्षमता नहीं है।
4. मॉड्यूल में किसी भी पार्टी/आपूर्तिकर्ता/दावेदार को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यक्षमता नहीं थी।
5. मॉड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक समाधान की कार्यक्षमता का भी अभाव था जो बैंकों से आने वाले ई-स्क्रॉल को कैप्चर करेगा और निपटान किए गए संवितरणों के साथ इसका मिलान करेगा।

#### 5.7.2.4 ई-पेंशन

मॉड्यूल का उपयोग राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों को संसाधित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खजाना अधिकारियों (टी.ओ.) द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय से प्राप्त पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) का विवरण दर्ज करने के लिए किया जाता है।

ई-पेंशन मॉड्यूल में अंतर्निहित नहीं पाई गई कार्यात्मकताओं में पेंशनर की शिकायत निवारण विंडो शामिल है, जो पेंशनरों को अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और समय पर उनका निवारण करने में सक्षम बनाती है।

#### 5.7.2.5 ऑफ बजट मदें

"टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" में, विभाग ने ऑफ-बजट मदों की योजना, बजट और लेखांकन को स्वचालित करने के लिए एक कार्यक्षमता लागू करने और राज्य के बजट से किए गए व्यय के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त निधियों दोनों के लिए, वास्तविक समय के आधार पर राज्य में संपूर्ण व्यय के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने की संकल्पना की थी। यह भी संकल्पना की गई थी कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ भारत सरकार से प्राप्त निधियों की प्राप्तियों और उपयोग का एकीकरण राज्य सरकार को व्यय पर बेहतर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाएगा।

लेखापरीक्षा के दौरान (अप्रैल 2022) यह देखा गया था कि वर्तमान प्रणाली में, बजट मॉड्यूल में ऑफ-बजट मद की प्रोसेसिंग के लिए ऐसी कोई कार्यक्षमता शामिल नहीं की गई थी।

#### 5.7.2.6 इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संस्वीकृति

"टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" में, जारी की गई संस्वीकृतियों के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए सभी संस्वीकृतियों (वित्तीय, मैनपावर या पेंशन संबंधी) को प्राप्त करने और जारी करने की कार्यक्षमता को प्रणाली में सरकार के द्वारा प्रत्येक संस्वीकृति का ट्रेल रखने के लिए शामिल किया जाना था। प्रणाली किसी संस्वीकृति के उपयोग की सीमा का पता लगाएगी, व्यपगत संस्वीकृति आदि के उपयोग को प्रतिबंधित करेगी और अप्रयुक्त/प्रयुक्त/आंशिक रूप से प्रयुक्त/व्यपगत संस्वीकृति की संकलित रिपोर्ट देखकर अधिकारियों को निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायता करेगी।

लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 2022) यह देखा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संस्वीकृति जारी करने और बनाए रखने की कार्यक्षमता विद्यमान नहीं थी। वर्तमान परिदृश्य में, सभी स्वीकृतियां ऑफ़लाइन दी जाती हैं और स्कैन की गई प्रतियां बिल के साथ पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। यह डुप्लिकेट उपयोग के सत्यापन या राशि/बजट शीर्ष की संस्वीकृति के विरुद्ध सत्यापन की अनुमति नहीं देता है।

आगे, ई-बिलिंग मॉड्यूल में बिल तैयार करने के दौरान, यह देखा गया था कि बिल तैयार करते समय, प्रणाली को "दावेदार का नाम", "आदाता का यूनिककोड" (यू.सी.पी.), "निवल राशि", "संस्वीकृति संख्या", "संस्वीकृति तिथि" आदि की जानकारी अपेक्षित होती है। तथापि, संस्वीकृति की राशि से अधिक बिलों की तैयारी को रोकने और संस्वीकृति में शामिल लाभार्थियों के अलावा अन्य लाभार्थियों को भुगतान प्रतिबंधित करने के लिए कोई सत्यापन जांच नहीं है।

कार्यात्मकताओं का कार्यान्वयन न होने का मामला सरकार के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि "टू-बी डॉक्यूमेंट" में संकल्पित कार्यप्रणाली पर दोबारा विचार किया जाएगा और चार माह की समय-सीमा के भीतर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तदनुसार, राष्ट्रीय सूचना केंद्र से संबंधित मॉड्यूल में कार्यक्षमताओं को शामिल करने का अनुरोध किया जाएगा। तथापि, इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संस्वीकृति के मामले में उपयोगिता का कार्यान्वयन चल रहा था और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा की टिप्पणियां मांगी गई थी और इसे छः माह की समयवधि के भीतर लागू किया जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने (जनवरी 2024) के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं दी गई।

### 5.7.2.7 नई पेंशन योजना अंशदान का समाधान

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी हरियाणा नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। योजना के संदर्भ में, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, और मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत<sup>5</sup> राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है; और पूरी राशि नेशनल सिव्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को अंतरित की जानी होती है।

समान अंशदान के साथ वेतन बिल से वसूल की गई राशि को विस्तृत शीर्ष अर्थात् 99-सरकारी कर्मचारी अंशदान और 98-सरकारी अंशदान में जमा किया जाना है। खजाना अधिकारी जिले में हरियाणा नई पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सभी कर्मचारियों के संबंध में मुख्य शीर्ष 8342- अन्य जमाओं से धन के अंतरण के लिए समेकित बिल तैयार करना होगा और खजाना बैंक से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से नई पेंशन योजना के लिए बैंक को भुगतान करने का अनुरोध करना होगा। इसके बाद खजाना अधिकारी को प्रत्येक माह का अभिदाता-वार विवरण देते हुए जमा राशियों का समेकित विवरण तैयार करना होगा और निदेशक, खजाना एवं लेखा और

<sup>5</sup> पहले यह दिसंबर 2021 तक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत था।

वित्त विभाग को एक प्रति के साथ अगले माह की तीन तारीख तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को रिपोर्ट भेजनी होगी।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के वित्त लेखों के अध्ययन के दौरान निम्नलिखित पाया गया है जैसा कि तालिका 5.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अंतरित कम अंशदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष (1)	कर्मचारी द्वारा अंशदान (2)	राज्य सरकार द्वारा अंशदान (3)	कुल (2+3) (4)	कम अंशदान (2-3) (5)	एन.एस.डी.एल. को कुल अंतरण (6)	एन.एस.डी.एल. को कम अंतरण (4-6) (7)
31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार के पास पेंशन निधि का शेष						14.54
2018-19	565.88	534.30	1,100.18	31.58	1,086.16	14.02
2019-20	717.91	694.20	1,412.11	23.71	1,407.78	4.33
2020-21	778.53	766.83	1,545.36	11.70	1,535.18	10.18
<b>कुल</b>	<b>2,062.32</b>	<b>1,995.33</b>	<b>4,057.65</b>	<b>66.99</b>	<b>4,029.12</b>	<b>43.07</b>

विभागीय अधिकारियों और राष्ट्रीय सूचना केंद्र की टीम द्वारा प्रणाली में उपलब्ध कार्यात्मकताओं के प्रदर्शन के दौरान, यह देखा गया था कि नई पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान और नियोक्ताओं द्वारा किए गए अंशदान तथा इस राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अंतरित करने और अंतरण के लिए लंबित राशि के समाधान की उपयोगिता प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी। संकल्पित कार्यात्मकताओं के अभाव में, संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला सरकार के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने उत्तर दिया कि नई पेंशन योजना के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई उपयोगिता, यदि संभव हो तो, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में विकसित की जाएगी।

### 5.7.3 तार्किक पहुंच (लॉजिकल एक्सेस) नियंत्रण

#### 5.7.3.1 पासवर्ड नीति

जहां एक संगठन वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यू.ए.एन.) और इंटरनेट जैसी वैश्विक सुविधाओं का उपयोग करता है वहां पर्याप्त तार्किक पहुंच सुरक्षा का अस्तित्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पासवर्ड की प्रभावशीलता के लिए उचित पासवर्ड नीति और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, हरियाणा द्वारा प्रकाशित पासवर्ड नीति में प्रावधान है कि उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड को गोपनीय जानकारी माना जाएगा और इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। पासवर्ड नीति में यह भी प्रावधान है कि तार्किक पहुंच नियंत्रण को मजबूत करने के लिए सिस्टम को उपयोगकर्ता को एक निश्चित अंतराल पर अपना पासवर्ड बदलने के लिए संकेत देना चाहिए। प्रणाली को उपयोगकर्ता को एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए बाध्य करना चाहिए जैसे कि कम से कम आठ अक्षरों में, जिसमें संख्याएं, विशेष अक्षर, बड़े और छोटे अक्षर आदि शामिल हों। पासवर्ड नीति और प्रक्रिया सभी कर्मचारियों को मालूम होनी चाहिए और उनका अनुपालन किया जाना चाहिए।

हेल्प डेस्क<sup>6</sup> पर प्रस्तुत शिकायतों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई 1,57,244 शिकायतों में से 45,829 शिकायतकर्ताओं ने अपने उपयोगकर्ता-आई.डी. और पासवर्ड को प्रकट किया था, जो राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) और खजाना एवं लेखा निदेशालय (डी.टी.ए.) के लिए उपलब्ध है। उपयोगकर्ता-आई.डी. और पासवर्ड साझा करने से सिस्टम में अनधिकृत एक्सेस का जोखिम रहता है। आगे, उपयोगकर्ताओं के मास्टर तालिका से पता चला कि प्रणाली में उचित सत्यापन जांच विद्यमान नहीं थी जो उपयोगकर्ताओं को एक मजबूत पासवर्ड सेट करने के लिए मजबूर करती और उपयोगकर्ता को समय-समय पर पासवर्ड बदलने के लिए प्रेरित करती।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि उपयोगकर्ताओं को पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करते समय अपने पासवर्ड साझा न करने की सलाह दी गई थी। इसमें आगे बताया गया है कि उपयोगकर्ताओं को 90 दिनों के बाद अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जांच की व्यवस्था की गई है।

### 5.7.3.2 जानने की आवश्यकता (नीड-टू-नो) आधार से परे सूचना तक पहुंच-हेल्प डेस्क समस्याएं

उपयोगकर्ताओं के लिए कवर की गई प्रणाली और डेटा तक पहुंच प्राप्त करने की निर्णय प्रक्रिया जानने की आवश्यकता (नीड-टू-नो) के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, जो उपयोगकर्ताओं के जॉब कार्यात्मकताओं के संचालन के लिए आवश्यक है।

लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 2022) यह देखा गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के विभिन्न कार्यों के निष्पादन में उपयोगकर्ता विभागों के सामने आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए खजाना एवं लेखा निदेशालय द्वारा एक हेल्प डेस्क सुविधा लागू की गई थी। यह देखा गया था कि कोई भी "गेस्ट उपयोगकर्ता" के रूप में लॉग-इन कर सकता है और इस पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज करते समय, वेबपेज उपयोगकर्ताओं को शिकायत के संदर्भ में दस्तावेज संलग्न करने या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्रकट करने की भी अनुमति देता है। सर्वोत्तम सूचना प्रौद्योगिकी प्रथाओं के अनुसार, प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया जाना अपेक्षित है कि शिकायतकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास किसी अन्य शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत तक पहुंच न हो।

तथापि, जब लेखापरीक्षा ने "व्यू कम्प्लेंट्स" पेज की जांच की, तो यह देखा गया था कि "गेस्ट उपयोगकर्ता" के रूप में लॉग-इन किया गया कोई भी व्यक्ति "गेस्ट उपयोगकर्ता" के रूप में प्रस्तुत सभी शिकायतों की सामग्री देख सकता है। यह देखा गया था कि प्रणाली न तो शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार करने से पहले वन टाइम पासवर्ड (ओ.टी.पी.) के माध्यम से उसका सत्यापन करती है और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत शिकायत की विषय-वस्तु तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है।

<sup>6</sup> एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) और सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के विभिन्न कार्यों के निष्पादन में उपयोगकर्ता विभागों के सामने आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए खजाना एवं लेखा निदेशालय (डी.टी.ए.) द्वारा एक हेल्प डेस्क सुविधा लागू की गई थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि शिकायतकर्ता को केवल शिकायतकर्ता के अलावा अन्य द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की विषय-वस्तु देखने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं।

### 5.7.3.3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों (डी.एस.सी.) का उपयोग

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, तार्किक पहुंच नियंत्रण को मजबूत करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की अवधारणा को लागू किया गया था (अगस्त 2017)। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग प्रेषित डेटा/सूचना की प्रामाणिकता को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि विभाग और विकास टीम के साथ चर्चा की गई है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (डी.एस.सी.) का उपयोग बिलों को पारित करने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली (ई.पी.एस.)<sup>7</sup> के सत्यापन के समय आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी खजाना में बिल जमा करते समय सब-वाउचर की प्रतियां भी अपलोड करते हैं। इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के जनरेशन और भुगतान के लिए बिल पास करते समय खजाना अधिकारी (टी.ओ.) द्वारा भी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का उपयोग किया जाता है।

अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के दौरान ई-बिलिंग मॉड्यूल में तैयार किए गए बिलों से संबंधित डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 31,52,789 बिल मासिक खातों का हिस्सा बने। इन बिलों के विश्लेषण से पता चला कि **तालिका 5.3** में दिए गए विवरण के अनुसार 10 श्रेणियों से संबंधित 1,43,096 बिलों पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

**तालिका 5.3: बिल और डिजिटल हस्ताक्षर**

क्र. सं.	बिल की श्रेणी	डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों की संख्या	डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं किए गए बिलों की संख्या
1.	यात्रा भत्ता (टी.ए.) बिल	38,144	15
2.	मेडिकल बिल	90,790	31
3.	सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.)	68,297	23
4.	नियमित पेंशन	1,239	46,391
5.	आकस्मिकता बिल	6,25,115	71,141
6.	वर्कर्स/चेक	1,83,949	83
7.	सिविल कोर्ट डिपॉजिट (सी.सी.डी.)	11,721	6
8.	पेंशन उपदान	0	15,824
9.	पेंशन संराशीकरण	0	9,578
10.	सामान्य रिफंड	17,802	4
	<b>कुल</b>	<b>10,37,057</b>	<b>1,43,096</b>


बिल तैयार करने से लेकर उसके भुगतान तक की प्रक्रिया की जांच के दौरान यह देखा गया था कि खजाना बिल के कवर पेज पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी और खजाना अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। तथापि, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल के साथ अपलोड किए गए सब-वाउचर/संस्वीकृतियां अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता के समर्थन में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं थी।

<sup>7</sup> इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली (ई.पी.एस.) - ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं की एक सूची तैयार की जाती है और बैंक को भुगतान करने के लिए भेजी जाती है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के उपयोग के लिए लॉग को स्टोर करने के लिए लॉग टेबल वर्तमान में डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थे और भविष्य में इसे जोड़ा जाएगा।

**5.7.4 ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.) मॉड्यूलस**

निदेशालय, खजाना एवं लेखा, हरियाणा द्वारा वर्ष 2013 में ई-बिलिंग एवं ऑन-लाइन खजाना सूचना प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली की संकल्पना बिलों को तैयार करने, संस्वीकृति/सब-वाउचर अपलोड करने और खजाना अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर बिलों के अनुमोदन की सुविधा के लिए की गई थी। प्रणाली में बिलों के अनुमोदन से पहले बजट की उपलब्धता के लिए सत्यापन जांच के रूप में बजट मॉड्यूल से भी लिंकेज है। ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली बिलों को पारित करने, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (डी.एस.सी.) का उपयोग करके सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान की सूची तैयार करने और बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदाताओं के खातों में भुगतान अंतरण करने की सुविधा प्रदान करती है। बैंक किए गए भुगतानों का मिलान करने और विस्तृत खाते तथा अन्य विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के लिए खजानों को दैनिक ई-स्कॉल प्रदान करता है। ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली और ई-बिलिंग का वर्कफ्लो चार्ट 5.2 में दर्शाया गया है।






### 5.7.4.1 सत्यापन नियंत्रण

ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली मॉड्यूल में शामिल चरणों के प्रदर्शन के दौरान, यह देखा गया था कि एक बिल मासिक खाते का हिस्सा बनने से पहले निम्नलिखित चरणों से गुजरता है जैसा कि नीचे चार्ट 5.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.3: ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली मॉड्यूल में शामिल चरण



(i) **आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा बिल के अनुमोदन से पहले बिल को टोकन नंबर सौंपा गया**

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा खजाना में बिल भेजे जाने के बाद उसे टोकन नंबर दिया जाता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अनुमोदन की तिथि और खजानों में टोकन नंबर के सौंपने की तिथि के संबंध में बिलों के चरणों के मध्य ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटा के विश्लेषण से पता चला कि बिलों के प्रवाह के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इन बिलों के अनुमोदन की तिथि से पहले खजानों में 935 बिलों को टोकन नंबर आबंटित किए गए थे। इन बिलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बिलों के अनुमोदन से एक से 288 दिन पहले टोकन नंबर दिए गए थे।

सरकार को यह इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2022), विभाग ने एग्जिट मीटिंग में बताया कि वर्कफ्लो की जांच के लिए के लिए समय की आवश्यकता होगी और राष्ट्रीय सूचना केंद्र इस पर कार्रवाई करेगा।

(ii) **इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की डिलीवरी तिथि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की हस्ताक्षर की तिथि से पहले की है**

खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सौंप दी जाती है। वितरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 24,75,268 मामलों में से एक मामले में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की डिलीवरी की तिथि खजाना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से पहले की है।



पंचकुला में खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय में फील्ड विजिट के दौरान, यह देखा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की डिलीवरी और हस्ताक्षर की तिथि दर्शाने वाली कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुपालन में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में जांच बिंदु लागू किए गए थे।

**(iii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापन से पहले भुगतान किए गए**

विकास टीम द्वारा वर्णित ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली के वर्कफ्लो के अनुसार, बैंक द्वारा भुगतान के वितरण से पहले इसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 188 मामलों में, भुगतान की तिथि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन की तिथि से पहले की थी।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालय में फील्ड विजिट के दौरान, यह देखा गया था कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन को दर्शाने के लिए सिस्टम में कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र और बैंकों के साथ विचार-विमर्श के बाद जांच बिंदु लागू किया जाएगा।

**(iv) बैंक द्वारा सत्यापन से पहले भुगतान प्राप्तकर्ताओं को क्रेडिट कर दिया गया**

विकास टीम द्वारा वर्णित वर्कफ्लो के अनुसार, बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली सत्यापित होने के बाद आदाताओं को भुगतान किया जाता है। डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 958 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए भुगतान बैंक द्वारा सत्यापन से पहले किया गया था। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि उसने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पर्याप्त जांच लागू करने के लिए कहा है।

**(v) बिलों को तैयार करने से पहले इनका भुगतान किया गया**

विकास टीम द्वारा वर्णित वर्कफ्लो के अनुसार, बिल तैयार होने के बाद ही उसका भुगतान किया जा सकता है। डेटा के विश्लेषण के दौरान, चार बिलों में, भुगतान की तिथि खजाना अधिकारी द्वारा बिलों को तैयार करने और उनके सत्यापन से पहले की थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि उसने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पर्याप्त जांच लागू करने का निर्देश दिया है।

**(vi) खजाना अधिकारी के सत्यापन के बिना बिलों का भुगतान**

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, बिल संस्वीकृत होने के बाद, बिल के भुगतान की प्रक्रिया के लिए खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट की जाती है। प्रणाली, खजाना अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए बिल के सत्यापन की तिथि को कैप्चर करती है।

डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि दो बिलों में, खजाना अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन के बिना भुगतान किया गया था। प्रणाली ने इन बिलों के भुगतान पर कोई रोक नहीं लगाई थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि उसने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पर्याप्त जांच लागू करने के लिए कहा है।

**(vii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट किए बिना बिलों को अंतिम रूप दिया गया**

प्रणाली में लेनदेन के प्रवाह के अनुसार, खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट होने और आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद बैंक द्वारा भुगतान के लिए बिल संसाधित किया जाता है। बिलों के भुगतान के बाद, बिल की स्थिति "लेखे तैयार किए गए" के रूप में अद्यतन की जाती है।

डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि ₹ 12,174.71 करोड़ के 24,453 आकस्मिक बिलों सहित 26,991 बिलों में खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट नहीं की गई थी। तथापि, इन बिलों की स्थिति "लेखे तैयार किए गए" के रूप में दर्शाई गई थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि शून्य राशि वाले बिलों के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट नहीं की जाती है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ₹ 28.47 लाख के भुगतान से संबंधित सात मामले ऐसे थे जो गैर-शून्य बिल थे और जहां खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट नहीं की गई थी, किंतु इन बिलों को अंतिम रूप दिया गया के रूप में दर्शाया गया था।

**(viii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन के बिना ही बिलों को अंतिम रूप दे दिया गया**

प्रणाली में बिल प्रक्रिया के प्रवाह के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी बिलों का भुगतान करने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए खजाना अधिकारी से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की प्राप्ति के बाद इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सत्यापन करता है।

डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि 10 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। तथापि, इन बिलों को "लेखे तैयार किए गए" के रूप में दर्शाया गया था।

आगे यह भी देखा गया कि चार इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था, यद्यपि इन पर खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र के परामर्श से इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

**(ix) बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन के बिना बिलों को अंतिम रूप दिया गया**

आदाताओं को भुगतान करने से पहले, बैंक स्वयं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद सत्यापित करता है।

डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 11 मामलों में, बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन के बिना आदाताओं को भुगतान किया गया था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र के परामर्श से इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

**(x) असत्यापित यूनिक कोड आदाताओं (यू.सी.पी.) को भुगतान**

ई-बिलिंग उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने के लिए बिल तैयार करते समय केवल आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित आदाताओं का यूनिक कोड ही आदाताओं के रूप में दिखाई देना चाहिए। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कर्मचारी श्रेणी के अंतर्गत 9,19,408 यूनिक कोड आदाताओं में से 14,120 यूनिक कोड आदाताओं को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। तथापि, 11,417 असत्यापित यूनिक कोड आदाताओं के पक्ष में भी भुगतान किया गया था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि यूनिक कोड आदाताओं की क्रेडेंशियल में किसी भी बदलाव के समय, चेकर को इन परिवर्तनों को फिर से सत्यापित करना था। ये मामले उस श्रेणी में आ सकते हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि डेटाबेस में इन असत्यापित यूनिक कोड आदाताओं के लंबित रहने की अवधि का पता लगाने के लिए कोई लॉग नहीं था। विभाग ने आगे बताया कि इन लॉग्स को स्टोर करने के लिए प्रणाली को संशोधित किया जाएगा।

**(xi) मास्टर तालिका में आदाताओं का विवरण विद्यमान नहीं**

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने के लिए प्रत्येक आदाता को यूनिक आदाता कोड अनिवार्य रूप से सौंपा जाता है। सभी यूनिक आदाता कोड "इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली" तालिका में संग्रहीत हैं।

ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली में उपलब्ध आदाता मास्टर डेटा और भुगतान विवरण डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 22,22,565 आदाताओं को भुगतान किया गया था। इन आदाताओं की जानकारी का मास्टर डेटा अर्थात् आदाताओं की तालिका के साथ आगे विश्लेषण किया गया था और लेखापरीक्षा में देखा गया था कि जिन 11 आदाताओं को भुगतान किया गया था उनका विवरण मास्टर तालिका में विद्यमान नहीं था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि यूनिक आदाता कोड की डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के दौरान, इन यूनिक आदाता कोड को हटा दिया गया होगा। आगे, विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को मास्टर तालिका में प्रविष्टियों को स्थायी रूप से हटाने से बचने के लिए उचित उपाय करने के निर्देश दिए।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इस डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के लिए लॉग डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थे, जिसके अभाव में डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया की सुदृढ़ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

**(xii) नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पहले अंशदान पर प्रतिबंध**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (नई पेंशन योजना के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियमन, 2015 के विनियमन संख्या 37 के अनुसार, नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अंतर्गत ऐसे अभिदाता के वेतन से नियोक्ताओं द्वारा किए गए अंशदान/कटौती को सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम तीन माह पहले रोक दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिदाता का निकास और प्रत्याहरण सुचारू एवं प्रभावी है। नियोक्ता मासिक वेतन के साथ सीधे कर्मचारी ग्राहक को ऐसे उक्त अंशदान का भुगतान करेगा।

**एम्पमास्ट तालिका** (एम्पमास्ट तालिका कर्मचारियों के लिए मास्टर तालिका है) में उल्लिखित सेवानिवृत्ति की तिथि के संदर्भ में **वेतन बिल तालिका** (वेतन बिल तालिका कर्मचारियों के लिए लेनदेन तालिका है) से कर्मचारी के नई पेंशन योजना अंशदान से संबंधित डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान/कटौती निम्नलिखित कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले तीन माह के लिए **तालिका 5.4** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित नहीं थी।

**तालिका 5.4: नई पेंशन योजना अंशदान प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित नहीं है**

मामला संख्या	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतन वर्ष	भुगतान माह	नई पेंशन योजना की अंशदान राशि
(एम्पमास्ट तालिका)			(भुगतान बिल तालिका)			
1	राजेन्द्र	12-01-1962	31-01-2020	2019-20	11	3,779
				2019-20	12	3,779
				2019-20	01	4,107
2	विद्या	28-08-1959	31-08-2019	2019-20	06	2,061
3	देव	12-01-1960	31-01-2020	2019-20	11	2,223
				2019-20	12	2,223
				2019-20	01	2,223
4	कौशल	1-08-1960	31-07-2020	2020-21	05	2,223
				2020-21	06	2,223

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले पिछले तीन महीनों के लिए नई पेंशन योजना के अंशदान को रोकने के संबंध में निर्देश जारी किए।

**(xiii) उसी ब्लॉक वर्ष के लिए अनुवर्ती छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) दावे पर प्रतिबंध**

हरियाणा सरकार के मई 2009 और अक्टूबर 2009 में जारी निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी/पेंशनर छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान करने के उद्देश्य से चार वर्ष के ब्लॉक में एक बार एकमुश्त सहायता के रूप में एक महीने का वेतन/पेंशन निकालने के हकदार होंगे।

लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के उद्देश्य से, उसी ब्लॉक वर्ष के लिए पहला और बाद का छुट्टी यात्रा रियायत बिल तैयार करने की प्रक्रिया स्टैजिंग सर्वर पर की गई थी। प्रणाली ने एक ही आदाता के उसी ब्लॉक वर्ष के लिए अगले बिल की तैयारी को प्रतिबंधित कर दिया था।

ई-बिलिंग और ई-पेंशन डेटा के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए 105 कर्मचारियों और 180 पेंशनभोगियों को एक ही ब्लॉक वर्ष के लिए एकमुश्त एक माह का वेतन/पेंशन एक से अधिक बार भुगतान किया गया।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि संबंधित विभाग/आहरण एवं संवितरण अधिकारी के परामर्श से वसूली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छुट्टी यात्रा रियायत के दोहरे भुगतान से संबंधित मामला गंभीर प्रकृति का है और विभाग/राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा जांच अपेक्षित है कि वर्तमान सत्यापन जांच के बावजूद ऐसी घटना कैसे हो सकती है।

अनुच्छेद (i) से (xiii) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ई-बिलिंग, ई-पेंशन और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली मॉड्यूल में सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति/कमी पर प्रकाश डालते हैं।


#### 5.7.4.2 आदाता का यूनिक कोड (यू.सी.पी.) तैयार करना

##### (i) अवैध पैन कैचर किए गए

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, आदाता के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान के अंतरण को सक्षम करने के लिए प्रत्येक आदाता को भुगतान आदाता यूनिक कोड दिया जाता है। आदाता यूनिक कोड बनाते समय, जो आदाता के लिए एक बार की प्रक्रिया है, आदाता का विवरण "मेकर" (बिल क्लर्क) द्वारा ईएस-2 फॉर्म में कैचर किया जाता है और जानकारी एक मास्टर टेबल में संग्रहीत की जाती है। विभाग के निर्देशों के अनुसार रद्द किए गए चेक, पैन कार्ड की प्रतिलिपि आदि सहित सहायक दस्तावेज प्राप्त करने अपेक्षित हैं। "चेकर" (आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.)) वास्तविक आदाता के परिचय-पत्र (क्रेडेंशियलस) को सत्यापित और अनुमोदित करता है।

यूनिक आदाता कोड से संबंधित मास्टर डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 88,07,711 अभिलेखों में से 64,65,485 अभिलेखों में अमान्य पैन नंबर कैचर किए गए थे, जो दर्शाता है कि 30,534 पैन अभिलेख कर्मचारी श्रेणी से संबंधित थे और 2,069 मामलों में पैन को "XXXXXXXXXX" के रूप में दर्ज किया गया था। किसी भी सत्यापन जांच के अभाव में, प्रणाली ने या तो पैन कॉलम को खाली छोड़ने या अमान्य पैन को कैचर करने की अनुमति दी थी। कर्मचारी श्रेणी से संबंधित पैन नंबर के वैध प्रारूप के साथ अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि 38 मामलों में कैचर किए गए पैन नंबर "व्यक्तिगत" के अलावा अन्य श्रेणी के हैं, क्योंकि पैन में चौथा अक्षर करदाता की श्रेणी को दर्शाता है। विवरण निम्नलिखित चार्ट 5.4 में दिया गया है।

**चार्ट 5.4: ऐसे मामले जिनमें अवैध पैन कैप्चर गया था**



मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि मामला सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) विभाग के पास प्रक्रियाधीन है।

**(ii) एक ही पैन के लिए कई समान यूनिक आदाता कोड/एक ही पैन के लिए कई अलग-अलग यूनिक आदाता कोड**

ई-बिलिंग उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुसार, यदि उपयोगकर्ता, यूनिक आदाता कोड के सृजन के समय सूचना अर्थात पैन, सामान्य भविष्य निधि नंबर, पी.आर.ए.एन. (प्रान) या बैंक खाता विवरण दर्ज करता है जो किसी अन्य कर्मचारी से संबंधित है जिसे यूनिक आदाता कोड पहले ही दिया जा चुका है, तो ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने पर, "समान विवरण वाला आदाता विद्यमान है" संदेश के साथ एक विंडो दिखाई देगी। तथापि, "थर्ड पार्टी" श्रेणी के आदाताओं (आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार आदि) के मामले में, विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए समान विवरण के साथ यूनिक आदाता कोड सृजन की अनुमति दी जा सकती है।

वैध पैन के साथ बनाए गए आदाता यूनिक कोड के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि "थर्ड पार्टी" श्रेणी के अलावा अन्य 3,76,132 आदाताओं में, एक ही पैन के विरुद्ध दो से 58 बार तक कई समान यूनिक आदाता कोड (12,14,006 यूनिक आदाता कोड) बनाए गए थे और इसमें यह भी पता चला कि थर्ड पार्टी की श्रेणी के अलावा 1,844 पैन के लिए 3,760 अलग-अलग यूनिक आदाता कोड बनाए गए थे।

**(iii) एक ही पैन के विरुद्ध विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग यूनिक आदाता कोड**

डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 1,940 मामलों में, प्रत्येक पैन के लिए दो अलग-अलग यूनिक आदाता कोड बनाए गए थे और इनमें से एक यूनिक आदाता कोड "कर्मचारी" श्रेणी का था और दूसरा "थर्ड पार्टी" या "अन्य श्रेणी" का था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया था कि 81 मामलों में, "थर्ड पार्टी" श्रेणी के आदाताओं के संबंध में एक ही पैन, एक ही आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आधार पर एक से अधिक यूनिक आदाता कोड बनाए गए थे।

एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।

अनुच्छेद (i) से (iii) एप्लीकेशन में आदाता कोड की विशिष्टता पर सत्यापन नियंत्रण/अलर्ट की कमी को दर्शाते हैं।

#### 5.7.4.3 लेखापरीक्षा ट्रेल

लेखापरीक्षा ट्रेल इस बात का साक्ष्य प्रदान करता है कि एक विशिष्ट ट्रांजेक्शन कैसे, कब और किसके द्वारा शुरू और संसाधित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में, ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, डेटा में किए गए परिवर्तन/संशोधन, क्या और किसके द्वारा संपादित किया गया आदि को ट्रैक करने के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ट्रेल में, किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कार्यों की पहचान प्रत्येक उपयोगकर्ता को सौंपी गई उसकी उपयोगकर्ता आई.डी. से की जाती है।

##### (i) दो अलग-अलग कार्यों के लिए एक ही उपयोगकर्ता\_आई.डी. का असाइनमेंट

सर्वोत्तम सूचना प्रौद्योगिकी प्रथाओं के अनुसार, कर्तव्यों का पृथक्करण यह सुनिश्चित करने का एक सिद्ध तरीका है कि लेन-देन उचित रूप से अधिकृत, रिकॉर्ड किए गए हैं और संपत्ति सुरक्षित है। कर्तव्यों का पृथक्करण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में एक मौलिक नियंत्रण आवश्यकता है क्योंकि यह त्रुटि और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करता है। कंप्यूटर सिस्टम पूर्व-प्रोग्राम किए गए उपयोगकर्ताओं के उपयोग और उनके अधिकारों की परिभाषा के माध्यम से कर्तव्यों के पृथक्करण को लागू करने में सक्षम हो सकता है।

विभागीय स्तर पर बिलों की तैयारी एवं अनुमोदन से संबंधित कार्य दो अलग-अलग कार्मिकों द्वारा किए जाते हैं। प्रणाली में, बिल तैयार करने वाले उपयोगकर्ता को "मेकर" के रूप में पहचाना जाता है और बिलों को संस्वीकृति देने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारी को "चेकर" के रूप में पहचाना जाता है।

डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि बिलों की तैयारी और अनुमोदन के लिए ट्रांजेक्शन तालिका में समान उपयोगकर्ता\_आई.डी. के लॉग संग्रहित किए जा रहे थे। "मेकर" और "चेकर" के लिए एक ही उपयोगकर्ता आई.डी. के असाइनमेंट के मामले में, लेखापरीक्षा ट्रेल से यह पता लगाना संभव नहीं है कि बिल की तैयारी, निरस्तिकरण या अनुमोदन के लिए कार्य किसने किया है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि मेकर/चेकर को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए लॉग तालिका में एक और फ़िल्ड जोड़ा जाएगा।

यह सिफारिश की जाती है कि केवल एक अलग फ़िल्ड बनाने से लेखापरीक्षा मुद्दे का समाधान नहीं होता है और इसके बजाय विभाग को मेकर और चेकर के लिए अलग-अलग उपयोगकर्ता आई.डी. रखनी चाहिए।

##### (ii) लॉगिन सत्र के लिए मिसिंग लॉग

ई-बिलिंग डेटा के विश्लेषण से पता चला कि "ऑडिटलॉग" तालिका में उन सत्रों के लॉग शामिल

हैं जिनके दौरान एक विशेष उपयोगकर्ता सिस्टम पर "लॉग-इन" रहा और प्रत्येक लॉग-इन के दौरान एक लॉग उत्पन्न होना चाहिए।

2018-19 और 2020-21 के मध्य कैप्चर किए गए लॉगिन सत्रों से संबंधित डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि उस समय अवधि को कैप्चर करने के लिए 29,04,775 लॉग आई.डी. उत्पन्न की गई, जिसके दौरान एक उपयोगकर्ता ने सिस्टम तक पहुंच बनाई और यह पाया गया कि तालिका में 7,10,070 लॉग आई.डी. मिसिंग थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

**(iii) बिल तैयार करने, अनुमोदन करने और खजाना को बिल भेजने के लिए लॉग**

ई-बिलिंग मॉड्यूल डेटाबेस में टी\_पी\_ट्रैक तालिका को तैयारी, अनुमोदन और खजाना में भेजने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय में "मेकर" और "चेकर" द्वारा किए गए इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तालिका के विश्लेषण से पता चला कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 68,52,216 इवेंट्स को कैप्चर किया गया। लॉग तालिका में, सिस्टम जनरेटड रॉ-आइडेंटिफायर (पंक्ति पहचानकर्ता) को यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया है कि सभी इवेंट्स को बिना किसी मिसिंग के कैप्चर किया गया था।

इस तालिका में विद्यमान जानकारी के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि तालिका को रॉ-आइडेंटिफायर को कैप्चर करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। तदनुसार, डेटाबेस में दर्ज प्रत्येक इवेंट के विरुद्ध कोई रॉ-आइडेंटिफायर नहीं था। किसी भी रॉ-आइडेंटिफायर की अनुपस्थिति में, ई-बिलिंग मॉड्यूल की टी\_पी\_टोकन<sup>8</sup> तालिका में संग्रहीत ट्रांजेक्शन को संदर्भित करने के लिए "बिल\_नंबर" को एक यूनिक पहचानकर्ता माना जाता था। दोनों तालिकाओं (टी\_पी\_ट्रैक तालिका और टी\_पी\_टोकन तालिका) के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला कि:

- क) 34,14,330 बिलों में से 21,27,771 बिलों के लॉग टी\_पी\_ट्रैक तालिका में उपलब्ध नहीं थे।
- ख) टी\_पी\_ट्रैक तालिका में 7,10,843 बिलों के लॉग के सामने उल्लिखित बिल नंबर, टी\_पी\_टोकन तालिका में बिलों से जनरेट होने वाली जानकारी के प्रवाह के बावजूद, ई-बिलिंग मॉड्यूल की टी\_पी\_टोकन तालिका में नहीं पाए गए थे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संसाधित सभी बिलों के लॉग को कैप्चर करने के लिए प्रणाली को संशोधित किया जाएगा।

**(iv) रद्द किए गए बिलों के लिए लॉग**

आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर तैयार किए गए बिलों के डेटा के विश्लेषण के दौरान

<sup>8</sup> यह तालिका आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल बनाने संबंधी सूचना समाविष्ट करती है।



यह देखा गया था कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा 95,078 बिल रद्द कर दिए गए थे। टी\_पी\_ट्रैक तालिका में कैप्चर किए गए लेखापरीक्षा लॉग के साथ इन रद्द किए गए बिलों की तुलना से पता चला कि 87,281 रद्द किए गए बिलों के लॉग डेटाबेस में नहीं पाए गए थे।

पूर्ण लेखापरीक्षा ट्रेल के अभाव में, विभाग के लिए यह पता लगाना संभव नहीं होगा कि लेनदेन को किसने निरस्त किया था और यह निरस्तीकरण कब हुआ था।

**(v) वित्त विभाग के पास भेजे गए बिलों के मिसिंग लॉग/ ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.) में मिसिंग ट्रांजेक्शन**

वित्त विभाग (एफ.डी.) ने समय-समय पर विभागों को इन बिलों को खजाने में भेजने से पहले विभिन्न<sup>9</sup> श्रेणियों के बिलों में वित्त विभाग की संस्वीकृति लेने के निर्देश जारी किए। विभागीय उपयोगकर्ताओं और विकास टीम द्वारा वर्णित ई-बिलिंग डेटा और ट्रांजेक्शन के प्रवाह के विश्लेषण के दौरान, इन बिलों को भुगतान के लिए खजाने में भेजने से पहले उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बिलों को ई-बिलिंग मॉड्यूल में वित्त विभाग के पास भेजा जाता है।

ई-बिलिंग डेटा में कैप्चर किए गए लेखापरीक्षा लॉग के विश्लेषण से पता चला कि अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान, 4,05,094 बिल अनुमोदन के लिए वित्त विभाग के पास भेजे गए थे। ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.) मॉड्यूल में दर्ज किए गए बिलों की स्थिति के अनुसार, यह देखा गया था कि 22,698 बिल या तो वित्त विभाग के पास लंबित थे (स्थिति: वित्त विभाग को भेजे गए) या वित्त विभाग द्वारा रद्द किए गए थे (स्थिति: वित्त विभाग से लौटाए गए)। विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि शेष 3,82,396 बिलों में से 39,436 बिल डेटाबेस में ट्रेस नहीं हो सके। सिस्टम में मिसिंग लॉग के अभाव में बिल/ट्रांजेक्शन का पूरा चक्र सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) के माध्यम से संसाधित सभी बिलों के लिए लॉग को कैप्चर करने के लिए सिस्टम को संशोधित किया जाएगा।

इसी प्रकार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा खजाना को भेजा गया प्रत्येक बिल टोकन नंबर आबंटित करने के बाद ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में दर्ज किया जाता है। ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में, प्रत्येक बिल ट्रांजेक्शन को सिस्टम द्वारा जनरेट अनुक्रमिक संख्या अर्थात "आई.डी.\_संख्या" द्वारा दर्शाया जाता है।

2018-19 से 2020-21 के दौरान खजाना में टोकन नंबर दिए गए बिलों के विश्लेषण से पता चला कि 58,83,112 (आई.डी. संख्या 90,83,975 से 1,49,67,086) ट्रांजेक्शन में से 3,62,513 ट्रांजेक्शन ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में मिसिंग थे।

<sup>9</sup> यात्रा भत्ता (टी.ए.) बिल, मेडिकल बिल, सामान्य भविष्य निधि बिल, वर्क्स बिल, सामान्य रिफंड आदि।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने आश्वासन दिया कि डेटाबेस में कोई भी बिल मिसिंग नहीं था। तथापि, आई.डी. संख्या मिसिंग होने का कोई कारण नहीं बताया जा सका।

अनुच्छेद (i) से (v) लेखापरीक्षा लॉग के पर्याप्त रखरखाव की कमी को दर्शाते हैं।

#### 5.7.4.4 सार आकस्मिक और विस्तृत आकस्मिक बिल

सहायक खजाना नियम (एस.टी.आर.) के नियम 4.49 के अंतर्गत नोट 4 के अनुसार, प्रत्येक सार आकस्मिक (ए.सी.) बिल के साथ इस आशय का एक प्रमाण-पत्र संलग्न करना अपेक्षित है कि उस तिथि से एक माह से अधिक समय पहले आहरित किए गए सार आकस्मिक बिलों के संबंध में विस्तृत आकस्मिक बिल नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी स्थिति में सार आकस्मिक बिल को भुनाया नहीं जा सकता। आगे, सहायक खजाना नियम के नियम 4.49 के अंतर्गत नोट 5 के अनुसार, सार आकस्मिक बिल को उस माह के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जिस माह में सार आकस्मिक बिल आहरित किया गया था। जून 2016 में जारी हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार, विस्तृत आकस्मिक बिलों को सार आकस्मिक बिलों के आहरण से एक महीने के भीतर जमा करना अपेक्षित था। डेटा के विश्लेषण से पता चला कि किसी भी सार आकस्मिक बिल के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल के अनुमोदन/समायोजन के बाद, "समायोजित" कॉलम में एक फ्लैग "वाई" पॉप्युलेट किया गया है।

##### (i) *समायोजन के लिए लंबित सार आकस्मिक बिल*

ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में सार आकस्मिक बिलों से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता चला कि अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के मध्य ₹ 3,292.55 करोड़ की राशि के 8,128 बिल आहरित किए गए। डेटाबेस में विद्यमान जानकारी के अनुसार, ₹ 2,563.43 करोड़ की राशि के 7,005 समायोजन बिलों को इन बिलों के विरुद्ध डेटाबेस में समायोजित दर्शाया गया था। ₹ 729.12 करोड़ की राशि के 1,123 बिल (मई 2021 तक) दो से 37 माह के मध्य की अवधि के बाद समायोजन के लिए लंबित थे।

ई-बिलिंग डेटाबेस (तालिका: T\_P\_Bill\_adjust) में सार आकस्मिक बिल संख्या और तिथि के साथ समायोजन बिलों का विवरण शामिल है, जिसके विरुद्ध समायोजन बिल को प्राथमिकता दी गई थी। इस तालिका में संग्रहीत डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2018-2021 के दौरान संसाधित 4,607<sup>10</sup> सार आकस्मिक बिलों के लिए समायोजन बिल प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 2,438 समायोजन बिल एक माह की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत किए गए थे। समायोजन बिल प्रस्तुत करने में देरी एक से 913 दिनों के मध्य थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग

<sup>10</sup> T\_P-Token तालिका में समायोजित दिखाए गए 7,005 सार आकस्मिक बिलों में से 4,607 बिलों का विवरण "T\_PBill\_Adjust" तालिका में पाया गया और शेष 2,398 का विवरण तालिका में उपलब्ध नहीं था।

ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि समायोजन बिलों में देरी के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा और इसके लिए यथासमय निर्देश जारी किए जाएंगे।

यह सिफारिश की जाती है कि समायोजन के लिए लंबित बिलों की प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्ट/डैशबोर्ड डिजाइन किया जाए।

#### 5.7.4.5 ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली मॉड्यूल की जानकारी में विसंगतियां

ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस के मध्य डेटा के प्रवाह के बारे में चर्चा के दौरान उत्थान टीम ने बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय में बिल की तैयारी और अनुमोदन के दौरान कैप्चर किए गए डेटा को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा खजाना में बिल भेजे जाने के बाद ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में दोहराया जाता है। ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटा का विश्लेषण करते समय, इन डेटाबेस की टी\_पी\_टोकन तालिकाओं में उपलब्ध जानकारी से पता चला कि कुछ बिलों के विरुद्ध, दोनों तालिकाओं में जानकारी अलग-अलग थी।

क) 780 मामलों में, ई-बिलिंग मॉड्यूल में तैयार किए गए बिलों के लिए "सकल राशि" कॉलम में मूल्य ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में संबंधित बिलों के सामने दर्शाए गए मूल्य से भिन्न था। आगे, "तैयार खाता" स्थिति वाले 11 बिलों में, संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए बिलों के लिए "सकल राशि" कॉलम का मूल्य ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटा में संग्रहीत ₹ 229.23 लाख के विरुद्ध ₹ 149.44 लाख था, जैसा कि तालिका 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: सकल राशि में अंतर (बिलों की स्थिति तैयार लेखे के रूप में है)

क्र. सं.	बिल नंबर	ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में सकल राशि (₹ में)	बिलिंग डेटाबेस में सकल राशि (₹ में)
1.	05000602-2020-21-0039	13,56,300	10,60,330
2.	05000602-2020-21-0040	2,55,100	9,09,172
3.	05001405-2020-21-0001	1,69,098	35,834
4.	06041799-2020-21-0008	6,05,500	0
5.	09030794-2019-20-07-25-01	19,587	20,516
6.	10010924-2020-21-0004	51,370	19,900
7.	16000737-2020-21-05-13-02	41,31,439	41,38,881
8.	19000831-2020-21-04-42-01	16,08,888	12,79,464
9.	20000610-2020-21-04-46-02	68,86,153	11,23,785
10.	22072356-2020-21-0005	16,12,734	445
11.	24000582-2019-20-0017	62,27,220	63,55,254
	कुल	1,49,43,581	2,29,23,389

ख) 22,783 मामलों में ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में दर्ज बिलों की स्थिति ई-बिलिंग मॉड्यूल में दर्ज बिलों से भिन्न थी।

ग) तीन मामलों में, ई-बिलिंग मॉड्यूल में बिल तैयार करते समय कैप्चर किया गया आहरण एवं संवितरण अधिकारी\_कोड ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में खजाना द्वारा पारित बिल से अलग था।

- घ) 162 मामलों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए बिल में दर्ज मुख्य शीर्ष ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में संग्रहीत बिल डेटा से भिन्न था।
- ड) 20 मामलों में, ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में कैप्चर किया गया विभाग कोड ई-बिलिंग मॉड्यूल डेटा में दर्शाए गए विभाग कोड से भिन्न था।
- च) 83 मामलों में, दत्तमत/भारित व्यय का वर्गीकरण दोनों डेटाबेस में अलग-अलग था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र से इस मामले पर गौर करने का अनुरोध किया गया था।

यह अनुच्छेद दो एप्लिकेशनों में डेटा प्रवाह के बेमेल होने पर प्रकाश डालता है।

#### 5.7.4.6 बिल प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में बिल संसाधित करने में लगने वाले समय का विश्लेषण

निदेशालय, खजाना एवं लेखा ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को इसके उद्देश्यों में से एक के साथ लागू किया था, जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों के दौरान लगने वाले समय को कम करके दक्षता में सुधार करना और खजाना अधिकारी द्वारा अपने खजाना बैंकों के माध्यम से भुगतान करना शामिल था।

2018-19 से 2020-21 के दौरान तैयार किए गए 34,14,330 बिलों का डेटा विश्लेषण विभिन्न चरणों के संबंध में किया गया था और इस विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

#### (i) मेकर द्वारा बिल तैयार करना और आहरण एवं संवितरण अधिकारी (चेकर) द्वारा अनुमोदन

यह देखा गया कि 32,50,656 बिल निर्माता द्वारा अनुमोदन के लिए चेकर को भेजे गए थे, जिनमें से 32,18,010 बिल और 32,646 बिल तैयार होने के क्रमशः सात दिनों के भीतर और आठ तथा 318 दिनों के मध्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

#### (ii) बिल रद्द कर दिए गए

डेटा के विश्लेषण से पता चला कि डेटा विश्लेषण के लिए शामिल की गई अवधि के दौरान, उपयोगकर्ताओं द्वारा 95,078<sup>11</sup> बिल रद्द किए गए थे। उपलब्ध लेखापरीक्षा लॉग के साथ इन रद्द किए गए बिलों के विश्लेषण से पता चला कि 5,706 बिल उनके बनने के सात दिनों के भीतर रद्द कर दिए गए थे और उनमें से 3,439 बिल तैयारी के दिन ही रद्द कर दिए गए थे। तैयारी के आठ तथा 327 दिनों के मध्य 2,091 बिल रद्द कर दिए गए।

#### (iii) खजाना में बिल के लिए टोकन नंबर का आबंटन

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए 34,14,330 बिलों में से, भुगतान के

<sup>11</sup> 34,14,330-32,50,656=1,63,674 (तैयारी अधीन बिल: 62,475; खजाना स्तर पर रद्द किए गए बिल: 6,121 और डी.डी.ओ. स्तर पर रद्द किए गए बिल :95,078 - पैरा 5.7.4.6(ii) में विश्लेषण किया गया।

लिए आगे की प्रक्रिया के लिए खजाना स्तर पर 31,92,166<sup>12</sup> बिलों को टोकन नंबर दिए गए थे। इन बिलों के विश्लेषण से पता चला कि 9,62,602 बिलों को टोकन नंबर खजाने में बिलों की प्राप्ति के उसी दिन दिए गए थे और 17,39,779 बिलों को टोकन नंबर सात दिनों के भीतर दिए गए थे। तथापि, शेष 4,22,402 बिलों के लिए, टोकन नंबर आठ तथा 386 दिनों के मध्य दिए गए थे।

**(iv) बिल क्लर्क द्वारा बिल पास करना**

किसी बिल को टोकन आबंटित करने के बाद, बिल पास करने के लिए बिल पासिंग क्लर्क के लिए सुगम होता है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि टोकन नंबर बिल आबंटित करने के बाद पासिंग क्लर्क ने 31,91,747 बिलों पर कार्रवाई की थी। इनमें से 26,80,305 बिल या तो बिल पास करने वाले क्लर्क द्वारा उसी दिन पास या अस्वीकार कर दिए गए और 5,11,362 बिल टोकन असाइनमेंट के सात दिनों के भीतर संसाधित किए गए। तथापि, शेष 80 बिलों को संसाधित करने में आठ से 42 दिनों के मध्य का समय लगा।

**(v) खजाना अधिकारी द्वारा बिल सत्यापन**

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, खजाने में प्राप्त बिलों को टोकन नंबर आबंटित करने के बाद, बिल पास करने वाला क्लर्क इन बिलों की प्रक्रिया करता है और उन्हें सत्यापन के लिए खजाना अधिकारी के पास प्रस्तुत करता है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 29,95,424 बिल खजाना अधिकारी को प्रस्तुत किए गए और 29,95,412 बिल खजाना अधिकारी द्वारा संसाधित किए गए। शेष 12 बिलों के लिए, टूपास\_डेट के अंतर्गत स्थिति खाली थी। इनमें से 29,73,634 बिलों को खजाना अधिकारी द्वारा इन बिलों को टोकन नंबर दिए जाने की तिथि से सात दिनों के भीतर सत्यापित किया गया था। तथापि, शेष 21,778 बिलों के सत्यापन में आठ से 646 दिनों की अवधि लगी।

इन बिलों के विश्लेषण से आगे पता चला कि आगामी वित्तीय वर्ष में 2,627 बिलों का निष्पादन खजाना अधिकारियों द्वारा किया गया।

**(vi) खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेशन**

खजाना अधिकारी द्वारा सत्यापित 29,49,027 बिलों<sup>13</sup> के विश्लेषण से पता चला कि 29,21,952 बिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट हुई थी। इनमें से, 28,98,352 बिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली खजाना अधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन के सात दिनों के भीतर जनरेट हुई थी और 23,600 बिलों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आठ से 335 दिनों के मध्य की अवधि में जनरेट हुई थी।

<sup>12</sup> 34,14,330-31,92,166=2,22,164 (बिल निरस्त-95,078; तैयारी अधीन-62,097; चेकर को भेजे गए-17,705; खजाना को भेजे गए-25,233; वित्त विभाग से वापस किए गए-20,542; खजाना को भेजे गए-1,502 और तैयार लेखे-7)।

<sup>13</sup> 29,95,412-29,49,027=46,385 बिल खजाना अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे।

इस चरण के डेटा के विश्लेषण से यह भी पता चला कि 46 मामलों में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सृजन अगले वित्तीय वर्ष में हुआ।

**(vii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर हस्ताक्षर**

उत्थान टीम द्वारा वर्णित प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट होने के बाद, इसे खजाना अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाता है। इस जानकारी के विश्लेषण से पता चला कि 29,21,952 मामलों में से 1,403 मामलों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। शेष 29,20,549 मामलों में से, 28,83,452 बिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेशन के तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए गए थे और शेष 37,097 बिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर उनके जनरेशन के चार से 322 दिनों के मध्य की अवधि में हस्ताक्षर किए गए थे।

**(viii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली डिलीवरी**

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को सत्यापित करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सौंप दिया जाता है और उसके बाद बैंक भुगतान करने के लिए ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया करता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली डिलीवरी डेटा के साथ हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली डेटा (29,20,549 मामले) के विश्लेषण से पता चला कि 4,45,281 बिलों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली डिलीवरी की तिथि डेटाबेस में दर्ज नहीं की गई थी। शेष 24,75,268 मामलों में से, 24,72,575 मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली हस्ताक्षर के सात दिनों के भीतर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सौंप दी गई थी। तथापि, 2,693 मामलों में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आठ से 519 दिनों के मध्य की अवधि में सौंपी गई थी।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि 54 बिलों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का वितरण आगामी वित्तीय वर्ष में खजाना अधिकारी द्वारा किया गया था।

**(ix) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सत्यापन**

खजाना अधिकारी से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की डिलीवरी प्राप्त होने के बाद, आहरण एवं संवितरण अधिकारी बैंक द्वारा भुगतान के लिए ट्रांजेक्शन को संसाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सत्यापन करता है। डेटा के विश्लेषण से पता चला कि सत्यापन के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा खजाना अधिकारी से प्राप्त 24,75,268 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में से, आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने 24,74,539 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को सत्यापित किया था और डेटाबेस के अनुसार, शेष 729 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली मामलों को अप्रैल 2021 तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में से, 23,44,655 को उनकी डिलीवरी के तीन दिनों के भीतर सत्यापित किया गया था। तथापि, 1,29,884 मामलों में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को खजाना अधिकारी से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की डिलीवरी मिलने के चार से 262 दिनों के मध्य की अवधि में सत्यापित किया गया था।

44 बिलों में, डेटा विश्लेषण से पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को आगामी वित्तीय वर्ष में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था।

**(x) बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सत्यापन**

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन के बाद, आदाता के खाते में भुगतान जमा करने के लिए बैंक द्वारा इसे सत्यापित किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित 24,74,539 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में से, बैंकों ने भुगतान करने के लिए 24,73,857 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को सत्यापित किया था। इनमें से 23,25,126 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को बैंक द्वारा तीन दिनों के भीतर सत्यापित किया गया और शेष 1,48,731 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापन के चार से 30 दिनों के मध्य की अवधि में सत्यापित किया गया।

38 बिलों में, डेटा विश्लेषण से पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को अगले वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा सत्यापित किया गया था।

**(xi) भुगतान किया गया**

बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली सत्यापित होने के बाद, भुगतान राशि आदाता के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक द्वारा सत्यापित 24,73,857 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में से 24,73,816 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का भुगतान बैंक द्वारा किया गया था। 24,70,763 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए भुगतान बैंकों द्वारा सत्यापन किए जाने के तीन दिनों के भीतर किया गया था और 2,162 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में भुगतान बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन के चार से 28 दिनों के मध्य की अवधि में किया गया था। तथापि, शेष 891 मामलों में, भुगतान बैंक द्वारा सत्यापन से पहले किया गया था। इन 891 मामलों में 38 ऐसे मामले शामिल हैं जिनका सत्यापन वर्ष 2021-22 में किया गया तथा भुगतान वर्ष 2020-21 में किया गया।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि दो मामलों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सत्यापन वर्ष 2019-20 के दौरान किया गया था और भुगतान वर्ष 2020-21 में किया गया था।

**(xii) बिलों को तैयार करने के बाद उन्हें अंतिम रूप देने में लिया गया समय**

लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल की गई अवधि के दौरान तैयार किए गए 34,14,330 बिलों के विश्लेषण से पता चला कि 31,52,789 बिल खजानों द्वारा तैयार किए गए मासिक खातों का हिस्सा थे। इन बिलों की संवीक्षा से पता चला कि 102 बिलों के मामले में वाउचर इन बिलों को तैयार करने की तिथि से पहले तैयार किया गया था। शेष 31,52,687 बिलों में से 30,35,484 बिलों को 30 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया गया और शेष 1,17,203 बिलों को 31 से 347 दिनों की अवधि में संस्वकृति दे दी गई।

डेटा विश्लेषण के दौरान यह भी अवलोकित गया कि इन बिलों को तैयार करने वाले वर्ष के

बाद के वर्ष के मासिक खाते में 931 बिल शामिल किए गए थे।

विभाग के "ऐज-इज" और "टू-बी डॉक्यूमेंट" दस्तावेजों की जांच से पता चला कि समय की खपत को कम करके बिलों की प्रक्रिया में दक्षता में वृद्धि को मापने के लिए, बिल भुगतान के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए मानदंड तय नहीं किए गए थे। प्रत्येक चरण में बिलों को संसाधित करने के लिए किसी निर्धारित मानदंड के अभाव में अत्यधिक समय लगने के मामले देखे गए और प्रत्येक चरण में लगने वाला अधिकतम समय 28 से 646 दिनों तक है।

**(xiii) अंतिम निपटान हेतु लंबित बिल**

लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल की गई अवधि के दौरान, राज्य सरकार के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 34,14,330 बिल तैयार किए गए थे। बिल की अंतिम स्थिति दर्शाती है: "लेखे तैयार किए गए हैं" जिसका अर्थ है कि इन बिलों का भुगतान किया गया है तथा मासिक खातों में दर्शाया जाता है और "आहरण एवं संवितरण अधिकारी/खजाना अधिकारी/वित्त विभाग/वित्त विभाग में अर्थापाय शाखा द्वारा रद्द/अस्वीकार कर दिया गया है"। इन 34,14,330 बिलों में से 33,05,355 बिलों के संबंध में ट्रांजेक्शन को अंतिम माना गया। तथापि, शेष 1,08,967<sup>14</sup> बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और तालिका 5.6 में दिए गए विवरण के अनुसार बिल प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लंबित थे।

**तालिका 5.6: विभिन्न चरणों में बिलों का लंबित होना**

बिलों की चरणवार स्थिति	माँड्यूल	बिलों की संख्या	लंबित सीमा
बिल तैयार किए जा रहे हैं	ई-बिलिंग	62,097	04/18 से 03/21
चेकर के पास बिल लंबित हैं	ई-बिलिंग	17,705	04/18 से 03/21
संस्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है	ई-बिलिंग	1,751	04/19 से 02/21
खजाने में भेजा गया	ई-बिलिंग	25,233	10/18 से 03/21
बिल क्लर्क द्वारा पास	ओ.टी.आई.एस.	1	05/21
वेज एंड मीन्स से लंबित	ओ.टी.आई.एस.	38	-
खजाना अधिकारी द्वारा सत्यापित	ओ.टी.आई.एस.	56	05/19 से 03/21
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट हुआ	ओ.टी.आई.एस.	45	-
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली वितरित	ओ.टी.आई.एस.	1,050	-
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित	ओ.टी.आई.एस.	911	-
बैंक में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. फाइल जनरेट हुई	ओ.टी.आई.एस.	4	-
बैंक में भुगतान सत्यापित किया गया	ओ.टी.आई.एस.	76	-
<b>कुल</b>		<b>1,08,967</b>	

यह अनुच्छेद विभिन्न चरणों/प्रक्रियाओं में बिलों को निपटाने के लिए बेंचमार्क के निर्धारण न करने के प्रभावों पर प्रकाश डालता है जिसके कारण बिलों का ट्रांजेक्शन लंबित हो गया और विभिन्न चरणों में बिलों को निपटाने में असामान्य समय लगा। इसके अलावा, अंतिम निपटान के लिए लंबित बिलों के मामले में बकाया देयताओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है (उप-पैरा 5.7.4.6 (xiii))।

<sup>14</sup> 34,14,330-33,05,355=1,08,975-1,08,967=8 इन आठ मामलों की स्थिति "ई-बिलिंग डेटाबेस में तैयार खाता" के रूप में दर्शाई गई थी। तथापि, ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस के अनुसार इन बिलों की स्थिति सात मामलों में "तैयारी अधीन" और एक मामले में "आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली" के रूप में दर्शाई गई थी।




मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि सभी हितधारकों के साथ उचित चर्चा के बाद प्रत्येक चरण में बिलों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय की जाएगी।

### 5.7.5 ई-पेंशन

ई-पेंशन मॉड्यूल निदेशालय खजाना एवं लेखा, हरियाणा (अक्टूबर 2012) द्वारा विकसित किया गया था। मॉड्यूल का उपयोग राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों को संसाधित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खजाना अधिकारियों (टी.ओ.) द्वारा प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय से प्राप्त पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) का विवरण दर्ज करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन से संबंधित बिलों को पहले खजाना अधिकारी द्वारा संसाधित किया जाता है और बाद में, मासिक पेंशन को नियमित आधार पर पेंशन संवितरण सेल (पी.डी.सी.) द्वारा वितरित किया जाता है। पेंशन संवितरण सेल, निदेशालय, खजाना एवं लेखा, हरियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। ई-पेंशन मॉड्यूल का वर्कफ्लो चार्ट 5.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.5: ई-पेंशन मॉड्यूल का वर्कफ्लो



ई-पेंशन मॉड्यूल की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (आई.टी. लेखापरीक्षा) के दौरान, निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

### 5.7.5.1 अधिक भुगतान

#### (i) निर्धारित सीमा से अधिक ग्रेच्युटी राशि का भुगतान

मार्च 2017 में जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹ 20 लाख होगी। जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा तो ग्रेच्युटी की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

मासिक पेंशन डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि पांच मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान ₹ 20 लाख की अधिकतम सीमा से अधिक किया गया था जैसा कि नीचे तालिका 5.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.7: ₹ 20 लाख की सीमा से अधिक ग्रेच्युटी का भुगतान

क्र. सं.	नाम श्री/सुश्री	आदाता कोड	डी.डी.ओ. कोड/स्टेशन	ग्रेच्युटी भुगतान की राशि (₹ में)	ग्रेच्युटी भुगतान की तिथि	भुगतान की गई ग्रेच्युटी की कुल राशि (₹ में)
1	सरोज बाला	0डी2एम2एफ	0765/रोहतक	17,06,562	15.05.2020	22,66,338
				5,59,776	22.03.2021	
2	ज्ञानचंद	0एच3क्यूबीओ	0765/कैथल	10,00,000	03.09.2016	21,70,350
				1,97,450	21.09.2017	
				72,900	18.10.2018	
				9,00,000	27.04.2016	
3	कर्ण सिंह	3ए0एल9बी	0765/पंचकुला	14,63,053	06.09.2019	22,40,264
				85,767	18.01.2020	
				6,91,444	16.04.2021	
4	मधु साहनी	4एफ1क्यूटीएफ	0765/गुरुग्राम	11,57,442	17.06.2017	21,57,442
				10,00,000	22.02.2019	
5	मंजू बाला	6ए1क्यूजेजे	0765/गुरुग्राम	11,12,549	22.03.2018	21,12,549
				10,00,000	25.09.2019	

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने भविष्य में अधिक भुगतान की संभावना से बचने के लिए ई-पेंशन प्रणाली में अपेक्षित जांच लागू की है।

#### (ii) पेंशन दो बार निकाली गई

1 अगस्त 2012 से पहले, हरियाणा सरकार के सिविल पेंशनर जो चंडीगढ़ के हरियाणा खजाना सहित राज्य में खजाना/उप-खजाना से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उनके पास खजाना या निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने का विकल्प था। तथापि, 01.08.2012 से पेंशन का भुगतान ट्रेजरी/पी.डी.सी. द्वारा पेंशनर के बैंक खाते में राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा किया जाएगा।

ई-पेंशन मॉड्यूल के डेटाबेस और केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीपीसी) के डेटा के साथ इसके क्रॉस संदर्भ का विश्लेषण करते समय, यह देखा गया कि 51,659 मामलों में से, दो मामलों में पेंशनर भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ पेंशन संवितरण सेल (पी.डी.सी.) के माध्यम से दोहरी पेंशन प्राप्त कर रहे थे और 57 मामलों में पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) फील्ड में प्रविष्टि करते समय डेटा प्रविष्टि त्रुटियां थीं।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि दो मामलों में वसूली की गई है और सभी खजानों को ई-पेंशन प्रणाली में सही डेटा की प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

#### 5.7.5.2 स्रोत से कर कटौती (टी.डी.एस.)

**वित्तीय वर्ष 2020-21 (निर्धारण वर्ष 2021-22) के लिए पेंशनरों से टी.डी.एस. की कम कटौती** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 में प्रावधान है कि किसी भी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, जो 'वेतन' शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य है, करदाता की अनुमानित आय पर 'वेतन' शीर्षक के अंतर्गत आयकर काटेगा। कर की गणना लागू दरों के आधार पर गणना की गई आयकर की औसत दर पर की जानी अपेक्षित है। कटौती वास्तविक भुगतान के समय की जानी है।

पूर्व नियोक्ता से प्राप्त की गई पेंशन वेतन के रूप में करयोग्य है। पेंशन संवितरण से पहले लागू आयकर की औसत दर पर स्रोत से कर कटौती करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी है।

ई-पेंशन मॉड्यूल के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि विभिन्न पेंशनरों से की गई स्रोत से कर कटौती लागू दरों के अनुसार नहीं थी। परिणामस्वरूप, 1,390 मामलों में, ₹ 3,16,18,441 की स्रोत से कर कटौती की राशि कम कटौती की गई। इससे ई-पेंशन मॉड्यूल में सत्यापन जांच की कमी का पता चला। स्रोत से कर कटौती की कम कटौती के उपर्युक्त 1,390 मामले वित्तीय वर्ष 2020-21 (निर्धारण वर्ष 2021-22) से संबंधित हैं। विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि ई-पेंशन मॉड्यूल में आयकर अधिनियम की अनुसूची VI के अनुसार कटौती के उद्देश्य से निवेश/व्यय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था।

वित्त विभाग परिवर्तन प्रबंधन अनुरोधों के माध्यम से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में वर्तमान नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित नियमों/प्रावधानों की मैपिंग और विभिन्न सत्यापन जांचों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विचार करे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र बचत मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया में है जिसके बाद इस मामले का समाधान किया जाएगा।

#### 5.7.5.3 ई-पेंशन में पेंशनर विंडो

हरियाणा राज्य सरकार के पेंशनरों को उपयोगकर्ता\_आई.डी. और पासवर्ड प्रदान किया गया है, जिसका उपयोग करके वे ई-पेंशन पर लॉग-इन करके, उन्हें किए गए पेंशन भुगतान का विवरण देख सकते हैं। पेंशनर केवल उसे किए गए पेंशन और पेंशन लाभ भुगतान की रिपोर्ट देख सकता है। पेंशनर द्वारा देखे गए पेंशन और संबंधित पेंशन लाभों के अधिक भुगतान के मामलों में, पेंशनर अलग से ई-ग्रास मॉड्यूल पर चालान बना सकता है और उसके विरुद्ध भुगतान कर सकता है।

ई-पेंशन मॉड्यूल में पेंशनर विंडो की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि पेंशनर द्वारा अधिक भुगतान के विरुद्ध ई-ग्रास में जमा की गई राशि ई-पेंशन मॉड्यूल में दर्शाई नहीं गई थी। यह ई-ग्रास और ई-पेंशन मॉड्यूल के मध्य एकीकरण की कमी को दर्शाता है। इस वसूली राशि का प्रतिबिंबित न होना ई-पेंशन मॉड्यूल की कमी माना जाता है, जिसमें पेंशनर को पेंशन राशि की वसूली के प्रमाण के रूप में चालान की भौतिक प्रतियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

आगे, ई-पेंशन मॉड्यूल में यह देखा गया था कि पारिवारिक पेंशन के मामले में, वास्तविक पेंशनर के अभिलेख को ओवरराइट करके मूल पेंशनर का नाम पारिवारिक पेंशनर के नाम से बदल दिया गया था। यह चिंता का विषय है क्योंकि यह डेटा की वास्तविकता पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

वित्त विभाग हिस्टोरिकल डेटा/सूचना के रूप में ई-पेंशन मॉड्यूल में पेंशनरों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशनरों के विवरण को कैप्चर करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कार्यक्षमता सुनिश्चित करने पर विचार करे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। विभाग ने बताया (मार्च 2024) कि की गई वसूली का विवरण प्रदर्शित करने की कार्यक्षमता राष्ट्रीय सूचना केंद्र के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। आगे, पेंशनर के नाम को पारिवारिक पेंशनर के नाम से बदलने के संबंध में, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने ई-पेंशन प्रणाली को सही कर दिया है और अब पेंशनर के नाम को बदलने के लिए प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

#### 5.7.5.4 पेंशनरों की शिकायत निवारण

निदेशालय खजाना एवं लेखा द्वारा तैयार किए गए 'टू बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट' के अनुसार, ई-पेंशन मॉड्यूल में पेंशनरों की शिकायत निवारण कार्यक्षमता होनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि पेंशनरों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कोई विशिष्ट विंडो/फोरम नहीं था। राज्य में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत एक सामान्य हेल्प डेस्क परिचालन में थी। तथापि, यह हेल्प डेस्क एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत सभी मॉड्यूल के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग से राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पेंशनरों की शिकायत के निवारण के लिए नई कार्यक्षमता विकसित करने का निर्देश दिया। आगे, विभाग ने बताया (मार्च 2024) कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र, पेंशनरों की शिकायतों को प्रस्तुत करने/निगरानी करने के लिए विशिष्ट विंडो के कार्यान्वयन पर कार्य कर रहा है।

#### 5.7.5.5 पुत्री को पारिवारिक पेंशन का विनियमन

हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम, 2016 के नियम 8(10) बी(ii) में प्रावधान है कि पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु तक के सबसे बड़े अविवाहित और आश्रित पुत्र या पुत्री को दी जाए। आगे, नियम 8(10) बी(iv) में यह प्रावधान है कि यदि विधवा या 25 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे नहीं हैं, तो अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों में से आश्रित सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, उसके विवाह/पुनर्विवाह की तिथि तक या उस तिथि तक जब तक वह आजीविका

अर्जित करना शुरू नहीं करती, जो भी पहले हो, के लिए पारिवारिक पेंशन पर विचार किया जा सकता है। नियम 47 के अंतर्गत नोट यह निर्धारित करता है कि पुत्र या पुत्री या भाई-बहन या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह पेंशन संवितरण प्राधिकारी (पीडीए) को, जैसा भी मामला हो, वर्ष में एक बार मार्च के माह में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि, (i) उसने अपनी आजीविका अर्जित करना शुरू नहीं किया है और (ii) उसने अभी तक शादी या पुनर्विवाह नहीं किया है। इसी तरह का प्रमाण-पत्र निःसंतान विधवा द्वारा अपने पुनर्विवाह के बाद या दिव्यांग पुत्र या पुत्री या माता-पिता द्वारा, जैसा भी मामला हो, पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष मार्च माह में प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने अपनी आजीविका अर्जित करना शुरू नहीं किया है।

ई-पेंशन मॉड्यूल की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि मॉड्यूल मृत पेंशनर की अविवाहित पुत्री की 25 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन रोक देता है। यदि पुत्री नियम 8(10) बी(iv) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी से संबंधित है, तो उसकी पेंशन जारी रखने के लिए मॉड्यूल में कोई प्रावधान नहीं था, जिससे पात्र पुत्रियां अपने योग्य लाभों से वंचित हो गईं।

एक कुशल प्रणाली के लिए मॉड्यूल में प्रोग्रामिंग लॉजिक के साथ सभी बिजनेस नियमों की मैपिंग अपेक्षित है। यह देखा गया कि ई-पेंशन मॉड्यूल के फॉर्म में कुछ कमियां थी या अधूरी मैपिंग थी जिसके कारण पेंशनर को भुगतान के वितरण में अनावश्यक असुविधा/देरी हुई।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार के सभी सदस्यों का विवरण पेंशन मॉड्यूल में उनकी पात्रता तिथि के साथ दर्ज करने के लिए सूचित किया गया था।

#### 5.7.5.6 डेटा में विसंगतियां

डेटाबेस में मास्टर डेटा पूर्ण और सटीक होना चाहिए क्योंकि ट्रांजेक्शन डेटा को मास्टर डेटा के विरुद्ध मान्य किया जाता है। 2018-19 से 2020-21 (अप्रैल 2021) की अवधि के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटा और ई-पेंशन मॉड्यूल के विश्लेषण से निम्नलिखित विसंगतियां सामने आईं:

##### क. जन्मतिथि

पेंशनरों का पूरा विवरण प्राप्त करने के लिए dbo\_personal\_detail नामक तालिका बनाई गई थी। डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 1,53,392 अभिलेखों में से 1,808 अभिलेखों में सिस्टम में दर्ज जन्मतिथि पेंशनभोगी की नियुक्ति की तिथि के बाद की थी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 211 मामलों में, दर्ज की गई जन्मतिथि मृत्यु की तिथि के बाद की थी।

##### ख. पेंशनर का नाम


Dbo\_personal\_detail तालिका में उपलब्ध डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि एक ही नाम दो कॉलमों में दर्ज किया गया था, अर्थात् पेंशनर के नाम के कॉलम में और रिलेटिव के नाम के कॉलम में।

**ग. रिलेशन आई.डी.**

पेंशनर के आश्रित के संबंध के कोड को दर्शाने के लिए डीबीओ\_रिलेशन\_मास्टर<sup>15</sup> तालिका बनाई गई थी जिसमें एक से नौ तक के वैल्यूज को परिभाषित किया गया था। तथापि, विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 10,66,973 अभिलेखों में से 74,114 में (ट्रांजेक्शन तालिका अर्थात् dbo.ecertificate में) रिलेशन कोड को "0" के रूप में कैप्चर किया गया था जो मास्टर तालिका में उपलब्ध नहीं था।

**घ. शून्य वैल्यू**

ई-पेंशन मॉड्यूल के डेटा का शून्य वैल्यू के लिए विश्लेषण किया गया। डेटा का विश्लेषण करने के बाद, यह देखा गया था कि शून्य वैल्यू वाले अभिलेख थे, जैसा कि चार्ट 5.6 में दर्शाया गया है।



उपर्युक्त उदाहरण असंगत डेटा इनपुट को प्रतिबंधित करने के लिए सिस्टम में इनपुट सत्यापन जांच की अनुपस्थिति को इंगित करते हैं। आगे, वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से ई-पेंशन भुगतान आदेश {भेजा गया (एक्स्टेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज)} से स्वचालित इनपुट प्राप्त करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कार्यक्षमता सुनिश्चित करने पर विचार करें।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि सभी खजाना अधिकारियों/सब-खजाना अधिकारियों को ई-पेंशन प्रणाली में उचित डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था ताकि डेटा की विसंगतियों से बचा जा सके।

यह सिफारिश की जाती है कि जंक डेटा से बचने के लिए ई-पेंशन मॉड्यूल की मास्टर तालिका में वैध वैल्यू को कैप्चर करने के लिए ई-पेंशन मॉड्यूल को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाए।

<sup>15</sup> 01 स्वयं, 02 पत्नी, 03 पति, 04 निःसंतान विधवा, 05 पुत्र, 06 पुत्री, 07 विधवा पुत्री, 08 तलाकशुदा पुत्री और 09 माता-पिता के लिए।

### 5.7.5.7 पूर्व-संशोधित दरों पर मासिक पेंशन का भुगतान

हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1 नियम, 2017 (मार्च 2017 में अधिसूचित) के नियम 5(3) के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से वृद्ध पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन को छोड़कर न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन ₹ 9,000 प्रति माह होगी।

इसके अलावा, नियम 10(1) निर्धारित करता है कि हरियाणा सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन का वितरण संभालने वाले सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारी विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को समेकित दरों पर महालेखाकार कार्यालय/कार्यालय प्रमुख आदि से बिना किसी प्राधिकरण के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं।

ई-पेंशन मॉड्यूल (तालिका: मंथली\_पेंशन) के अप्रैल 2021 माह के डेटा विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 332 पेंशनरों को मासिक पेंशन का भुगतान ₹ 3,500 प्रति माह की पूर्व-संशोधित दरों पर किया गया था। इसने बिजनस नियमों के साथ प्रोग्रामिंग लॉजिक की मैपिंग में देरी को दर्शाया।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि पेंशनरों से संपर्क करने के लिए सभी खजाना अधिकारियों/उप-खजाना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे।

### 5.7.5.8 केंद्रीकृत पेंशन संवितरण सेल (पी.डी.सी.) से संबंधित अभ्युक्तियां

#### खजानों पर पेंशन संवितरण सेल में कोई निगरानी तंत्र नहीं

राज्य सरकार द्वारा परिचालित (जुलाई 2014) ई-पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन संवितरण सेल और विभिन्न खजानों/उप-खजानों के कार्यों के अनुसार, पेंशन संवितरण सेल को पेंशन का क्रेडिट, पेंशन का समय पर संशोधन, छुट्टी यात्रा रियायत भत्ते का समय पर क्रेडिट, पेंशन/आजीवन बकाया जारी करना, सरकार के आदेशों के अनुसार विभिन्न भत्तों का संशोधन और जारी करना, न्यायालय/सरकार/महालेखाकार कार्यालय जैसा कि दूसरों के मध्य लागू होता है, के आदेशों के अनुसार पेंशन/ग्रेच्युटी से वसूली सुनिश्चित करना था। ई-पेंशन मॉड्यूल में, संबंधित खजाना, महालेखाकार कार्यालय से नए पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्राप्त होने पर, सिस्टम में पेंशनर विवरण को मैप करता है और पहला पेंशन भुगतान करने के बाद, पेंशन भुगतान आदेश के डेटा को पेंशन संवितरण सेल में भेज देता है। बिल जनरेशन के बाद, पेंशन संवितरण सेल ने इस डेटा को पारित करने और पेंशन जारी करने के लिए पंचकुला खजाना को भेज दिया। संशोधित पेंशन भुगतान आदेश के कारण होने वाले परिवर्तन, महालेखाकार कार्यालय द्वारा रिपोर्ट किया गया कोई भी संशोधन, प्रारंभिक डेटा सुधार, पेंशनर की मृत्यु की तिथि, स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) और अन्य वसूली जैसे कोई भी बाद के परिवर्तन, यदि अपेक्षित हो तो महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त संशोधित पेंशन भुगतान आदेश के कारण या अन्यथा कटौती केवल संबंधित खजाना द्वारा की जाती थी। पेंशन भुगतान आदेश का संरक्षक वह खजाना है जिसे महालेखाकार कार्यालय द्वारा इसे जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि यद्यपि पेंशन संवितरण सेल को नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया था, यह पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मासिक भुगतान के अलावा उसे सौंपे

गए कार्यों को निष्पादित नहीं कर रहा था। लेखापरीक्षा में ई-पेंशन मॉड्यूल में कोई ऐसी कार्यक्षमता नहीं पाई गई जो पेंशन संवितरण सेल को उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाती हो। इस प्रकार, पेंशन संवितरण सेल यह सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था कि क्या खजाना द्वारा सही पेंशन वितरित की गई थी या यह जांचने के लिए कि राज्य भर में खजाना अधिकारियों द्वारा दावों के कितने मामले प्राप्त हुए थे और उन दावों को निपटाने के लिए खजाना अधिकारियों द्वारा कितना समय लिया गया था।

चूंकि पेंशन संवितरण सेल का गठन पेंशन के वितरण के साथ-साथ हरियाणा राज्य में सभी पेंशनरों की शिकायतों पर विचार करने के लिए किया गया था, वित्त विभाग, पेंशन संबंधी सभी गतिविधियों के लिए पेंशन संवितरण सेल को उत्तरदायी बनाने के लिए पेंशन संबंधी अन्य कार्यों जैसे महंगाई राहत में वृद्धि/वेतन आयोग के कारण पेंशन में संशोधन आदि के लिए पेंशन संवितरण सेल के उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए पेंशन संवितरण सेल के अधिकारियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के लिए ई-पेंशन मॉड्यूल में कार्यात्मकताओं की अनुरूपता सुनिश्चित करने पर विचार करे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि ई-पेंशन मॉड्यूल के लिए डैशबोर्ड के प्रावधान के संबंध में राष्ट्रीय सूचना केंद्र से अनुरोध किया जाएगा ताकि खजाना अधिकारियों द्वारा संसाधित और उनके पास लंबित मामलों की निगरानी की जा सके।

#### 5.7.5.9 सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा

ई-बिलिंग के माध्यम से बिल तैयार करने के लिए मेकर और चेकर की अवधारणा है अर्थात् मेकर और चेकर की उपयोगकर्ता आई.डी. अलग-अलग होती है, जहां मेकर बिल तैयार करता है तथा चेकर को उसकी जांच और अनुमोदन के लिए भेजता है। तथापि, ई-पेंशन मॉड्यूल में, ई-पेंशन में पेंशन बिल तैयार करने के लिए मेकर और चेकर की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है जिसके माध्यम से पेंशन संवितरण सेल पेंशन बिल बनाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया था कि पेंशन संवितरण सेल में, मेकर की कोई अवधारणा नहीं थी क्योंकि सभी बिल केवल चेकर आई.डी. का उपयोग करके तैयार किए जा रहे थे। यह भी देखा गया कि एकल चेकर आई.डी. को संचालित करने के लिए सिस्टम की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसलिए, बिल बनाने के लिए एक ही चेकर आई.डी. को कई सिस्टम पर एक साथ खोला जा सकता है। इन बिलों को पेंशन संवितरण सेल में किसी दूसरी जांच के बिना पेंशन बिलों को पास करने के लिए चेकर द्वारा खजाना अधिकारी, पंचकुला के पास भेजा गया था। इस प्रैक्टिस ने खाता सुरक्षा से समझौता किया, जिससे बिना निगरानी के धोखाधड़ी और अनधिकृत ट्रांजेक्शन की संभावना बढ़ गई।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र की टीम से सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अलग-अलग आई.डी. बनाने का अनुरोध किया गया था जैसे पेंशन से संबंधित कार्य करने वाले डी.ई.ओ. के लिए मेकर, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए चेकर और संयुक्त निदेशक (पेंशन संवितरण सेल), सब-खजाना अधिकारी (पेंशन संवितरण सेल), प्रोग्रामर (पेंशन संवितरण सेल) के लिए विभिन्न भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ यूजर\_आई.डी., जैसा कि ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली में किया जा रहा है।




5.7.6 ई-ग्रास मॉड्यूल

चालान की वैधता समाप्त होने के बाद जमा की स्वीकृति

हरियाणा सरकार अपने ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से प्राप्तियां स्वीकार करती है, जहां उपयोगकर्ता, विभाग, मुख्य शीर्ष, भुगतान का उद्देश्य, राशि आदि का विवरण दर्ज करके चालान जनरेट करता है। भुगतान या तो ऑनलाइन या खजाना बैंक काउंटर पर किया जा सकता है। पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान वैधता तिथि भी प्रदर्शित करता है, जिस तिथि तक भुगतान खजाना बैंक में जमा किया जा सकता है।

चार्ट 5.7: ई-ग्रास मॉड्यूल का वर्कफ्लो मॉड्यूल




ई-ग्रास मॉड्यूल के डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जनरेट की गई 3,72,66,077 सरकारी संदर्भ संख्या (जीआरएन) में से 2,69,44,908 सरकारी संदर्भ संख्या के विरुद्ध भुगतान किया गया। आगे यह देखा गया था कि पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण के अभाव में, चालान पर दी गई वैधता अवधि की समाप्ति के बाद 11,130 सरकारी संदर्भ संख्या के विरुद्ध भुगतान स्वीकार किया गया था। सरकारी संदर्भ संख्या वैधता के बाद भुगतान की स्वीकृति एक से 186 दिनों के मध्य है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

### 5.7.7 ई-बजट

बजटिंग मॉड्यूल की संकल्पना प्राप्तियों और व्यय के लिए बजट अनुमानों को पूरा करने के लिए की गई है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट अनुमान वास्तविक हैं, बजट तैयारी मॉड्यूल को विभिन्न प्रक्रिया कार्यों के साथ एकीकृत करके तैयार किया गया है। यह प्रणाली वित्त विभाग, बजट संवितरण प्राधिकारी/बजट संवितरण अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को बजट संबंधी कार्य करने में सक्षम बनाती है। ई-बजट मॉड्यूल का वर्कफ्लो फ्लो चार्ट 5.8 के अनुसार नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 5.8: ई-बजट मॉड्यूल का वर्कफ्लो मॉड्यूल



### 5.7.7.1 बजट पुनर्विनियोग

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब बजट मैनुअल का पैरा 14.5 प्रावधान करता है कि एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग, दत्तमत से भारत और इसके विपरीत, एक ही अनुदान के भीतर पूंजीगत शीर्ष से राजस्व शीर्ष और इसके विपरीत तथा वर्ष की समाप्ति के बाद स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा पैरा 14.8 के अनुसार, मुख्य, लघु या अधीनस्थ शीर्ष से दूसरे शीर्ष में अनुदान के भीतर पुनर्विनियोग को वित्त विभाग द्वारा पैराग्राफ 14.5 में उल्लिखित प्रतिबंध के अधीन स्वीकृति दी जाए। पैराग्राफ 14.9(4) के प्रावधानों के अनुसार, वित्त विभाग ने संबंधित प्रशासनिक विभाग को दत्तमत और भारत दोनों व्यय के संबंध में एक मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्षों के मध्य अनुदान के भीतर पुनर्विनियोग की शक्तियां सौंपी थी।

#### i) पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण का अभाव

चर्चा के दौरान, विकास टीम ने बताया कि तालिका "TEMP\_SCHM\_EXP\_REAPPROPRIATION" को विनियोग यूनिट-वार आहरित और आबंटित निधियों का विवरण कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि तालिका 5.8 में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 42.58 करोड़ की निधि को दत्तमत से भारत सेक्शन और एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग किया गया था।

तालिका 5.8: अनुचित पुनर्विनियोग

क्र. सं.	वर्ष	दत्तमत से प्रभारित की गई राशि को पुनर्विनियोग किया गया (₹ में)	अंतर अनुदान पुनर्विनियोग की राशि (₹ में)
1.	2018-19	13,98,00,000	-
2.	2019-20	5,10,00,000	-
3.	2020-21	-	23,50,00,000
	कुल	19,08,00,000	23,50,00,000

विभाग के बिजनेस नियमों के अनुसार पर्याप्त सत्यापन जांच के अभाव में, प्रणाली अनियमित पुनर्विनियोग लेनदेन के प्रसंस्करण की अनुमति दे रही थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र को बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार अनुमत नहीं होने वाले पुनर्विनियोग को प्रतिबंधित करने के लिए सिस्टम में उचित बदलाव शामिल करने के लिए कहा गया था।

#### ii) अधूरी जानकारी कैप्चर की गई

ई-बजट डेटाबेस के विश्लेषण के दौरान और जैसा कि उत्थान टीम ने भी पुष्टि की है, तालिका "TEMP\_SCHM\_EXP\_REAPPROPRIATION" को विभिन्न सक्षम अधिकारियों द्वारा अधिकृत पुनर्विनियोग से संबंधित विवरण कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तालिका में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि विनियोग इकाइयों, निकाली गई राशि, आबंटित राशि, ट्रांजेक्शन की तिथि आदि का विवरण कैप्चर किया जा रहा है। तथापि, संस्वीकृति संख्या, संस्वीकृति की तिथि, संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी आदि से संबंधित विवरण

तालिका में कैप्चर नहीं किए जा रहे हैं। इस जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा को कोई आश्वासन नहीं मिल सकता है कि क्या प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि सिस्टम में कैप्चर किए गए सभी पुनर्विनियोग के लिए संस्वीकृति संख्या/तिथि के इंद्राज का प्रावधान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र को निर्देश जारी किए गए थे।

### iii) पुनर्विनियोग के दौरान निकाली गई राशि और आबंटित राशि के मध्य अंतर

विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधियों के पुनर्विनियोग (डायवर्जन) के लिए उपयोगिता दर्शाने के दौरान, यह देखा गया था कि वेबपेज (बजट पुनर्विनियोग फॉर्म) के पहले भाग में विनियोग इकाई के स्रोत, निकाली जाने वाली राशि का विवरण कैप्चर किया गया है और दूसरे भाग में नियत विनियोग इकाई और आबंटित राशि कैप्चर की गई है। सिस्टम यह भी सुनिश्चित करता है कि विनियोग की स्रोत इकाई (इकाइयों) से निकाली गई राशि की मात्रा पूरी तरह से विनियोग की निर्धारित इकाई (इकाइयों) में अंतरित हो जाती है।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि विभिन्न विनियोग इकाइयों से ₹ 29,577.22 लाख की राशि निकाली गई और केवल ₹ 29,576.95 लाख आबंटित किए गए। दो लेनदेनों में देखी गई निकासी और आबंटन राशि के मध्य का अंतर निम्नलिखित तालिका 5.9 में वर्णित है।

तालिका 5.9: आहरण और आबंटन के मध्य अंतर

(राशि ₹ में)

वर्ष	आहरित राशि	आबंटित राशि	आबंटित राशि से अधिक (+)/कम (-) आहरित राशि
2018-19	29,00,000	शून्य	(-) 29,00,000
2019-20	50,000	2,50,000	(+) 2,00,000

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र को आहरण और आबंटित राशि के मध्य के अंतर से बचने के लिए उचित सत्यापन जांच शामिल करने का निर्देश दिया गया था।

### 5.7.8 बिजनेस नियमों के साथ असंगत प्रोग्रामिंग तर्क

बिजनेस नियमों के साथ प्रोग्रामिंग तर्क की असंगतता के उदाहरण देखे गए, जिनकी चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

#### 5.7.8.1 असंवितरित राशि को राजस्व शीर्ष में जमा करना

मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के पैरा 3.10 में प्रावधान है कि अधिक भुगतान की वसूली, चाहे वह नकद में की गई हो या किसी बिल से कम आहरण द्वारा, उसी वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें ऐसे अधिक भुगतान किए गए थे, संबंधित सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कमी के रूप में दर्ज की जाएगी। आगे, पिछले वर्ष से संबंधित अधिक भुगतान की वसूली को विनियोग खातों

में कार्यात्मक मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सकल व्यय को प्रभावित किए बिना संबंधित मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के नीचे विशिष्ट लघु शीर्ष 'अधिक भुगतान की कटौती वसूली' (कोड '911') के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

ई-ग्रास डेटा के विश्लेषण से पता चला कि वर्तमान या पिछले वर्षों की वसूली और अव्ययित शेष के कारण ₹ 22.18 करोड़ की राशि राजस्व शीर्ष (0235-सामाजिक न्याय और अधिकारिता) में जमा की गई थी। ये पुनर्प्राप्तियां मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अंतर्गत निर्धारित कार्रवाई के अनुरूप होना अपेक्षित हैं। तथापि, यह देखा गया था कि ई-बिलिंग/ई-ग्रास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जिससे व्यय साइड पर क्रेडिट प्रविष्टियों और प्राप्त साइड पर डेबिट प्रविष्टियों की अनुमति दी जाए। इस प्रकार, लेखों के प्राप्त शीर्षों में वसूली/अव्ययित शेष राशि जमा करने के परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय और बढ़ी हुई प्राप्तियों की तुलना में अतिरिक्त व्यय की बुकिंग हुई।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि लघु शीर्ष 911 "अधिक भुगतान की कटौती वसूली" का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और लेखापरीक्षा के परामर्श से परिचालन किया जाएगा।

#### **5.7.8.2 यातायात उल्लंघनों के कारण एकत्रित प्राप्तियों को जमा करने के लिए विशिष्ट लेखांकन वर्गीकरण का अभाव**

हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम, 2018 के नियम 3(1) में प्रावधान है कि पिछले वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष के दौरान एकत्र की गई कंपोजीशन फीस के 50 प्रतिशत के बराबर बजट का प्रावधान राज्य के वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा और नियम 3(2) के अनुसार, व्यय को शीर्ष अर्थात 2041-वाहनों पर कर (योजना), लघु शीर्ष 102-मोटर वाहनों का निरीक्षण, उप-शीर्ष 98-सड़क सुरक्षा जागरूकता और नियामक विंग का कंप्यूटरीकरण, वस्तु शीर्ष 34-अन्य शुल्क (सड़क सुरक्षा) से पूरा किया जाएगा। निधि के लेखांकन और वर्गीकरण को नियम 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके संदर्भ में लघु शीर्ष 101 (भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां) के अंतर्गत एक अलग उप-शीर्ष (मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान के कारण समझौता शुल्क), मुख्य शीर्ष 0041 (वाहनों पर कर) खोला जाएगा जिसमें प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समझौता शुल्क के रूप में एकत्र की गई राशि जमा की जाएगी। निधि को आबंटित राशि परिवहन विभाग की मांग संख्या 34 के अंतर्गत शीर्ष 2041-वाहनों पर कर (योजना), लघु शीर्ष 102-मोटर वाहनों का निरीक्षण, उप-शीर्ष 98-सड़क सुरक्षा जागरूकता और नियामक विंग का कंप्यूटरीकरण, वस्तु शीर्ष 34-अन्य शुल्क के अंतर्गत दर्शाई जाएगी।

ई-ग्रास डेटा और वेब-पोर्टल के विश्लेषण से पता चला कि तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वर्णित नियम 4 के अनुसार अपेक्षित उप-शीर्ष नहीं खोला गया है। परिणामस्वरूप, पुलिस विभाग ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान यातायात चालान से प्राप्त राशि के रूप में एकत्रित ₹ 106.83 करोड़ को मुख्य शीर्ष 0055-पुलिस में लघु शीर्ष 103-शुल्क, जुर्माना और जब्ती, 98-यातायात चालान से प्राप्तियां निर्धारित मुख्य शीर्ष 0041 की बजाय शीर्षों में जमा

किया। उचित वर्गीकरण के अभाव में, परिवहन विभाग द्वारा यातायात उल्लंघनों के लिए एकत्र की गई प्राप्तियों की जमा राशि का भी सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया जा सका क्योंकि यातायात उल्लंघनों के कारण एकत्र की गई प्राप्तियों को जमा करने के लिए कोई विशिष्ट लेखांकन वर्गीकरण नहीं खोला गया था।

आगे, विशिष्ट लेखांकन वर्गीकरण के अभाव में, उपर्युक्त नियम 3(1) का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि यातायात उल्लंघन से प्राप्तियों को जमा करने के लिए विशिष्ट खाते के संचालन के संबंध में मामले को पुलिस और परिवहन विभाग के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

### 5.7.8.3 कार्य संरचनाओं में स्टॉक उचंत

केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के परामर्श से केंद्र और राज्य सरकार के लिए समान लेखांकन सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इनमें, अन्य के अलावा, सरकारी लेखा नियम, 1990 (जी.ए.आर.) तथा मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची (एल.एम.एम.एच.) शामिल हैं। सिद्धांतों के अनुसार, निर्माण कार्य विभागों द्वारा सामग्री (स्टॉक) की प्राप्ति, निर्माण के लिए सामग्री जारी करना, निर्माण से स्टोर में वापसी और लेखा इकाई के भीतर इंटर-ट्रांसफर से संबंधित ट्रांजेक्शन में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

- (i) लेखा शीर्ष सूची के अनुसार संबंधित राजस्व/पूजी शीर्ष के लघु शीर्ष स्टॉक के अंतर्गत उप-शीर्ष स्टॉक के अंतर्गत डेबिट प्रविष्टि के माध्यम से संपत्ति के रूप में खरीदी गई सामग्री की खरीद और वर्गीकरण। उचंत के अंतर्गत स्टॉक के इस वर्गीकरण को संचयी रूप से स्टॉक उचंत के रूप में पहचाना जाता है
- (ii) स्टॉक उचंत को क्रेडिट किया जाता है और कार्य के लिए सामग्री के अंतरण पर संबंधित कार्य के लेखा से डेबिट किया जाता है।
- (iii) कार्यों के निष्पादन के दौरान इस सामग्री की प्राप्ति, भंडारण और उपयोग पर नजर रखने के लिए साइट पर सामग्री रजिस्टर (एम.ए.एस.) का रखरखाव किया जाता है।
- (iv) अधिशेष सामग्री को संबंधित कार्य के लेखांकन वर्गीकरण को जमा करके और स्टॉक उचंत को डेबिट करके स्टोर में वापस कर दिया जाता है।

स्टॉक उचंत के अंतर्गत सामग्री की खरीद के लिए ऐसे लेखांकन वर्गीकरण के अंतर्गत बजट का प्रावधान अपेक्षित होता है।

2011-12 से 2021-22 की अवधि के लिए ई-बजट डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष 2059, 2215 और 4215 को छोड़कर स्टोर उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई राशि आबंटित नहीं की गई थी। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के मुख्य शीर्ष 4215 को छोड़कर, ई-बजट डेटा तालिका में वर्ष 2016-17 से संचयी व्यय शून्य दर्शाया गया है। आगे, ऑनलाइन

खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.) में उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई संबंधित बिल नहीं पाया गया।

उचित लेखांकन प्रक्रिया के अभाव में, अप्रयुक्त/अधिशेष सामग्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि मामले को राष्ट्रीय सूचना केंद्र के परामर्श से निर्माण विभाग के साथ उठाया जाएगा।

#### 5.7.8.4 लोक निर्माण लेखों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) का कार्यान्वयन

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने का उद्देश्य बजट नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाना, लेखों के दिन-प्रतिदिन समाधान को बढ़ावा देना, लेखों की तैयारी के लिए सटीकता और समयबद्धता में सुधार करना आदि था।

"टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" में संकल्पना की गई थी कि निर्माण/वन मंडलों द्वारा बनाए गए लेखों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाना था। यह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अपने सिस्टम में डेटा एक्सट्रेक्ट/पोर्ट करके वैधानिक लेखों को संकलित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटा का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करने के लिए भी था, जिससे महालेखाकार के साथ समाधान के मुद्दों को कम/समाप्त किया जा सके।

तथापि, लोक निर्माण लेखों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। इस प्रकार, इन लेखों के संबंध में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से कोई डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका। वर्तमान में, लोक निर्माण लेखों को केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की तैयारी के स्तर पर खजाना के साथ एकीकृत किया गया है जो कि पहले उपयोग की गई चेक प्रणाली का प्रतिस्थापन है। प्रेषण शीर्ष 8782-102 का प्रचालन अभी भी चालू है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त सभी विभागीय प्राप्तियां, शीर्ष 8782-102-95 के अंतर्गत ई-चालान जनरेट करके (विभाग, जिला, खजाना, कार्यालय कोड (आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोड), लेखा शीर्ष, भुगतान मोड- नेट बैंकिंग/चेक/डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.), भुगतान प्रकार, निविदाकर्ता का विवरण जैसी फील्ड का चयन करके) खजाना में प्रेषित की जाती हैं जो विभागीय लेखा शीर्ष 8782-102-95 के डेबिट और संबंधित प्राप्त शीर्ष के अनुरूप क्रेडिट के रूप में शामिल की गई हैं (जिसके लिए उस प्राप्त को संबंधित प्राप्त शीर्ष जैसे 0215, 0059, 0700, 8443 में वसूल किया गया है)।

मंडलीय अधिकारियों को खजाना अधिकारी से यह सत्यापित करना अपेक्षित है कि शीर्ष 8782-102 के अंतर्गत संबंधित क्रेडिट खजाना लेखा में विधिवत प्राप्त हुआ है। जनरेट ई-चालान

19 दिनों की अवधि (ई-बैंकिंग मोड भुगतान के अलावा) के लिए वैध रहता है, जिसके दौरान ई-चालान को नकद/चेक/डिमांड ड्राफ्ट आदि के साथ खजाना/बैंक में जमा किया जा सकता है और किसी विशेष माह के अंतिम सप्ताह के दौरान जनरेट चालान कभी-कभी उस विशेष माह की समाप्ति के बाद खजाना में वास्तव में प्रस्तुत किए गए चालान/क्लीयरेंस प्राप्त करने के कारण खजाना खातों में शामिल किए जाते हैं। ऐसे मामलों में, राशि को अगले माह में खजाना खातों में शामिल किया जाता है और कभी-कभी खजाना में चालान जमा न होने या चेक/डिमांड ड्राफ्ट आदि के अस्वीकार होने के कारण राशि समायोजित नहीं हो पाती है।

खजाना प्रणाली में ई-ग्रास के माध्यम से प्रेषित प्रत्येक प्राप्ति को निर्दिष्ट राजकोष में लिंक किया जाता है। शीर्ष 8782-102 के अंतर्गत जमा किए गए चालान की राशि को खजाना खातों में शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट और रिज़र्व बैंक जमा (8675) में डेबिट के रूप में दर्शाया गया है। ई-ग्रास (अप्रैल 2014 से प्रभावी) के प्रारंभ से, साइबर खजाना, चंडीगढ़ के माध्यम से राज्य के सभी खजानों के लिए शीर्ष 8782-102 के लिए प्राप्ति की अनुसूची प्राप्त की जाती है (किसी विशेष खजाना के अंतर्गत प्राप्तियों का मंडल-वार विवरण दर्शाए बिना)। मंडल-वार विवरण के अभाव में, मद-वार मंडलीय आंकड़ों को खजाना आंकड़ों के साथ मिलाना संभव नहीं हो सका है, जिससे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के कार्यालय में अपूर्ण ब्रांडशीट तैयार की गई है।

ई-ग्रास डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि वर्तमान में, खजाना और निर्माण/वन मंडल अपने विवरण (लेखा) भौतिक प्रति में महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं। महालेखाकार कार्यालय इन लेखों के संबंध में सभी कार्यालयों के लेखों को संकलित करता है। इस प्रकार, लोक निर्माण और वन लेखों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के गैर-कार्यान्वयन के कारण, इन लेखों के संबंध में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से कोई डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका।

केस स्टडी के रूप में, प्राप्ति शीर्ष 0215 के संबंध में 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए बजट दस्तावेज और ई-ग्रास डेटा में उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण निम्नलिखित लेखांकन वर्गीकरणों के लिए किया गया है:

- (i) 0215-01-102-51-51
- (ii) 0215-01-103-51-51
- (iii) 0215-02-102-51-51
- (iv) 0215-02-103-51-51

यह देखा गया कि बजटीय डेटा और ई-ग्रास मॉड्यूल में उपलब्ध डेटा के मध्य आंकड़ों में भिन्नता है। इसका विवरण तालिका 5.10 में दिया गया है:-



तालिका 5.10: बजट डेटा और ई-ग्रास डेटा के मध्य भिन्नता

(राशि ₹ में)

वर्ष	2018-19		2019-20		2020-21		
	लेखा शीर्ष	बजट दस्तावेज़ के अनुसार वास्तविक प्राप्तियां	ई-ग्रास डेटा के अनुसार प्राप्तियां	बजट दस्तावेज़ के अनुसार वास्तविक प्राप्तियां	ई-ग्रास डेटा के अनुसार प्राप्तियां	बजट दस्तावेज़ के अनुसार वास्तविक प्राप्तियां	ई-ग्रास डेटा के अनुसार प्राप्तियां
0215-01-102-51-51		8,28,63,788	3,77,253	4,72,64,073	1,80,518	3,11,66,471	1,90,254
0215-01-103-51-51		37,19,85,269	12,09,792	38,64,71,145	1,01,540	43,48,56,940	1,07,793
0215-02-102-51-51		0	37,400	40,235	44,245	0	35,080
0215-02-103-51-51		4,11,71,870	2,76,653	6,33,36,239	50	10,23,44,277	0

विभाग को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से लोक निर्माण/वन लेखों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करनी चाहिए।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि मामले को राष्ट्रीय सूचना केंद्र के परामर्श से वन और निर्माण विभाग के साथ उठाया जाएगा।

#### 5.7.8.5 आदाताओं के यूनिक कोड को लॉक करना

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक भुगतान यूनिक आदाता कोड (यू.सी.पी.) के माध्यम से प्रत्येक प्राप्तकर्ता की पहचान करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से वास्तविक आदाता को अंतरित कर दिया जाता है। आदाताओं के विवरण संग्रहीत करने के लिए बनाई गई मास्टर तालिका में नाम, सामान्य भविष्य निधि नंबर, पी.आर.ए.एन., बैंक खाता संख्या आई.एफ.एस.सी. कोड आदि शामिल हैं। प्राप्तकर्ता को भुगतान जमा करने के लिए बैंक विवरण महत्वपूर्ण हैं। उपयोगकर्ता मैनुअल की जांच से पता चला कि आदाता के पास किसी के भी अनधिकृत एडिटिंग से बचने के लिए अपने बैंक विवरण को फ्रीज करने का विकल्प है, तथापि, आदाता द्वारा इस जानकारी को अनफ्रीज करने के बाद इस जानकारी को मेकर द्वारा एडिट किया जा सकता है। इन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को मेकर द्वारा एडिट किए जाने के बाद, चेकर को मेकर द्वारा किए गए परिवर्तनों को सत्यापित और अनुमोदित करना था।

यूनिक आदाता कोड से संबंधित विवरण वाली मास्टर तालिका (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली) की जांच से पता चला कि 83,01,425 इनेबल्ड यूनिक आदाता कोड में से 82,98,616 में, आदाताओं ने अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल लॉक नहीं किए थे। आदाता द्वारा जानकारी लॉक न करने से उसकी सहमति के बिना महत्वपूर्ण जानकारी की अनधिकृत एडिटिंग हो सकती है। यहां बताई गई स्थिति से यह स्पष्ट है कि वास्तविक आदाताओं को इस महत्वपूर्ण जानकारी को लॉक करने के लाभों के बारे में जानकारी नहीं थी।

एक केस स्टडी के रूप में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी की अनुपालन लेखापरीक्षा (सितंबर 2021) के दौरान यह देखा गया था कि ई-सैलरी मॉड्यूल के माध्यम से सेवानिवृत्त लोगों को लाभ देने के बजाय, क्लर्क (मेकर) ने एक भौतिक फाइल तैयार की और फाइल पर भुगतान

के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी (चेकर) की संस्वीकृति प्राप्त की। इन संस्वीकृतियों को क्लर्क द्वारा ई-सैलरी सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन पर अपलोड किया गया था, जिसकी बाद में चेकर अर्थात् आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा जांच की जानी अपेक्षित थी। इसके बाद इसे भुगतान के लिए खजाना में ऑनलाइन भेजा गया। खजाना अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली) जनरेट किया और डीलिंग क्लर्क ने चेकर (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए क्योंकि क्लर्क के पास चेकर का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र था। इसके बाद क्लर्क ने आदाताओं को भुगतान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को संबंधित बैंक को भेज दिया। यह देखा गया था कि क्लर्क ने आदाता की सहमति के बिना लाभार्थी के बैंक खाते के विवरण बदल दिए थे और अनधिकृत रूप से चेकर के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का उपयोग करके इन परिवर्तनों को स्वीकृति दे दी थी। बैंकिंग विवरण लॉक न होने के कारण यह चूक संभव हो सकी। परिणामस्वरूप, ₹ 54.27 लाख की राशि अनधिकृत खातों में अंतरित कर दी गई और संदिग्ध गबन होने का आकलन किया गया था।

लेखापरीक्षा में मामला इंगित किए जाने के बाद, तत्काल उपाय के रूप में, खजाना एवं लेखा विभाग द्वारा सभी यूनिक आदाता कोड (कर्मचारी, थर्ड पार्टी, पेंशनर) को 06 अक्टूबर 2021 के अपने आदेशों के अंतर्गत एक अस्थायी उपाय के रूप में एडिटिंग उद्देश्यों के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था। बैंक विवरण में परिवर्तन करने का विकल्प केवल संबंधित खजाना कार्यालयों को शपथ-पत्र के साथ संबंधित वांछित दस्तावेजों के साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने पर उपलब्ध कराया गया था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि सभी यूनिक आदाता कोड को अवरुद्ध कर दिया गया था (अक्टूबर 2021) और यूनिक आदाता कोड की क्रेडेंशियल्स में किसी भी बदलाव के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यूनिक आदाता कोड को केवल तत्काल उपाय के रूप में अवरुद्ध किया गया था और खजाना कार्यालयों द्वारा यूनिक आदाता कोड के संपादन उद्देश्यों के लिए तुरंत एक मॉड्यूल विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र को निर्देश जारी किए गए थे। तथापि, यह देखा गया कि अब तक ऐसा कोई मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया था।

#### **5.7.8.6 रेलवे से प्राप्त होने वाली लागत को ट्रैक करने की कार्यक्षमता का अभाव**

सरकारी लेखांकन नियम 1990 के अनुसार, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) का खर्चा ('अपराध' और 'पुलिस आदेश' के भेद के बिना) राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के मध्य 50:50 के आधार पर साझा की जानी है बशर्ते कि राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या रेलवे की स्वीकृति से निर्धारित की जाए। हरियाणा राज्य में, राजकीय रेलवे पुलिस, हरियाणा के वेतन, भत्ते और अन्य खर्चों के भुगतान पर किए गए खर्चों के बिल राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा राज्य के बजट (मुख्य शीर्ष-2055) से आहरित किए गए थे। फिर राजकीय रेलवे पुलिस अपने हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए दावा करती है और रेल मंत्रालय को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले सत्यापन के लिए

इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा को प्रस्तुत करती है। बदले में रेलवे, राजकीय रेलवे पुलिस हरियाणा को दावा किया गया 50 प्रतिशत हिस्सा वितरित करता है, जिसे बाद में प्रमुख शीर्ष 0055-पुलिस के अंतर्गत जमा किया जाता है।

ई-ग्रास डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि रेल मंत्रालय से प्राप्त 50 प्रतिशत हिस्सा मुख्य शीर्ष 0055-पुलिस के अंतर्गत जमा किया जा रहा था। तथापि, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध कार्यात्मकताओं के प्रदर्शन के दौरान, यह देखा गया था कि रेलवे से दावा, वसूली और वसूली के लिए लंबित खर्चों के हिस्से की तुलना में राजकीय रेलवे पुलिस पर राज्य द्वारा किए गए व्यय के विवरण के संकलन के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के किसी भी माँड्यूल के अंतर्गत कोई कार्यक्षमता विद्यमान नहीं थी।

विभाग ऐसे व्यय की बुकिंग के लिए उचित लेखांकन वर्गीकरण को शामिल करने पर विचार करे और राजकीय रेलवे पुलिस पर किए गए व्यय की राशि को रेलवे द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि और प्राप्त की गई वास्तविक प्रतिपूर्ति राशि पर विचार करके वसूली हेतु लंबित राशि का आकलन करने के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार करे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करते हुए यह स्वीकार किया कि पुलिस विभाग द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति राशि को प्राप्त शीर्ष में जमा करने से व्यय और प्राप्त दोनों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा था। विभाग ने बताया कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के परामर्श से उचित लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

#### 5.7.8.7 नियोक्ता के अंशदान का क्रेडिट

हरियाणा सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया (दिसंबर 2008) और इस योजना का नाम बदलकर हरियाणा नई पेंशन योजना (एच.एन.पी.एस.) कर दिया। सरकार ने संबंधित खजाना अधिकारी द्वारा कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान को जमा करने के लिए मुख्य शीर्ष-8342 निर्धारित किया था। खजाना अधिकारी निधियां अंतरण के लिए समेकित बिल तैयार करने के बाद, खजाना बैंक से बैंक ऑफ इंडिया को भुगतान करने का अनुरोध करता है और अंशदाता-वार विवरण देने वाले जमा का समेकित विवरण बाद में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को भेज दिया जाता है।

मुख्य शीर्ष	8342-अन्य जमा
उप मुख्य शीर्ष	51-लागू नहीं
लघु शीर्ष	117-सरकारी सेवकों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना
उप शीर्ष	99-हरियाणा की परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना
विस्तृत शीर्ष	99-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी सेवकों का अंशदान
विस्तृत शीर्ष	98-टीयर-1 के अंतर्गत सरकार का अंशदान
वस्तु शीर्ष	10-अंशदान (उपर्युक्त विवरण शीर्ष 99 और 98 के अंतर्गत)

2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं के अंशदान को निर्धारित लेखा शीर्षों के उल्लंघन में विस्तृत शीर्ष: मुख्य शीर्ष-8342 के अंतर्गत "99-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों का अंशदान" में जमा किया जा रहा था। निर्धारित लेखा शीर्षों का अननुपालन के कारण कर्मचारियों और नियोक्ताओं की श्रेणियों के अंतर्गत अंशदान की राशि को अलग से पहचाना नहीं जा सकता है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने स्वीकार किया कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान विस्तृत शीर्ष "99-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों का अंशदान" के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग को सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारी के अंशदान को सही विस्तृत शीर्ष में सुनिश्चित करना चाहिए।

### 5.7.9 अन्य सूचना प्रौद्योगिकी मुद्दे

#### 5.7.9.1 सुरक्षा लेखापरीक्षा/साइबर सुरक्षा

हरियाणा राज्य में सूचना/साइबर सुरक्षा के मुद्दों के समाधान के लिए, सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय (आई.एस.एम.ओ.) नामक एक समर्पित संगठनात्मक संरचना, हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 मार्च, 2014 को आयोजित 30वीं बैठक में, राज्य की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी समिति<sup>16</sup> द्वारा बनाई गई थी। सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय को राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अंतर्गत एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में तैनात किया गया था, जो सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों को सपोर्ट करने में सक्षम थी। सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय को प्रत्येक परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार भेद्यता आकलन और भेदन परीक्षण करना अपेक्षित था ताकि सुरक्षा कमियों का पता लगाया जा सके और उनका सक्रिय ढंग से समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके। सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय, हरियाणा की एप्लिकेशन सुरक्षा लेखापरीक्षा नीति के अनुसार, हरियाणा राज्य के डोमेन के भीतर होस्ट किए गए एप्लिकेशनों के लिए निवारक रखरखाव के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एप्लिकेशन हेतु विभिन्न सुरक्षा मुद्दों और खतरों की पहचान करने में मदद करने के लिए निरंतर लेखापरीक्षा आयोजित करने का मूल्यांकन किया गया था। इस नीति के अनुसार, हरियाणा राज्य डोमेन के भीतर प्रत्येक एप्लिकेशन को सार्वजनिक होस्टिंग से पहले सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय या सी.ई.आर.टी.-इन पैनलबद्ध सूचना सुरक्षा ऑडिटिंग संगठन की ओर से सुरक्षा लेखापरीक्षा अपेक्षित होगी। एप्लिकेशन सुरक्षा भेद्यता का आकलन होस्टिंग से पहले किया जाना था और सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय से एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित होस्टिंग के लिए मंजूरी जारी की जाएगी। आगे, वर्तमान एप्लिकेशन में किसी भी नए वर्जन/मॉड्यूल/कोड रिलीज या अपग्रेड के संबंध में हर छः माह में एक आंतरिक समीक्षा की सिफारिश की गई थी।

<sup>16</sup> आई.टी. प्रिज्म के नाम से जानी जाती है।

सामान्य तौर पर, किसी एप्लिकेशन की सुरक्षा लेखापरीक्षा को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- क. केवल एप्लिकेशन स्तर पर
- ख. प्लेटफार्म के साथ एप्लिकेशन

यह देखा गया था कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत पांच मॉड्यूल में से ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली, ई-पेंशन, ई-बिलिंग और ई-ग्रास की अंतिम सुरक्षा लेखापरीक्षा 2022 में की गई थी। ई-बजट मॉड्यूल की लेखापरीक्षा 2021 में की गई थी।

### 5.7.9.2 कार्य निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा (2017) की साइबर सुरक्षा नीति के अनुसार, घटना, दुर्घटना या आपदा की स्थिति में कार्य की निरंतरता के महत्व को समझते हुए, हरियाणा सरकार को कार्य निरंतरता योजना को डिजाइन और विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय को अधिकृत करना था, जिसे सभी सरकारी वेब साइटों और बुनियादी ढांचे के प्रति खतरों की निरंतर निगरानी के लिए हरियाणा राज्य-कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (एच.एस.-सी.ई.आर.टी.)<sup>17</sup> के अंतर्गत सुरक्षा संचालन केंद्र (एस.ओ.सी.) की स्थापना करके प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करना अपेक्षित था। सुरक्षा संचालन केंद्र के निम्नलिखित उत्तरदायित्व थे:

- क) उच्चतम स्तर पर साइबर खतरों के विरुद्ध सभी हितधारकों (हरियाणा राज्य के आई.एस.पी., विभाग, संगठन आदि) के साथ सहयोग और सहभागिता की सुविधा प्रदान करना; तथा
- ख) नीति अपडेशन और विश्लेषण के लिए संबंधित हितधारकों के साथ साइबर सुरक्षा फोरम बनाना।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सी.आई.एस.ओ.) (राज्य द्वारा नामित) को राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा मुद्दों के लिए सुरक्षा प्रयासों और घटना प्रतिक्रिया का समन्वय करके और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप संबंधित विभागों में समर्पित उत्तरदायी सदस्यों की तैनाती के माध्यम से उच्चतम स्तर पर साइबर सुरक्षा के फोरम का समन्वय करना था।

हरियाणा राज्य-कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (एच.एस.-सी.ई.आर.टी.) को मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एकजुट होकर काम करने के लिए सी.ई.आर.टी.-इन और अन्य समर्थित संगठनों के साथ मिलकर साइबर कार्यवाही सहित संकट प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करनी थी।

<sup>17</sup> हरियाणा राज्य-कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम।

लेखापरीक्षा ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय, हरियाणा द्वारा तैयार की गई कार्य निरंतरता योजना (बी.सी.पी.) और आपदा रिकवरी योजना (डी.आर.पी.) का विवरण मांगा था। तथापि, आज तक लेखापरीक्षा को कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन योजनाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा को यह आश्वासन नहीं मिल सकता है कि क्या हरियाणा में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन के लिए कार्य निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी योजना की एक मजबूत प्रणाली विद्यमान थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय का मुख्य सर्वर सेक्टर 17, चंडीगढ़ में स्टेट डेटा सेंटर में स्थित है और विभाग के पास जनवरी 2023 तक आपदा रिकवरी सर्वर नहीं है और उसने हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़ में एक आपदा रिकवरी साइट की मांग की है, अर्थात् हरियाणा में सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय के लिए प्राथमिक सर्वर जहां स्थित है (अक्टूबर 2022) उसके समीप। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आपदा रिकवरी सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, आपदा रिकवरी (डी.आर.) साइट मुख्य सर्वर के स्थान से कम से कम 100 किलोमीटर दूर स्थित होनी चाहिए। तथापि, इस मामले में, राज्य डेटा सेंटर और आपदा रिकवरी योजना की प्रस्तावित साइट के मध्य की दूरी लगभग 4.4 किलोमीटर है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि कार्य निरंतरता योजना को सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा; आपदा रिकवरी योजना के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ इस मुद्दे को उठाया जाएगा।

## 5.8 निष्कर्ष

कार्यान्वयन के आठ वर्ष से अधिक समय के बाद भी, 284 कार्यात्मकताएं<sup>18</sup> क्रियान्वित की जानी शेष हैं। विभिन्न कार्य उद्देश्यों की प्राप्तियों को जांचने के लिए बेंचमार्क परिभाषित नहीं किए गए थे। अपर्याप्त तार्किक पहुंच नियंत्रण के कारण सिस्टम को अनधिकृत पहुंच के जोखिम का सामना करना पड़ा। अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रणों के कारण निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के उल्लंघन में बिलों की प्रोसेसिंग हुई। यूनिक आदाता कोड के जनरेशन के दौरान पर्याप्त इनपुट नियंत्रण के अभाव के कारण अमान्य पैन की स्वीकृति हुई और यूनिक आदाता कोड की विशिष्टता से समझौता हुआ। ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री पर ध्यान के लिए पूर्ण ऑडिट ट्रेल का रखरखाव नहीं किया गया था। पर्याप्त नियंत्रण के अभाव में अधिकतम सीमा से अधिक ग्रेच्युटी के भुगतान, पेंशन और छुट्टी यात्रा रियायत की दोहरी निकासी के मामले पाए गए थे। अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रणों के कारण अमान्य चालानों के विरुद्ध जमा स्वीकार करने के मामले देखे गए थे।

<sup>18</sup> ई-बजट में (235), ई-बिलिंग में (37), ई-पेंशन में (05) और ई-ग्रास में (07)

जबकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल विकसित करने की पहल "राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना" के खजाना कम्प्यूटरीकरण मिशन मोड कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी, इन मॉड्यूलों को स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया और एक निश्चित समयावधि में तैनात किया गया था। इसके बाद इन मॉड्यूलों को चार वर्षों की अवधि में एक-दूसरे से जोड़ा गया तथा उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न परिवर्तन किए गए। जैसा कि उपर्युक्त रिपोर्ट में बताया गया है, इन मॉड्यूलों को स्केलेबिलिटी की कार्यात्मकताओं के साथ विकसित नहीं किया गया था, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य के महालेखाकार और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों जैसी विभिन्न संस्थाओं के साथ सहज एकीकरण संभव हो पाता। यह एकीकरण वास्तविक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से संभावित लाभ को अधिकतम रूप से प्राप्त करने के लिए आवश्यक था।

### 5.9 सिफारिशें

ये सिफारिश की जाती है कि:

- क. विभाग बड़ी हुई दक्षता के संदर्भ में प्राप्तियों को जांचने हेतु मूल्यांकन करने पर विचार करे और अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्ति को जांचने और दिशानिर्देश बनाने के लिए मानक तय करे।
- ख. विभाग सिस्टम में शामिल करने के लिए अपेक्षित कार्यात्मकताओं की प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए समीक्षा करे।
- ग. विभाग, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकास/उन्नयन के भविष्य के चरणों के लिए, स्केलेबल कार्यक्षमताओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे सकता है जो भारतीय रिजर्व बैंक, हरियाणा के महालेखाकार और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जैसे प्लेटफार्मों जैसे हितधारक संस्थाओं के साथ सहज एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस रणनीतिक बदलाव से न केवल परिचालन दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है, बल्कि वास्तव में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से लाभों की व्यापक प्राप्ति भी सुनिश्चित होगी।
- घ. विभाग एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम और प्रतिपूर्ति पर एक कार्यक्षमता शामिल करे, जिसे सिस्टम में ट्रैक किया जा सके।
- ङ. विभाग प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संस्वीकृति की कार्यक्षमता को शामिल करने पर विचार करे।
- च. उपयोगकर्ता के लिए केवल प्रासंगिक जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने के लिए सिस्टम में आवश्यक संशोधन किए जाएं।
- छ. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी गतिविधियों के ऑडिट लॉग को कैप्चर किया जाता है तथा ऑडिट ट्रेल्स सुनिश्चित करने के लिए डाटाबेस में रखा जाता है।

- ज. यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सत्यापन नियंत्रण को और मजबूत किया जाए कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के प्रत्येक चरण से गुजरा है।
- झ. केवल वैध पैन को स्वीकार करने और यूनिक आदाता कोड की विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक सत्यापन जांच शुरू की जाए।
- ञ. बिल ट्रांजेक्शन की प्रगति विशेषकर समायोजन के लिए लंबित सार आकस्मिक बिलों के आहरण की निगरानी के लिए पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट/डैशबोर्ड प्रदान किया जाए।
- ट. पेंशन संवितरण सेल, बैंक और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के पास उपलब्ध पेंशनरों की मुख्य विशेषताओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक प्रणाली तैयार की जाए।
- ठ. विभाग एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में वर्तमान नियमों के अनुपालन के लिए पेंशन से संबंधित अपेक्षित नियमों/प्रावधानों की मैपिंग सुनिश्चित करे।
- ड. विभाग ग्रेच्युटी शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित सत्यापन जांच को शामिल करने पर विचार करे और पेंशनरों के लिए स्रोत से कर कटौती उद्देश्य के लिए अपनी बचत का विवरण प्रस्तुत करने की कार्यक्षमता भी शामिल करे।
- ढ. जंक डेटा से बचने के लिए ई-पेंशन माँड्यूल के मास्टर तालिका में वैध वैल्यू को कैप्चर करने के लिए ई-पेंशन माँड्यूल को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाए।
- ण. विभाग प्रावधानों के अनुसार अनुमत न होने वाले पुनर्विनियोग को प्रतिबंधित करने के लिए बजट मैनुअल के अनुरूप, बजट माँड्यूल के अंतर्गत निर्धारित सत्यापन जांच को शामिल करने पर विचार करे।
- त. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की समीक्षा की जाए कि सरकारी लेखा से धन की निकासी और जमा के लिए लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है।
- थ. विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से लोक निर्माण/वन लेखों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करनी चाहिए।
- द. विभाग सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय, हरियाणा (आईएसएमओ) की सिफारिशों पर कार्य निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी योजना दस्तावेज तैयार करने पर विचार करे और भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में आपदा रिकवरी साइट के लिए एक वैकल्पिक साइट की पहचान भी करे।



ध. राज्य सरकार को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की विश्वसनीयता, सुरक्षा और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इसमें पर्याप्त उन्नयन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सुधारों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ पूर्ण एकीकरण भी सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे वास्तविक समय में डेटा का आदान-प्रदान और प्रभावी निगरानी हो सके, जिससे आईटी गवर्नेंस लाभ को अधिकतम किया जा सके।

शैलेन्द्र विक्रम सिंह

चंडीगढ़

दिनांक: 28 अक्टूबर 2024

(शैलेन्द्र विक्रम सिंह)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली

दिनांक: 11 नवंबर 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**परिशिष्ट**



**परिशिष्ट I**  
**(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5)**

**अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए तथा जिन पर चर्चा लंबित रही/20 जनवरी 2023 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए**

कर का नाम		2019-20	2020-21	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	8	9	17
	लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित अनुच्छेद	8	9	17
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	9	9
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	5	6	11
	लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित अनुच्छेद	0	6	6
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	6	6
राज्य उत्पाद शुल्क/यात्री एवं वस्तु कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	2	2	4
	लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित अनुच्छेद	2	2	4
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	2	2
<b>योग</b>	<b>लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>
	<b>लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित अनुच्छेद</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
	<b>अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

**परिशिष्ट II**  
**(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5)**

**31 अगस्त 2022 तक राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए लोक लेखा समिति की रिपोर्ट/बकाया अनुच्छेदों के विवरण**

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31 अगस्त 2022 को लोक लेखा समिति की रिपोर्टों के बकाया अनुच्छेद
1.	22 <sup>वीं</sup>	1979-80	1
2.	23 <sup>वीं</sup>	1980-81	4
3.	25 <sup>वीं</sup>	1981-82	2
4.	26 <sup>वीं</sup>	1982-83	2
5.	28 <sup>वीं</sup>	1983-84	1
6.	29 <sup>वीं</sup>	1984-85	5
7.	32 <sup>वीं</sup>	1985-86	3
8.	34 <sup>वीं</sup>	1986-87	6
9.	36 <sup>वीं</sup>	1987-88	3
10.	38 <sup>वीं</sup>	1988-89	8
11.	40 <sup>वीं</sup>	1989-90	16
12.	42 <sup>वीं</sup>	1990-91, 91-92, 92-93	23
13.	44 <sup>वीं</sup>	1990-91, 91-92, 92-93	33
14.	46 <sup>वीं</sup>	1993-94	9
15.	48 <sup>वीं</sup>	1993-94, 1994-95	9
16.	50 <sup>वीं</sup>	1993-94, 94-95, 1995-96	24
17.	52 <sup>वीं</sup>	1996-97	26
18.	54 <sup>वीं</sup>	1997-98	33
19.	58 <sup>वीं</sup>	1998-99 एवं 1999-2000	57
20.	60 <sup>वीं</sup>	2000-01	31
21.	62 <sup>वीं</sup>	2001-02	39
22.	63 <sup>वीं</sup>	2002-03	39
23.	64 <sup>वीं</sup>	2003-04	42
24.	65 <sup>वीं</sup>	2004-05	40
25.	67 <sup>वीं</sup>	2005-06	45
26.	68 <sup>वीं</sup>	2006-07 एवं 2007-08	86
27.	70 <sup>वीं</sup>	2008-09	51
28.	71 <sup>वीं</sup>	2009-10	44
29.	72 <sup>वीं</sup>	2010-11	23
30.	73 <sup>वीं</sup>	2011-12	19
31.	74 <sup>वीं</sup>	2013-14	40
32.	75 <sup>वीं</sup>	2012-13	35
33.	78 <sup>वीं</sup>	2014-15	47
34.	82 <sup>वीं</sup>	2015-16	39
35.	84 <sup>वीं</sup>	2016-17	39
		<b>योग</b>	<b>924</b>

**परिशिष्ट III**  
(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5)

**31 अगस्त 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण**

क्र. सं.	विभाग का नाम	कुल बकाया सिफारिशें (1979-80 से 2016-17)
1	कृषि एवं किसान कल्याण	39
2	सहकारी	18
3	वाणिज्यिक कर, निषेध और उत्पाद शुल्क सहित आबकारी एवं कराधान	508
4	लॉटरी, न्याय, वित्त, खजाना एवं लेखा सहित वित्त	13
5	वन एवं वन्य जीवन	5
6	सामान्य	1
7	गृह	16
8	एम.एस.एम.ई. सहित उद्योग एवं वाणिज्य, आपूर्ति एवं निपटान	5
9	सिंचाई	5
10	खनन एवं भू-विज्ञान	56
11	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	4
12	विद्युत (मुख्य विद्युत निरीक्षक)	4
13	लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य)	4
14	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	194
15	नगर एवं ग्राम आयोजना	4
16	परिवहन	46
17	शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास, उपनिवेशीकरण, स्थानीय स्वशासन	2
	<b>योग</b>	<b>924</b>

परिशिष्ट IV  
(संदर्भ अनुच्छेद 1.8.1)

परिवहन विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य
2012-13	270	360	806.02	32	77	132.80	12	30	64.95	290	407	873.87
2013-14	290	407	873.87	53	123	319.97	31	76	146.17	312	454	1,047.67
2014-15	312	454	1,047.67	40	86	509.21	105	239	422.97	247	300	1,133.91
2015-16	247	301	1,133.91	39	74	438.24	9	13	42.15	277	362	1,530.00
2016-17	277	362	1,530.00	74	131	797.26	14	31	99.53	337	462	2,227.73
2017-18	337	462	2,227.23	38	100	478.09	15	62	100.27	360	500	2,605.55
2018-19	360	500	2,605.55	48	100	839.37	18	48	244.28	390	552	3,200.64
2019-20	390	552	3,200.64	48	111	7,492.32	20	48	196.4	418	615	10,496.24
2020-21	418	615	10,496.24	54	151	1,511.53	12	36	243.18	460	730	11,764.59
2021-22	460	730	11,764.59	14	64	741.39	3	8	4.47	471	786	12,501.51



**परिशिष्ट V**  
(संदर्भ अनुच्छेद 1.8.2)  
**स्वीकृत मामलों की वसूली**  
संदर्भ मामले मोटर वाहन (परिवहन विभाग)

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	प्रतिवेदन के वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	अब तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2011-12	01	0.61	01	0.61	0.41	0.43
2012-13	01	2.00	01	2.00	0.59	0.59
2013-14	01	0.05	01	0.05	0.04	0.04
2014-15	02	0.58	02	0.58	0.58	0.58
2015-16	01	12.78	01	12.78	शून्य	शून्य
2016-17	02	0.52	02	0.52	शून्य	शून्य
2017-18	02	2.78	02	2.78	0.08	0.08
2018-19	02	1.67	02	1.67	0.11	0.11
2019-20	निष्पादन लेखापरीक्षा परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली	14.27	01	14.27	शून्य	शून्य
2020-21	शून्य*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>योग</b>	<b>13 (एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित)</b>	<b>35.26</b>	<b>13</b>	<b>35.26</b>	<b>1.81</b>	<b>1.83</b>

5.19 प्रतिशत =  $1.83/35.26 \times 100$ 

\* शून्य का कारण: विभाग को 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए नहीं चुना गया था।

**परिशिष्ट VI**

**(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.8.1)**

**संपूर्ण हरियाणा डेटा विश्लेषण का सारांश**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	मामलों की संख्या	राशि ₹ में
1	जी.एस.टी.आर. 2ए और जी.एस.टी.आर. 3बी के बीच बेमेल आई.टी.सी.	अंबाला	4	21,25,50,411
		फरीदाबाद (पूर्व)	3	29,42,60,770
		फरीदाबाद (उत्तर)	1	2,60,25,433
		फरीदाबाद (दक्षिण)	2	5,99,44,606
		फरीदाबाद (पश्चिम)	1	2,78,58,919
		गुरुग्राम (पूर्व)	13	59,97,92,836
		गुरुग्राम (उत्तर)	3	1,91,47,66,034
		गुरुग्राम (दक्षिण)	4	38,96,56,002
		गुरुग्राम (पश्चिम)	5	53,92,96,158
		हिसार	1	11,40,63,990
		करनाल	1	3,41,58,410
		पंचकुला	2	12,65,69,666
		पानीपत	1	11,58,00,207
		रेवाड़ी	6	63,36,85,001
		रोहतक	1	9,59,75,866
सोनीपत	2	18,33,18,053		
<b>योग</b>		<b>50</b>	<b>5,36,77,22,362</b>	
2	आर.सी.एम. के अंतर्गत प्राप्त आई.टी.सी. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में कर का भुगतान	अंबाला	1	31,95,152
		फरीदाबाद (पूर्व)	3	98,77,141
		फरीदाबाद (उत्तर)	4	1,39,35,083
		फरीदाबाद (दक्षिण)	1	1,99,25,624
		फरीदाबाद (पश्चिम)	5	3,52,74,220
		गुरुग्राम (पूर्व)	6	2,38,79,029
		गुरुग्राम (उत्तर)	5	6,79,22,470
		गुरुग्राम (दक्षिण)	4	2,61,97,510
		गुरुग्राम (पश्चिम)	5	3,36,88,575
		हिसार	1	32,71,006
		जगाधरी	1	23,79,993
		झज्जर	3	1,18,60,606
		नारनौल	1	27,52,985
		रेवाड़ी	2	4,73,14,782
		रोहतक	3	6,85,35,225
सिरसा	1	67,94,726		
सोनीपत	4	1,98,59,037		
<b>योग</b>		<b>50</b>	<b>39,66,63,164</b>	
3	आर.सी.एम. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में प्राप्त आई.टी.सी. के अंतर्गत कर का कम भुगतान	भिवानी	1	27,43,634
		फरीदाबाद (पूर्व)	2	36,53,938
		फरीदाबाद (दक्षिण)	2	39,36,989
		फरीदाबाद (पश्चिम)	2	39,76,015
		गुरुग्राम (पूर्व)	2	3,52,38,780
		गुरुग्राम (उत्तर)	3	61,23,793
		हिसार	1	17,63,044
		नारनौल	1	17,51,269
		पानीपत	3	62,04,177
		रेवाड़ी	1	22,33,936
		रोहतक	1	18,77,235
		सोनीपत	1	17,45,322
<b>योग</b>		<b>20</b>	<b>7,12,48,132</b>	

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	मामलों की संख्या	राशि ₹ में	
4	आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	फरीदाबाद (पश्चिम)	1	8,71,207	
		गुरुग्राम (पूर्व)	5	1,88,42,471	
		गुरुग्राम (उत्तर)	3	47,16,781	
		गुरुग्राम (दक्षिण)	3	35,08,364	
		गुरुग्राम (पश्चिम)	2	26,30,307	
		झज्जर	2	65,25,210	
		करनाल	3	54,15,646	
		पंचकुला	1	33,30,475	
		रेवाड़ी	2	66,53,385	
		रोहतक	2	25,36,763	
		सोनीपत	1	12,94,53,484	
		<b>योग</b>		<b>25</b>	<b>18,44,84,093</b>
5	गलत आई.एस.डी. क्रेडिट रिवर्सल	फरीदाबाद (पूर्व)	1	46,330	
		गुरुग्राम (पूर्व)	2	3,47,583	
		हिसार	1	1,35,472	
		सोनीपत	1	4,286	
<b>योग</b>		<b>5</b>	<b>5,33,670</b>		
6	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आई.टी.सी. के बीच मिलान (14टी)	अंबाला	1	40,87,39,983	
		फरीदाबाद (उत्तर)	1	37,57,23,556	
		फरीदाबाद (दक्षिण)	1	37,44,97,197	
		फरीदाबाद (पश्चिम)	2	1,83,73,74,131	
		गुरुग्राम (पूर्व)	4	2,56,87,79,116	
		गुरुग्राम (उत्तर)	2	1,45,42,45,214	
		गुरुग्राम (दक्षिण)	1	85,69,85,700	
		गुरुग्राम (पश्चिम)	6	7,15,65,69,964	
		करनाल	1	35,76,76,249	
		पंचकुला	2	63,68,60,203	
		पानीपत	1	1,94,17,35,577	
		रेवाड़ी	2	1,23,97,81,375	
		रोहतक	1	49,52,91,864	
		<b>योग</b>		<b>25</b>	<b>19,70,42,60,129</b>
7	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के बीच प्राप्त आई.टी.सी. का मेल न होना (12एफ)	अंबाला	1	3,39,41,704	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2	12,19,00,892	
		फरीदाबाद (दक्षिण)	1	3,27,31,224	
		फरीदाबाद (पश्चिम)	1	2,99,23,278	
		गुरुग्राम (पूर्व)	6	21,80,56,476	
		गुरुग्राम (उत्तर)	2	1,19,15,08,478	
		गुरुग्राम (दक्षिण)	3	42,69,33,042	
		गुरुग्राम (पश्चिम)	3	21,28,73,556	
		हिसार	1	15,54,31,888	
		झज्जर	1	5,06,07,788	
		रेवाड़ी	1	2,52,97,910	
		रोहतक	3	11,21,95,314	
		<b>योग</b>		<b>25</b>	<b>2,61,14,01,550</b>
		8	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मेल न होना	अंबाला	4
फरीदाबाद (पूर्व)	3			2,26,63,88,796	
फरीदाबाद (उत्तर)	2			1,66,88,51,076	
फरीदाबाद (दक्षिण)	2			2,25,15,95,908	
फरीदाबाद (पश्चिम)	1			35,36,55,936	
गुरुग्राम (पूर्व)	9			7,07,66,73,664	
गुरुग्राम (उत्तर)	6			3,06,88,48,908	
गुरुग्राम (दक्षिण)	2	87,58,60,094			

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	मामलों की संख्या	राशि ₹ में
		गुरुग्राम (पश्चिम)	4	2,48,50,87,856
		हिसार	1	1,05,49,60,190
		करनाल	1	25,04,92,320
		जींद	1	21,56,28,752
		मेवात	1	61,35,11,550
		नारनौल	1	30,71,14,496
		पानीपत	2	48,72,90,864
		रेवाड़ी	4	4,83,65,02,658
		सोनीपत	6	10,90,16,16,034
	<b>योग</b>		<b>50</b>	<b>39,95,40,64,254</b>
9	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 7जी में घोषित कर-योग्य टर्नओवर में मेल न होना	अंबाला	1	14,68,02,112
		फरीदाबाद (पूर्व)	1	19,05,87,392
		फरीदाबाद (उत्तर)	2	43,08,17,408
		गुरुग्राम (पूर्व)	9	1,90,18,98,688
		गुरुग्राम (दक्षिण)	3	52,61,49,856
		गुरुग्राम (पश्चिम)	3	46,97,60,288
		जगाधरी	1	70,44,01,220
		कैथल	1	14,37,26,864
		करनाल	1	17,66,15,840
		मेवात	3	51,25,15,952
		पानीपत	1	19,35,41,024
		रेवाड़ी	1	16,82,08,528
		सिरसा	1	19,01,53,440
		सोनीपत	1	18,67,18,400
	<b>योग</b>		<b>29</b>	<b>5,94,18,97,012</b>
10	लेखा-बहियों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में मेल न होना	अंबाला	3	1,62,26,126
		फरीदाबाद (पूर्व)	1	53,76,741
		फरीदाबाद (उत्तर)	2	4,08,85,244
		फरीदाबाद (दक्षिण)	1	48,54,215
		फरीदाबाद (पश्चिम)	2	1,69,68,686
		गुरुग्राम (पूर्व)	10	18,10,99,783
		गुरुग्राम (उत्तर)	8	72,78,06,655
		गुरुग्राम (दक्षिण)	4	6,41,80,817
		गुरुग्राम (पश्चिम)	4	6,34,11,903
		हिसार	3	3,19,22,072
		जींद	1	1,08,00,000
		करनाल	2	2,84,02,615
		पंचकुला	3	2,72,97,446
		पानीपत	1	46,50,170
		रेवाड़ी	1	1,05,83,752
		सोनीपत	4	8,32,43,463
	<b>योग</b>		<b>50</b>	<b>1,31,77,09,688</b>
11	निपटान न की गई देयताएं	अंबाला	1	5,16,38,188
		भिवानी	2	35,99,48,309
		फरीदाबाद (पूर्व)	3	36,23,34,180
		फरीदाबाद (पश्चिम)	2	74,61,43,157
		गुरुग्राम (पूर्व)	5	32,33,00,741
		गुरुग्राम (उत्तर)	2	2,68,75,50,079
		गुरुग्राम (दक्षिण)	1	9,33,88,920
		गुरुग्राम (पश्चिम)	2	19,15,65,808
		करनाल	1	19,31,44,617
		नारनौल	1	8,99,98,936

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	मामलों की संख्या	राशि ₹ में
		पंचकुला	3	26,68,61,127
		रोहतक	1	16,40,60,314
		सोनीपत	1	4,31,68,220
	<b>योग</b>		<b>25</b>	<b>5,57,31,02,596</b>
12	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करता	भिवानी	1	0
		फरीदाबाद (उत्तर)	1	0
		फरीदाबाद	3	0
		गुरुग्राम (पूर्व)	5	0
		गुरुग्राम (उत्तर)	2	0
		गुरुग्राम (दक्षिण)	1	0
		गुरुग्राम (पश्चिम)	1	0
		जगाधरी	1	0
		करनाल	1	0
		कुरुक्षेत्र	2	0
		रेवाड़ी	1	0
		रोहतक	1	0
		सिरसा	3	0
	<b>योग</b>		<b>23</b>	<b>0</b>
13	जी.एस.टी.आर. 3बी फाइल नहीं किया गया था लेकिन जी.एस.टी.आर. 1 उपलब्ध है	अंबाला	1	15,26,468
		फरीदाबाद (पूर्व)	3	27,48,537
		फरीदाबाद (दक्षिण)	2	31,82,292
		फरीदाबाद (पूर्व)	3	16,68,705
		गुरुग्राम (पूर्व)	1	6,79,433
		गुरुग्राम (उत्तर)	6	1,25,00,709
		गुरुग्राम (दक्षिण)	4	3,63,22,598
		गुरुग्राम (पश्चिम)	4	16,88,86,568
		कैथल	1	5,31,849
	<b>योग</b>		<b>25</b>	<b>22,80,47,159</b>
14	ब्याज का कम भुगतान	फरीदाबाद (पूर्व)	1	36,17,983
		फरीदाबाद (पश्चिम)	3	1,38,95,173
		गुरुग्राम (पूर्व)	4	2,35,62,919
		गुरुग्राम (उत्तर)	6	4,74,47,166
		गुरुग्राम (दक्षिण)	2	97,11,050
		गुरुग्राम (पश्चिम)	5	2,69,45,416
		हिसार	1	34,64,758
		रेवाड़ी	1	37,86,388
		सिरसा	1	63,47,197
		सोनीपत	1	33,39,892
	<b>योग</b>		<b>25</b>	<b>14,21,17,942</b>
15	स्टाप फाइलर्स	झज्जर	1	18,720
	<b>योग</b>		<b>1</b>	<b>18,720</b>
	<b>कुल योग</b>		<b>428</b>	<b>81,49,32,70,472</b>

**परिशिष्ट VII**  
**केंद्रीकृत (लिमिटेड) लेखापरीक्षा का सारांश**  
**(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.8.4)**

**उत्तर प्राप्त हुआ**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.आई.एन.	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
1.	जी.एस.टी.आर. 2ए और जी.एस.टी.आर. 3बी के बीच बेमेल आई.टी.सी.	हिसार	06XXXXXXXXXX1Z0	11,40,63,990	ए.एस.एम.टी.-10
2.	जी.एस.टी.आर. 2ए और जी.एस.टी.आर. 3बी के बीच बेमेल आई.टी.सी.	करनाल	06XXXXXXXXXX1ZJ	3,41,58,410	ए.एस.एम.टी.-10
3.	आर.सी.एम. के अंतर्गत प्राप्त आई.टी.सी. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में कर का भुगतान	हिसार	06XXXXXXXXXX1ZG	32,71,006	ए.एस.एम.टी.-10
4.	आर.सी.एम. के अंतर्गत प्राप्त आई.टी.सी. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में कर का भुगतान	नारनौल	06XXXXXXXXXXZB	27,52,985	ए.एस.एम.टी.-10
5.	आर.सी.एम. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में प्राप्त आई.टी.सी. के अंतर्गत कर का कम भुगतान	हिसार	06XXXXXXXXXX1Z0	17,63,044	ए.एस.एम.टी.-10
6.	आर.सी.एम. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में प्राप्त आई.टी.सी. के अंतर्गत कर का कम भुगतान	पानीपत	06XXXXXXXXXX1ZA	19,94,261	ए.एस.एम.टी.-10
7.	आर.सी.एम. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में प्राप्त आई.टी.सी. के अंतर्गत कर का कम भुगतान	पानीपत	06XXXXXXXXXX1ZT	19,75,295	ए.एस.एम.टी.-10
8.	गलत आई.एस.डी. क्रेडिट रिवर्सल	हिसार	06XXXXXXXXXX1ZE	1,35,472	ए.एस.एम.टी.-10
9.	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आई.टी.सी. के बीच मिलान (14टी)	करनाल	06XXXXXXXXXX1ZJ	35,76,76,249	ए.एस.एम.टी.-10
10.	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आई.टी.सी. के बीच मिलान (14टी)	पानीपत	06XXXXXXXXXX1ZE	1,94,17,35,577	ए.एस.एम.टी.-10
11.	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के बीच प्राप्त बेमेल आई.टी.सी. (12एफ)	हिसार	06XXXXXXXXXX1ZW	15,54,31,888	ए.एस.एम.टी.-10
12.	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 5आर में घोषित बेमेल टर्नओवर	हिसार	06XXXXXXXXXX1ZW	1,05,49,60,190	ए.एस.एम.टी.-10
13.	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 5आर में घोषित बेमेल टर्नओवर	मेवात	06XXXXXXXXXX1ZK	61,35,11,550	ए.एस.एम.टी.-10
14.	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 5आर में घोषित बेमेल टर्नओवर	पानीपत	06XXXXXXXXXX1Z9	26,66,02,704	ए.एस.एम.टी.-10
15.	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 7जी में घोषित कर-योग्य बेमेल टर्नओवर	करनाल	06XXXXXXXXXX1Z8	17,66,15,840	ए.एस.एम.टी.-10
16.	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 7जी में घोषित कर-योग्य बेमेल टर्नओवर	मेवात	06XXXXXXXXXX1Z2	16,29,11,984	ए.एस.एम.टी.-10
17.	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 7जी में घोषित कर-योग्य बेमेल टर्नओवर	मेवात	06XXXXXXXXXX1ZC	15,92,17,040	ए.एस.एम.टी.-10
18.	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 7जी में घोषित कर-योग्य बेमेल टर्नओवर	मेवात	06XXXXXXXXXX1Z6	19,03,86,928	ए.एस.एम.टी.-10
19.	लेखा-बहियों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए बेमेल कर	हिसार	06XXXXXXXXXX1Z5	50,20,191	ए.एस.एम.टी.-10
20.	लेखा-बहियों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए बेमेल कर	करनाल	06XXXXXXXXXX4ZQ	1,64,06,038	ए.एस.एम.टी.-10
21.	लेखा-बहियों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए बेमेल कर	करनाल	06XXXXXXXXXX1ZP	1,19,96,577	ए.एस.एम.टी.-10
22.	निपटान न की गई देयताएं	भिवानी	06XXXXXXXXXX1Z0	23,89,60,454	ए.एस.एम.टी.-10
23.	निपटान न की गई देयताएं	भिवानी	06XXXXXXXXXX1Z9	12,09,87,855	ए.एस.एम.टी.-10

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.आई.एन.	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
24.	निपटान न की गई देयताएं	करनाल	06XXXXXXXXXX1ZM	19,31,44,617	ए.एस.एम.टी.-10
25.	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करदाता	कुरुक्षेत्र	06XXXXXXXXXX1ZH	-	ए.एस.एम.टी.-10
26.	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करदाता	कुरुक्षेत्र	06XXXXXXXXXX1ZX	-	ए.एस.एम.टी.-10
27.	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करदाता	करनाल	06XXXXXXXXXX1ZD	-	ए.एस.एम.टी.-10
28.	जी.एस.टी.आर. 3बी फाइल नहीं किया गया था लेकिन जी.एस.टी.आर. 1 उपलब्ध है	फरीदाबाद (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZI	25,82,588	ए.एस.एम.टी.-10
	<b>योग</b>			<b>5,82,82,62,733</b>	<b>(अर्थात ₹ 582.83 करोड़)</b>
29.	जी.एस.टी.आर. 2ए और जी.एस.टी.आर. 3बी के बीच बेमेल आई.टी.सी.	रोहतक	06XXXXXXXXXX1ZB	9,59,75,866	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
30.	आर.सी.एम. के अंतर्गत प्राप्त आई.टी.सी. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में कर का भुगतान	फरीदाबाद (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZC	1,99,25,624	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
31.	आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	गुरुग्राम (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1ZJ	9,04,315	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
32.	आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	गुरुग्राम (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1Z1	17,25,992	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
33.	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 5आर में घोषित बेमेल टर्नओवर	जींद	06XXXXXXXXXX1ZD	21,56,28,752	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
34.	लेखा-बहियों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए बेमेल कर	हिसार	06XXXXXXXXXX2ZE	1,54,96,451	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
35.	निपटान न की गई देयताएं	रोहतक	06XXXXXXXXXX1ZR	16,40,60,314	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
36.	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करदाता	सिरसा	06XXXXXXXXXX1ZY	-	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
37.	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करदाता	सिरसा	06XXXXXXXXXX1ZJ	-	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
38.	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करदाता	सिरसा	06XXXXXXXXXX1ZO	-	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
39.	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करदाता	फतेहाबाद	06XXXXXXXXXX1Z5	-	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
40.	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करदाता	फरीदाबाद (उत्तर) वार्ड 2	06XXXXXXXXXX1ZE	-	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
41.	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करदाता	फतेहाबाद	06XXXXXXXXXX1ZC	-	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
42.	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे आयाम-संघटन करदाता	फतेहाबाद	06XXXXXXXXXX1Z9	-	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
43.	ब्याज का कम भुगतान	हिसार	06XXXXXXXXXX1ZP	34,64,758	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
44.	लेखा-बहियों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए बेमेल कर	हिसार	06XXXXXXXXXX1ZI	1,14,05,430	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
	<b>योग</b>			<b>52,85,87,502</b>	<b>(अर्थात ₹ 52.86 करोड़)</b>
45.	आर.सी.एम. के अंतर्गत प्राप्त आई.टी.सी. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में कर का भुगतान	गुरुग्राम (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX7Z9	51,66,941	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
46.	आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	करनाल	06XXXXXXXXXX1ZG	26,57,832	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
47.	आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	रोहतक	06XXXXXXXXXX1ZH	8,56,357	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
48.	जी.एस.टी.आर. 2ए और जी.एस.टी.आर. 3बी के बीच बेमेल आई.टी.सी.	सोनीपत	06XXXXXXXXXX1ZR	14,00,03,630	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
49.	आर.सी.एम. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में प्राप्त आई.टी.सी. के अंतर्गत कर का कम भुगतान	नारनौल	06XXXXXXXXXX1ZG	17,51,269	डेटा प्रविष्टि त्रुटि

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.आई.एन.	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
50.	लेखा-बहियों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए बेमेल कर	जींद	06XXXXXXXXXX1ZS	1,08,00,000	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
	<b>योग</b>			<b>16,12,36,029</b>	<b>(अर्थात ₹ 16.12 करोड़)</b>
51.	जी.एस.टी.आर. 2ए और जी.एस.टी.आर. 3बी के बीच बेमेल आई.टी.सी.	फरीदाबाद (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZO	3,51,11,114	विभाग ने बताया कि वे लेखापरीक्षा प्रश्न (एक्यू) की जांच कर रहे हैं
52.	आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	करनाल	06XXXXXXXXXX1ZJ	16,39,714	विभाग ने बताया कि वे लेखापरीक्षा प्रश्न (एक्यू) की जांच कर रहे हैं
53.	आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	करनाल	06XXXXXXXXXX1ZN	11,18,100	विभाग ने बताया कि वे लेखापरीक्षा प्रश्नों (एक्यू) की जांच कर रहे हैं
	<b>योग</b>			<b>3,78,68,928</b>	<b>(अर्थात ₹ 3.79 करोड़)</b>
54.	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आई.टी.सी. के बीच मिलान (14टी)	रोहतक	06XXXXXXXXXX1Z6	49,52,91,864	अन्य मान्य स्पष्टीकरण
55.	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के बीच प्राप्त बेमेल आई.टी.सी. (12एफ)	रोहतक	06XXXXXXXXXX1ZK	2,58,29,810	अन्य मान्य स्पष्टीकरण
	<b>योग</b>			<b>52,11,21,674</b>	<b>(अर्थात ₹ 52.11 करोड़)</b>
56.	आर.सी.एम. बनाम जी.एस.टी.आर. 3बी/जी.एस.टी.आर. 9 में प्राप्त आई.टी.सी. के अंतर्गत कर का कम भुगतान	भिवानी	06XXXXXXXXXX1Z9	27,43,634	कारण बताओ नोटिस
	<b>योग</b>			<b>27,43,634</b>	<b>(अर्थात ₹ 0.27 करोड़)</b>
57.	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के बीच प्राप्त बेमेल आई.टी.सी. (12एफ)	फरीदाबाद (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1Z4	3,27,31,224	पत्राचाराधीन
	<b>योग</b>			<b>3,27,31,224</b>	<b>(अर्थात ₹ 3.27 करोड़)</b>
58.	जी.एस.टी.आर. 2ए और जी.एस.टी.आर. 3बी के बीच बेमेल आई.टी.सी.	पानीपत	06XXXXXXXXXX3ZR	11,58,00,207	दस्तावेज के बिना
59.	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आई.टी.सी. के बीच मिलान (14टी)	फरीदाबाद (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZG	37,44,97,197	दस्तावेज के बिना
60.	जी.एस.टी.आर. 9सी तालिका 5आर में घोषित बेमेल टर्नओवर	फरीदाबाद (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZP	38,56,26,368	दस्तावेज के बिना
61.	लेखा-बहियों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए बेमेल कर	पानीपत	06XXXXXXXXXX1ZG	46,50,170	दस्तावेज के बिना
	<b>योग</b>			<b>88,05,73,941</b>	<b>(अर्थात ₹ 88.06 करोड़)</b>



**परिशिष्ट VIII**  
**वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा**

(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.11)

**विस्तृत लेखापरीक्षा मामले**

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	मानदंड	जी.एस.टी.आई.एन.	डी.ई.टी.सी.	टर्नओवर
1.	एल	06XXXXXXXXXX1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	1,16,50,53,21,472
2.	एल	06XXXXXXXXXX1ZE	गुरुग्राम (पूर्व)	17,33,21,08,480
3.	एल	06XXXXXXXXXX1ZE	गुरुग्राम (दक्षिण)	17,22,14,10,816
4.	एल	06XXXXXXXXXX1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	16,25,62,21,252
5.	एल	06XXXXXXXXXX1ZL	गुरुग्राम (दक्षिण)	11,74,38,76,152
6.	एल	06XXXXXXXXXX2Z3	गुरुग्राम (उत्तर)	8,94,67,45,344
7.	एल	06XXXXXXXXXX2ZW	फरीदाबाद (पश्चिम)	2,73,97,38,880
8.	एल	06XXXXXXXXXX1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	1,59,47,91,680
9.	एल	06XXXXXXXXXX1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	1,52,35,47,520
10.	एल	06XXXXXXXXXX1ZZ	गुरुग्राम (पश्चिम)	1,27,12,68,625
11.	एल	06XXXXXXXXXX1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	1,22,17,48,739
12.	एल	06XXXXXXXXXX1ZY	गुरुग्राम (दक्षिण)	83,54,71,616
13.	एल	06XXXXXXXXXX1ZT	गुरुग्राम (पूर्व)	43,88,45,312
14.	एल	06XXXXXXXXXX5ZE	गुरुग्राम (पूर्व)	42,61,42,980
15.	एल	06XXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पूर्व)	42,01,03,232
16.	एल	06XXXXXXXXXX1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	38,36,64,260
17.	एल	06XXXXXXXXXX2ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	35,09,71,968
18.	एल	06XXXXXXXXXX1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	34,88,25,099
19.	एल	06XXXXXXXXXX1ZP	गुरुग्राम (उत्तर)	30,71,84,424
20.	एल	06XXXXXXXXXX1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	28,29,88,642
21.	एल	06XXXXXXXXXX1ZK	फरीदाबाद (पश्चिम)	22,01,16,448
22.	एल	06XXXXXXXXXX1ZT	गुरुग्राम (पश्चिम)	21,89,44,976
23.	एल	06XXXXXXXXXX1ZJ	गुरुग्राम (पूर्व)	20,28,47,168
24.	एम	06XXXXXXXXXX1ZM	गुरुग्राम (पश्चिम)	18,27,99,691
25.	एम	06XXXXXXXXXX1ZO	फरीदाबाद (पश्चिम)	18,14,99,686
26.	एम	06XXXXXXXXXX1ZQ	गुरुग्राम (उत्तर)	14,96,65,319
27.	एम	06XXXXXXXXXX1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	13,58,39,696
28.	एम	06XXXXXXXXXX1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	10,75,97,184
29.	एम	06XXXXXXXXXX1ZB	गुरुग्राम (पूर्व)	6,75,11,480
30.	एम	06XXXXXXXXXX1ZR	गुरुग्राम (पूर्व)	5,97,45,352
31.	एम	06XXXXXXXXXX1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	5,03,24,576
32.	एम	06XXXXXXXXXX1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	4,33,28,400
33.	एम	06XXXXXXXXXX1ZZ	गुरुग्राम (पूर्व)	4,03,14,036
34.	एम	06XXXXXXXXXX1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	3,55,86,600
35.	एस	06XXXXXXXXXX1Z9	अंबाला	2,73,73,670
36.	एस	06XXXXXXXXXX1ZT	सिरसा	2,73,48,952
37.	एस	06XXXXXXXXXX1ZP	अंबाला	2,36,13,940
38.	एस	06XXXXXXXXXX1Z1	सोनीपत	1,02,79,138

परिशिष्ट IX  
(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.11.1)

कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेख प्रस्तुत न करना)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	योग	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची
1	अंबाला	06XXXXXXXXXX1Z9	12,20,585	बीजक, नोट्स और शेड्यूल के साथ वित्तीय विवरण, डेबिट/क्रेडिट नोट्स और लेनदारों की सूची
		06 XXXXXXXXXXXX1ZP	1,50,09,693	
योग			1,62,30,278	
2	फरीदाबाद (उत्तर)	06 XXXXXXXXXXXX1Z5	63,69,729	
		योग		
3	फरीदाबाद (पश्चिम)	06 XXXXXXXXXXXX1ZK	44,99,166	
		06 XXXXXXXXXXXX2ZW	1,93,16,604	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZO	0	
योग			2,38,15,770	
4	गुरुग्राम (पूर्व)	06 XXXXXXXXXXXX1ZS	10,56,50,309	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZM	26,80,534	
		06 XXXXXXXXXXXX1Z0	3,46,58,011	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZZ	38,64,037	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZR	41,65,773	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZB	52,96,594	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZE	1,14,41,06,494	
		06 XXXXXXXXXXXX5ZE	1,92,84,420	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZL	4,24,17,058	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZG	4,23,90,987	
		06 XXXXXXXXXXXX2ZG	36,66,316	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZS	4,60,35,136	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZJ	30,81,316	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZU	50,13,940	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZT	1,19,84,384	
		06 XXXXXXXXXXXX1ZO	0	
		06 XXXXXXXXXXXX1Z4	3,73,32,006	
06 XXXXXXXXXXXX1ZL	64,39,784			
योग			1,51,80,67,096	
5	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZQ	1,34,37,590	
		06XXXXXXXXXX1Z5	4,29,66,663	

क्र.सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	योग	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची
		06XXXXXXXXXX1ZL	1,19,26,082	
		06XXXXXXXXXX1ZP	1,19,39,178	
		06XXXXXXXXXX2Z3	19,14,878	
		06XXXXXXXXXX1ZU	14,69,34,385	
	<b>योग</b>		<b>22,91,18,776</b>	
6	गुरुग्राम (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZY	4,45,18,780	
		06XXXXXXXXXX1ZL	35,65,716	
		06XXXXXXXXXX1ZE	10,66,49,134	
	<b>योग</b>		<b>15,47,33,630</b>	
7	गुरुग्राम (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1ZT	35,79,720	
		06XXXXXXXXXX1ZZ	4,04,16,150	
		06XXXXXXXXXX1ZM	11,24,035	
	<b>योग</b>		<b>4,51,19,905</b>	
8	सिरसा	06XXXXXXXXXX1ZT	0	
	<b>योग</b>		<b>0</b>	
9	सोनीपत	06XXXXXXXXXX1Z1	58,30,622	
	<b>योग</b>		<b>58,30,622</b>	
	<b>कुल योग</b>		<b>1,99,92,85,806</b>	

**परिशिष्ट X**  
**(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.12.2)**

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का कम रिवर्सल क्योंकि रिवर्सल जी.एस.टी.आर. 9 के 7एच में किया गया है और रिवर्सल जी.एस.टी.आर. 9 तालिका 5 (घ+ड.)/3बी की छूट प्राप्त आपूर्ति के अनुसार किया गया है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	छूट प्राप्त और शून्य रेटेड आपूर्ति जी.एस.टी.आर.-9 5 (घ+ड.)/3बी	जी.एस.टी.आर.-9/3बी के अनुसार कुल टर्नओवर	जी.एस.टी.आर.-9 के अनुसार प्राप्त की गई कुल आई.टी.सी.	उपलब्ध डेटाबेस के अनुसार परिकल्पित रिवर्सल	जी.एस.टी.आर. 9 की तालिका 7एच के अनुसार किया गया रिवर्सल	कम रिवर्सल या नॉन-रिवर्सल
			क	ख	ग	घ	ड.	च=घ-ड.
1	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1Z0	1,12,50,433	34,88,25,099	13,92,76,448	44,91,994	0	44,91,994
2	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZJ	20,28,47,168	20,28,47,168	15,79,076	15,79,076	0	15,79,076
3	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZL	1,30,38,368	13,52,03,670	1,32,03,911	12,73,319	0	12,73,319
4	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZL	3,60,87,288	5,03,24,576	71,67,872	51,40,015	0	51,40,015
5	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZT	35,18,04,480	42,94,37,500	1,32,21,232	1,08,31,119	44,42,595	63,88,524
6	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZP	1,86,44,824	30,71,84,424	1,93,97,591	11,77,354	3,84,019	7,93,335
7	गुरुग्राम (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZE	13,67,45,232	16,63,54,10,728	3,42,57,36,904	2,81,60,001	14,89,636	2,66,70,365
8	गुरुग्राम (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1ZT	73,64,163	19,29,38,449	2,38,08,460	9,08,732	0	9,08,732
9	फरीदाबाद (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX2ZW	1,89,98,722	2,73,97,38,832	27,58,82,985	18,42,634	7,61,993	10,80,641
10	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZS	5,49,79,64,032	16,25,62,21,252	63,76,46,732	10,68,84,807	62,15,490	10,06,69,317
11	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX5ZE	13,84,079	42,61,42,979	8,56,64,674	2,84,126	0	2,84,126
<b>योग</b>								<b>14,92,79,444</b>

**परिशिष्ट XI**  
(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.12.2)

**जी.एस.टी.आर. 9 तालिका 6जी और वितरित आई.एस.डी. में इनपुट सेवा वितरण के माध्यम से प्राप्त आई.टी.सी. का मेल न होना**

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	आर-9 तालिका 6जी में प्राप्त आई.एस.डी. क्रेडिट	3बी तालिका 4ए(5) में प्राप्त आई.एस.डी. क्रेडिट	वितरित आई.एस.डी.	करदाताओं के लिए वितरणों की संख्या	बेमेल
1	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX2Z3	19,14,878	19,14,878	0	0	19,14,878
	<b>योग</b>						<b>19,14,878</b>

**परिशिष्ट XII**  
**(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.12.2)**

सभी संशोधनों के साथ जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. की तुलना जी.एस.टी.आर. 3बी और जी.एस.टी.आर. 9 (जो भी अधिक हो) में प्राप्त आई.टी.सी. के साथ की गई थी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	जी.एस.टी.आर. 2ए के अनुसार प्राप्त आई.टी.सी.	जी.एस.टी.आर. 3बी के अनुसार प्राप्त आई.टी.सी.	जी.एस.टी.आर. 9 के अनुसार प्राप्त आई.टी.सी.	जो भी अधिक हो (ख एवं ग)	आई.टी.सी. के बेमेल विचलन की राशि
			क	ख	ग	घ	ड. =घ-क
1.	अंबाला	06XXXXXXXXXX1Z9	20,67,365	22,52,349	0	22,52,349	1,84,984
2.	अंबाला	06XXXXXXXXXX1ZP	20,10,563	34,24,579	91,60,923	91,60,923	71,50,360
3.	फरीदाबाद (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1Z5	1,49,48,171	1,89,54,488	1,89,54,488	1,89,54,488	40,06,317
4.	फरीदाबाद (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1ZK	1,37,71,161	1,78,58,834	1,78,63,422	1,78,63,422	40,92,261
5.	फरीदाबाद (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX2ZW	16,58,09,425	18,40,45,388	16,57,68,972	18,40,45,388	1,82,35,963
6.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZM	14,09,262	25,40,295	28,29,711	28,29,711	14,20,449
7.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1Z0	14,32,64,385	17,01,32,544	17,01,32,544	17,01,32,544	2,68,68,159
8.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZZ	50,84,825	61,60,900	0	61,60,900	10,76,075
9.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZR	1,07,18,452	1,33,74,321	1,33,74,321	1,33,74,321	26,55,869
10.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZB	39,65,887	49,78,258	79,65,299	79,65,299	39,99,412
11.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZE	1,94,92,35,223	2,93,41,37,674	1,91,01,39,741	2,93,41,37,674	98,49,02,451
12.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX5ZE	6,83,72,519	8,72,64,495	8,72,64,499	8,72,64,499	1,88,91,980
13.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZL	6,48,11,578	7,02,73,598	6,59,42,050	7,02,73,598	54,62,020
14.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZG	4,10,99,492	5,21,59,112	4,25,04,080	5,21,59,112	1,10,59,620
15.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX2ZG	73,01,715	87,56,358	87,56,358	87,56,358	14,54,643
16.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZS	4,54,02,457	5,47,55,934	5,48,76,214	5,48,76,214	94,73,757
17.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZJ	16,47,819	28,08,990	24,67,921	28,08,990	11,61,171
18.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZU	53,49,352	88,20,006	88,20,005	88,20,006	34,70,654
19.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZT	40,34,345	86,46,794	41,62,790	86,46,794	46,12,449
20.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1Z4	6,88,97,085	7,85,73,886	6,88,37,201	7,85,73,886	96,76,801
21.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZL	1,00,30,607	1,18,22,680	1,13,96,560	1,18,22,680	17,92,073

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	जी.एस.टी.आर. 2ए के अनुसार प्राप्त आई.टी.सी.	जी.एस.टी.आर. 3बी के अनुसार प्राप्त आई.टी.सी.	जी.एस.टी.आर. 9 के अनुसार प्राप्त आई.टी.सी.	जो भी अधिक हो (ख एवं ग)	आई.टी.सी. के बेमेल विचलन की राशि
			क	ख	ग	घ	ड.=घ-क
22.	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZQ	1,76,66,826	3,10,18,020	3,10,18,020	3,10,18,020	1,33,51,194
23.	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1Z5	1,25,25,905	4,11,52,134	1,23,87,820	4,11,52,134	2,86,26,229
24.	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZL	59,41,517	71,67,872	0	71,67,872	12,26,355
25.	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZP	1,93,23,015	2,17,45,228	2,17,45,228	2,17,45,228	24,22,213
26.	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZU	12,46,909	13,78,34,448	12,19,438	13,78,34,448	13,65,87,539
27.	गुरुग्राम (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZY	36,79,18,020	40,55,42,752	0	40,55,42,752	3,76,24,732
28.	गुरुग्राम (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1ZT	20,2,52,208	2,24,00,680	1,87,61,266	2,24,00,680	21,48,472
29.	गुरुग्राम (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1ZZ	12,04,81,881	13,28,77,413	13,28,76,945	13,28,77,413	1,23,95,532
30.	गुरुग्राम (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1ZM	2,57,94,534	2,69,18,569	2,69,18,569	2,69,18,569	11,24,035
31.	सोनीपत	06XXXXXXXXXX1Z1	28,20,769	40,53,996	40,53,996	40,53,996	12,33,227
	<b>योग</b>		<b>3,22,32,03,272</b>	<b>4,57,24,52,595</b>	<b>2,92,01,98,381</b>	<b>4,58,15,90,268</b>	<b>1,35,83,86,996</b>

**परिशिष्ट XIII**  
**(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.12.2)**

**जी.एस.टी.आर. 9 में आर.सी.एम. के अंतर्गत कर देयता की तुलना जी.एस.टी.आर. 3बी के अनुसार देय कर से की गई थी**

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	जी.एस.टी.आर. 3बी में प्राप्त आर.सी.एम. आई.टी.सी.	जी.एस.टी.आर. 3बी में देय आर.सी.एम. कर	आर-9 में प्राप्त आर.सी.एम. आई.टी.सी.	बेमेल आर.सी.एम.
1	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1Z0	1,82,38,024	1,80,10,078	1,82,38,018	2,27,940
2	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1Z5	1,11,560	52,760	1,11,560	58,800
	<b>योग</b>					<b>2,86,740</b>



**परिशिष्ट XIV**  
(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.12.2)

फॉर्म 9सी की तालिका 12एफ (असमाधानित आई.टी.सी.) वार्षिक रिटर्न जी.एस.टी.आर. 9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के वित्तीय विवरण में घोषित आई.टी.सी. के बीच असमाधानित आई.टी.सी. को दर्शाती है। वार्षिक रिटर्न में प्राप्त असमाधानित आई.टी.सी. (फॉर्म 9सी की तालिका 12एफ)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण या लेखा-बहियों के अनुसार प्राप्त आई.टी.सी. (जी.एस.टी.आर. 9सी का 12डी)	जी.एस.टी.आर. 9 (जी.एस.टी.आर.- 9सी के 12ई या 14 एस) में आई.टी.सी. का दावा किया गया	प्राप्त की गई अतिरिक्त आई.टी.सी. या असमाधानित आई.टी.सी. तालिका 12 एफ 9सी
			क	ख	ग=ख-क
1	अंबाला	06XXXXXXXXXX1ZP	34,24,580	91,60,923	57,36,343
2	फरीदाबाद (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1ZK	1,74,61,105	1,78,68,010	4,06,905
3	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZM	10,43,280	23,03,365	12,60,085
4	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZE	3,57,43,47,045	3,61,91,19,044	4,47,71,999
5	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZG	8,62,16,379	6,38,71,392	2,23,44,987
6	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX2ZG	2,71,22,775	2,74,38,444	3,15,669
7	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZT	81,84,694	82,09,612	24,918
8	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZL	1,39,71,723	1,39,33,623	38,100
9	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1Z5	5,54,29,428	5,54,15,050	14,378
10	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZP	2,13,75,178	2,17,45,228	3,70,050
11	गुरुग्राम (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZE	3,17,99,76,640	3,25,99,55,410	7,99,78,770
12	गुरुग्राम (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1ZZ	14,24,62,100	17,04,82,718	2,80,20,618
13	सोनीपत	06XXXXXXXXXX1Z1	0	40,53,996	40,53,996
	<b>योग</b>				<b>18,73,36,818</b>

**परिशिष्ट XV**  
(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.12.2)

पूँजीगत वस्तुओं पर आई.टी.सी. का रिवर्स न होना। इसके लिए कर-योग्य और छूट/शून्य आपूर्ति के लिए उपयोग की जाने वाली पूँजीगत वस्तुओं के बदले में आई.टी.सी. रिवर्सल तालिका 7सी, 7डी या 7एच से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें रिवर्सल की गणना जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 6ए तालिका 7डी में रिवर्सल के साथ की गई है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	जी.एस.टी.आर.-9 के 6 बी के अनुसार पूँजीगत वस्तुओं पर आई.टी.सी.	छूट प्राप्त और शून्य रेटेड आपूर्ति जी.एस.टी.आर.-9 का 5 (घ+ड.)	जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 5एन के अनुसार कुल टर्नओवर	जी.एस.टी.आर.-9 के 7डी के अनुसार पूँजीगत वस्तुओं पर किया गया रिवर्सल	परिकलित रिवर्सल	आई.टी.सी. का नॉन-रिवर्सल
			क	ख	ग	घ	ड.	च=ड.-घ
1	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZT	4,51,512	35,18,67,564	43,04,18,518	0	3,69,112	3,69,112
	योग							3,69,112

**परिशिष्ट XVI**  
(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.12.2)

3बी में प्राप्त आई.टी.सी. के बीच का अंतर जैसा कि जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 6ए में दर्शाया गया है और जी.एस.टी.आर. 9 की तालिका 6आई में प्राप्त आई.टी.सी. की तुलना की गई

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 6ए में घोषित आई.टी.सी.	जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 6 आई के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी.	3बी में प्राप्त आई.टी.सी. और आर9 (6जे)= 6 आई-6ए में घोषित आई.टी.सी. के बीच अंतर	आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना
			क	ख	ग=ख-क	घ
1	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX5ZE	9,73,45,445	9,72,37,131	(-) 1,08,314	1,08,314
2	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZL	7,84,02,739	7,49,39,061	(-) 34,63,678	34,63,678
3	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZG	6,84,40,665	6,12,43,591	(-) 71,97,074	71,97,074
4	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZJ	28,15,110	24,74,041	(-) 3,41,069	3,41,069
5	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1Z4	6,74,97,670	5,77,51,921	(-) 97,45,749	97,45,749
6	गुरुग्राम (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZL	2,20,48,04,093	2,20,12,38,376	(-) 35,65,717	35,65,716
	<b>योग</b>					<b>2,44,21,600</b>

**परिशिष्ट XVII**  
**(संदर्भ अनुच्छेद 2.9.12.3)**

अमुक्त कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जी.एस.टी.आर. 1 और जी.एस.टी.आर. 9 से प्रासंगिक डेटा लिया गया और इन रिटर्न में देय कर की तुलना जी.एस.टी.आर. 3बी में घोषित कर भुगतान से की गई

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	जी.एस.टी.एन.	जी.एस.टी.आर.-1 के अनुसार कर देयता	जी.एस.टी.आर.-3बी के अनुसार कर देयता	जी.एस.टी.आर.-9 के अनुसार कर देयता	बेमेल कर देयता
			क	ख	ग	घ=क-ग-ख
1	अंबाला	06XXXXXXXXXX1Z9	32,84,840	22,49,239	-	10,35,601
2.	अंबाला	06XXXXXXXXXX1ZP	53,99,221	32,76,231	32,76,231	21,22,990
3.	फरीदाबाद (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1Z5	1,93,67,492	1,70,04,080	1,93,67,492	23,63,412
4.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZS	1,94,40,85,760	1,93,91,04,768	1,93,90,86,978	49,80,992
5.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1Z0	9,61,61,656	9,67,30,813	9,98,00,731	30,69,918
6.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZB	1,06,19,455	93,22,273	88,15,713	12,97,182
7.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZE	3,09,99,07,580	2,98,54,75,536	2,98,54,75,536	11,44,32,044
8.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZL	37,23,61,280	33,88,69,920	33,88,73,999	3,34,91,360
9.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZG	5,71,17,912	5,67,07,028	5,84,96,334	17,89,306
10.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX2ZG	1,69,98,110	1,51,02,105	1,59,54,528	18,96,005
11.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZU	70,02,120	60,57,241	76,00,527	15,43,286
12.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZT	1,11,87,920	1,05,98,539	1,00,19,484	5,89,381
13.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1Z4	7,56,18,592	5,77,09,136	4,92,18,255	1,79,09,456
14.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZL	2,18,27,816	1,84,91,524	1,84,91,337	33,36,292
15.	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZQ	2,93,22,112	2,92,35,716	2,13,54,358	86,396
16.	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1Z5	5,09,33,760	3,66,70,700	5,09,37,956	1,42,67,256
17.	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZL	81,22,424	25,62,712	-	55,59,712
18.	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZP	2,09,97,302	1,26,43,722	1,19,90,666	83,53,580
19.	गुरुग्राम (उत्तर)	06XXXXXXXXXX1ZU	27,42,38,528	26,38,91,696	27,42,38,542	1,03,46,846
20.	गुरुग्राम (दक्षिण)	06XXXXXXXXXX1ZY	35,36,32,320	34,67,38,272	-	68,94,048
21.	गुरुग्राम (पश्चिम)	06XXXXXXXXXX1ZT	10,96,254	5,73,738	5,78,957	5,22,516
22.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1Z1	27,89,235	22,45,836	22,45,836	5,43,399
23.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZS	9,18,52,728	5,52,91,352	5,52,91,349	3,65,61,376
24.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZR	1,07,85,460	92,75,556	1,03,51,229	15,09,904
25.	गुरुग्राम (पूर्व)	06XXXXXXXXXX1ZZ	72,56,526	52,70,665	-	19,85,861
		<b>योग</b>	<b>6,59,19,66,403</b>	<b>6,32,10,98,398</b>	<b>5,98,14,66,038</b>	<b>27,64,88,119</b>

**परिशिष्ट XVIII**  
(संदर्भ अनुच्छेद 5.7.1.1)

**बिजनेस प्रयोजनों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) प्रणाली के प्रयोजनों का संरेखण**

क्र. सं.	आई.टी. सिस्टम का प्रयोजन	बिजनेस का प्रयोजन	अन्य शामिल कार्यक्षमता	आई.टी. सिस्टम प्रयोजन को बिजनेस प्रयोजन से जोड़ने की प्रक्रिया को पहचाना गया	प्राप्ति मापने के लिए मानदंड	अन्य कार्यक्षमताओं को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए रोडमैप
1	कार्यक्रम की जानकारी बढ़ाना	निष्पादन मॉनीटरिंग में सुधार करना	-	कार्यों के निष्पादन में सुधार की निगरानी के लिए एप्लिकेशन में शामिल किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करने वाला कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं था	प्राप्तियों का आकलन करने के लिए कोई बेंचमार्क शामिल नहीं किया गया है और इसके लिए कोई अभ्यास नहीं किया गया है	विभाग के रिकार्ड में ऐसा कोई दस्तावेज़/अध्ययन नहीं मिला।
2	वित्तीय रिपोर्टिंग को बढ़ाना	संसाधन आबंटन निर्णयों में सुधार करना	-	संसाधन आबंटन में सुधार का संकेत देने वाली कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी	-सम-	-सम-
3	सूचना स्रोतों को समेकित करना और अधिक कार्यक्षमता प्रदान करना	कर्मचारियों की उच्च उत्पादकता के लिए	वित्तीय विश्लेषण क्षमता प्रदान करना	कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि दर्शाने वाली कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी	-सम-	-सम-
4	प्रक्रियाओं और कौशल का मानकीकरण	कर्मचारी प्रशिक्षण और बदलाव लागत में कमी के लिए	वित्तीय विश्लेषण क्षमता प्रदान करना	प्रशिक्षण और बदलाव लागत में कमी का संकेत देने वाली कोई अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी	-सम-	-सम-
5	खजानों, महालेखाकार, हरियाणा और विभागों के बीच गुणवत्तापूर्ण डेटा विनिमय	समय और प्रयास को कम करना जो वर्तमान में त्रुटि विश्लेषण और समाधान के माध्यम से किया जाता है	-	त्रुटि विश्लेषण और समाधान के लिए समय और प्रयास में कमी का संकेत देने वाली कोई मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।	-सम-	-सम-
6	सामान्य प्रक्रियाओं, प्रणालियों और डेटा परिभाषाओं का मानकीकरण	प्रशासनिक लागत कम करना	-	ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई	-सम-	-सम-
7	व्यावसायिक प्रक्रियाओं को री-इंजीनियर किया गया	लागत कम करना और/या अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना आदि	-	ऐसी कोई मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी	-सम-	-सम-

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

**परिशिष्ट XIX**  
**(संदर्भ अनुच्छेद 5.7.1.2)**

**बिजनेस नियमों में संशोधन**

**तालिका क "पंजाब खजाना नियम"**

क्र.सं.	खजाना नियम	प्रस्तावित परिवर्तन	टिप्पणी/औचित्य
1.	टीआर 7 (1)	टीआर 7(1) के नीचे निम्नलिखित नोट दें। नोट: हरियाणा सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाले बैंक, साइबर ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से जमा करने से पहले प्राप्त राशि को बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। तथापि दिन के दौरान प्राप्त धन को उसी दिन साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	जब सभी प्राप्तियों के लिए साइबर ट्रेजरी का उपयोग किया जाएगा। साइबर ट्रेजरी के माध्यम से राज्य खाते में जमा करने से पहले एजेंसी बैंकों में जमा किए गए धन (नकद, आदि) को पहले बैंक खाते में जमा करना होगा।
2.	टीआर 10 (i), (ii) एवं (iii)	संशोधन किया जाए (साइबर ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान प्रक्रियाओं के अनुसार)	यह साइबर ट्रेजरी की ई-चालान प्रणाली के संदर्भ में है

**तालिका ख "पंजाब खजाना नियमों के अंतर्गत जारी सहायक खजाना नियम"**

क्र.सं.	सहायक खजाना नियम	प्रस्तावित परिवर्तन	टिप्पणी/औचित्य
1.	एस.टी.आर. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.19, 2.20, 2.21 एवं 2.23	संशोधन किया जाए (साइबर ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान प्रक्रियाओं के अनुसार)	यह साइबर ट्रेजरी की ई-चालान प्रणाली के संदर्भ में है। प्रासंगिक एस.टी.आर. में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।
2.	एस.टी.आर. 2.24 एवं 2.25	आईएफएचआरएमआईएस के रिपोर्ट सेक्शन में संदर्भित किया जाए	आईएफएचआरएमआईएस की मानक आवधिक रिपोर्टों में शामिल किया जाना है
3.	एस.टी.आर. 2.9 (1) से (6) और नीचे दिए गए नोट्स	हटाया जाए	सभी मामलों में धन को साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा करना होगा
4.	सामान्य नोट:	आई.एफ.एच.आर.एम.आई.एस. के डिजाइन/विकास के बाद एस.टी.आर. में संदर्भित सभी बिल फॉर्म को प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और संबंधित निर्देशों से बदल दिया जाएगा।	एस.टी.आर. फॉर्म के सभी संदर्भों के लिए लागू
5.	एस.टी.आर. 4.5 और 1. एवं 2. नोट अपवाद 1. एवं 2. नीचे दिए गए सभी नोट और एस.टी.आर. 4.6	हटाया जाए	संदर्भ मैनुअल फॉर्म की तैयारी के संदर्भ में है (बिंदु 4 ऊपर संदर्भित)
6.	(vi) वाउचर की तैयारी और फॉर्म के संबंध में सामान्य निर्देश 'जैसा कि एस.टी.आर. 4.7 में निहित है' (सभी सेक्शन के साथ पठित, नोट्स, आदि)	आई.एफ.एच.आर.एम.आई.एस. के मैनुअल के संबंधित सेक्शन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा	आई.एफ.एच.आर.एम.आई.एस. मैनुअल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरने के संबंध में निर्देश
7.	(x) सरकार...चेक "जैसा कि एस.टी.आर. 4.12 से 4.16; 4.75 से 4.78; 4.81(बी) और 4.86, 4.87, 4.89 और 4.90 में निहित है	वर्क्स/वन विभागों में संवितरण के लिए आई.एफ.एच.आर.एम.आई.एस. के मैनुअल के प्रासंगिक सेक्शन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है	आई.एफ.एच.आर.एम.आई.एस. में वर्क्स/वन संवितरण चेक के बजाय ऑनलाइन करने के संबंध में निर्देश
8.	एस.टी.आर.4.50	हटाया जाए	आई.एफ.एच.आर.एम.आई.एस. में किसी भी उप-खजाना सेटअप की कोई संभावना नहीं है
9.	(viii) पेंशन भुगतान "एस.टी.आर. 4.92 से 4.109 में निहित प्रावधान के अनुसार"	आई.एफ.एच.आर.एम.आई.एस. में 'ई-पेंशन' और/या सीपीएमएमएस के लिए अंतिमकृत प्रक्रियाओं के अनुसार संशोधन किया जाना है	
10.	(x) टेलीग्राफिक... ड्राफ्ट्स "एस.टी.आर. 4.115 से 4.127	हटाया जाए	खजानों के माध्यम से ऐसे नकदीकरण की कोई गुंजाइश नहीं होगी
11.	"एस.टी.आर. 4.131 (ii), एस.टी.आर. 4.132, एस.टी.आर. 4.143, एस.टी.आर. 4.145, एस.टी.आर. 4.153, एस.टी.आर. 4.158 और एस.टी.आर. 4.159	जमा के लिए चेक शब्द को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से बदला जाए	
12.	एस.टी.आर. 4.181	हटाया जाए	चेकों की प्रणालियों को आई.एफ.एच.आर.एम.आई.एस. के अंतर्गत समाप्त किया जाए

# शब्दावली





संकेताक्षरों की शब्दावली

ए.ए.	कर-निर्धारण प्राधिकारी
ए.सी.	सार आकस्मिकता
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
ए.जी.	महालेखाकार
ए.आई.एस.	अखिल भारतीय सेवाएं
ए.टी.एन.	कृत कार्रवाई टिप्पणी
ए.टी.ओ.	सहायक खजाना अधिकारी
बी.सी.ए.	बजट नियंत्रण प्राधिकारी
बी.सी.ओ.	बजट नियंत्रण अधिकारी
बी.सी.पी.	बिजनेस निरंतरता योजना
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
boweb.internal.gst.in	आबकारी एवं कराधान विभाग की बैक-एंड प्रणाली
सी.ए.ए.टी.	कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सी.बी.आई.सी.	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सी.सी.डी.	सिविल कोर्ट जमा
सी.ई.आर.टी.	कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम
सी.जी.ए.	लेखा महानियंत्रक
सी.जी.एस.टी.	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सी.आई.एस.ओ.	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
सी.एल.	देसी शराब
सी.पी.पी.सी.	केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र
सी.पी.एस.एम.एस.	केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली
सी.एस.टी. एक्ट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
डी.ए.	महंगाई भत्ता
डी.सी.	विस्तृत आकस्मिकता
डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डी.ई.टी.सी.	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.एम.एस.	ऋण प्रबंधन प्रणाली

डी.आर.	आपदा पुनर्प्राप्ति
डी.आर.पी.	आपदा पुनर्प्राप्ति योजना
डी.एस.सी.	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
डी.टी.ए.	खजाना एवं लेखा निदेशालय
ई.-जी.आर.ए.एस.	ऑनलाइन सरकारी रसीद लेखांकन प्रणाली
ई.पी.एस.	इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
एफ.डी.	वित्त विभाग
जी.ए.आर.	सरकारी लेखांकन नियम
जी.ओ.एच.	हरियाणा सरकार
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.पी.एफ.	सामान्य भविष्य निधि
जी.आर.एन.	सरकारी संदर्भ संख्या
जी.आर.पी.	राजकीय रेलवे पुलिस
जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर
जी.एस.टी.आई.एन.	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या
जी.टी.ओ.	सकल टर्नओवर
एच.जी.एस.टी.	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम
एच.एम.सी.	हरियाणा नगर निगम
एच.एन.पी.एस.	हरियाणा नई पेंशन योजना
एच.आर.एम.एस.	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
एच.एस.ए.एम.बी.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.एस.-सी.ई.आर.टी.	हरियाणा राज्य-कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम
एच.एस.वी.पी.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
एच.वी.ए.टी. एक्ट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई.	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
आई.एफ.एम.एस.	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
आई.एफ.एस.सी.	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक
आई.जी.एस.टी.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
आई.एम.एफ.एल.	भारत में निर्मित विदेशी शराब

आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.आर. एक्ट	पंजीकरण अधिनियम, 1908
आई.आर.	निरीक्षण प्रतिवेदन
आई.एस.	सूचना प्रणाली
आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
आई.एस.डी.	इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
आई.एस.एम.ओ.	सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आई.यू.	राज्य की खुफिया इकाई
जे.ई.टी.सी.	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त
जे.एस.आर.	संयुक्त सब-रजिस्ट्रार
एल.एम.एम.एच.	मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची
एल.टी.सी.	छुट्टी यात्रा रियायत
एम.ए.एस.	साइट पर सामग्री रजिस्टर
एम.सी.	नगर निगम
एम.ई.आई.टी.वाई.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एम.आई.एस.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एन.आई.सी.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एन.आई.सी.-एच.एस.यू.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - हरियाणा राज्य इकाई
एन.पी.एस.	नई पेंशन योजना
एन.एस.डी.एल.	नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
ओ.बी.ए.एम.एस.	ऑनलाइन बजट आबंटन निगरानी और विश्लेषण प्रणाली
ओ.टी.आई.एस.	ऑनलाइन ट्रेजरी सूचना प्रणाली
ओ.टी.पी.	एकबारगी पासवर्ड
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
पी.ए.जी.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पी.ए.एन.	स्थायी खाता संख्या
पी.डी.ए.	पेंशन संवितरण प्राधिकारी
पी.डी.सी.	पेंशन संवितरण कक्ष
पी.एल.	प्रूफ लीटर
पी.पी.ओ.	पेंशन भुगतान आदेश
पी.आर.ए.एन.	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या

पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)
आर.ए.	पुनरीक्षण प्राधिकारी
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आर.सी.एम.	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म
आर.एफ.	पंजीकरण फीस
एस.बी.आई.	भारतीय स्टेट बैंक
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.ई.डी.	राज्य उत्पाद शुल्क
एस.ई.जेड.	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एस.जी.एस.टी.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एस.जी.एस.टी. एक्ट	राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
एस.ओ.सी.	सुरक्षा संचालन केंद्र
एस.ओ.पी.	मानक संचालन प्रक्रियाएं
एस.आर.	सब-रजिस्ट्रार
एस.एस.सी.ए.	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
एस.टी.डी.	बिक्री कर विभाग
एस.टी.ओ.	राज्य कर अधिकारी
टी.सी.एस.	स्रोत पर एकत्रित कर
टी.डी.एन.	कर मांग सूचना
टी.डी.एस.	स्रोत पर कर कटौती
टी.ओ.	खजाना अधिकारी
टी.आर./एस.टी.आर.	खजाना नियम/सहायक खजाना नियम
टी.आर.यू.	कर अनुसंधान इकाई
यू.सी.पी.	भुगतानकर्ता का यूनीक कोड
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
यू.एल.बी	शहरी स्थानीय निकाय
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यू.ए.एन.	वाइड एरिया नेटवर्क



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.cag.gov.in/ag/haryana/hi](http://www.cag.gov.in/ag/haryana/hi)

